वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

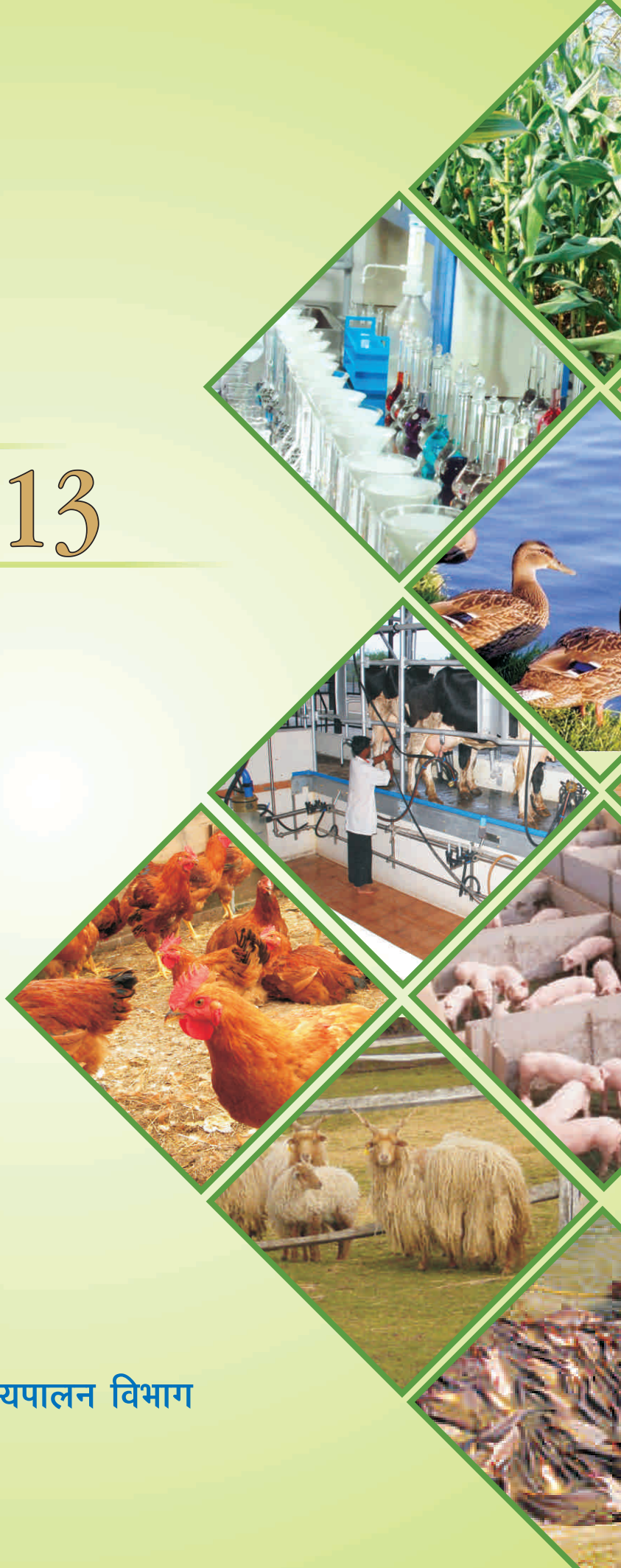

सत्यमेव जयते

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली

वार्षिक रिपोर्ट
2012-13

सत्यमेव जयते

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

कृषि मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	**सिंहावलोकन** पशुधन उत्पादन मछली उत्पादन पशुधन और मात्स्यिकी उत्पादों का निर्यात सरकार की पहल और राज्यों को सहायता ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना वार्षिक योजना 2011-12 और 2012-13	1-8
2.	**संगठन** संरचना कार्य अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोड राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण भारतीय पशुचिकित्सा परिषद शिकायत कक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सम्पर्क अधिकारी सतर्कता एकक हिन्दी का प्रगामी प्रयोग पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य सूचना सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्यों के लिए आरक्षण महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकना	9-14
3.	**पशुपालन**	15-44
4.	**डेयरी विकास**	45-60
5.	**मात्स्यिकी**	61-82
6.	**व्यापारिक मामले**	85-86
7.	**विशेष घटक योजना (एस.सी.पी.) एवं जनजातीय उप योजना (टी.एस.पी.)**	87
8.	**महिलाओं का सशक्तिकरण**	88
9.	**अंतर्राष्ट्रीय सहयोग**	89-90
10.	**आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी पैकेज**	91-94
11.	**परिणाम रूपरेखा दस्तावेज (आर. एफ. डी.)**	95-98

अनुबंध

I	पशुधन और कुक्कुट की कुल संख्या-पशुधन संगणना 2007	101-102
II	प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन- अखिल भारतीय	103
III	वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान राज्य वार मत्स्य उत्पादन	104
IV	भारत के समुद्री मात्स्यिकी संसाधन	105
V	भारत का अंतर्देशीय जल संसाधन	106
VI	मछली बीज उत्पादन	107
VII	वित्तीय आबंटन और व्यय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान (31.12.2012 तक)	108-111
VIII	संगठनात्मक चाट	112
IX	पशुपालन और डेयरी विभाग को आबंटित विषयों की सूची	113
X	सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की सूची	114-115
XI	पशुचिकित्सा सस्थानों का राज्यवार ब्योरा	116
XII	वर्ष 2012-13 के दौरान भारत में पशु संगरोध स्टेशनों के पशुधन और पशुधन उत्पादों का आयात-निर्यात विवरण	117-118
XIII	जीवजाती अनुसार 2011 (जनवरी - दिसम्बर) के दौरान भारत में हुए पशुरोगों का विवरण	119-122
XIV	"पशुधन बीमा" योजना के तहत 300 चुनिन्दा जिलों की सूची	123-125
XV	कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 2011-12	126-130

अध्याय 1
उपलब्धियों का सिंहावलोकन

अध्याय 1

उपलब्धियों का सिंहावलोकन

1.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन कार्यकलाप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में तथा देश के आर्थिक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कार्यकलापों ने खाद्य, पोषाहार सुरक्षा, किसानों की पारिवारिक आय में योगदान दिया है और ये सस्ता और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों तथा महिलाओं में लाभकारी रोजगार का सृजन करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति किसानों के लिए पशुधन एक बीमा के रूप में कार्य करता है।

1.2 एनएसएस के 66वें दौर के सर्वेक्षण (जुलाई, 2009 - जून, 2010) के अनुसार, सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति जमा सहायक स्थिति, उनकी प्रधान गतिविधि का ख्याल किए बिना) के अनुसार पशुपालन में कार्यरत कामगारों की कुल संख्या 20.5 मिलियन है। सीमांत, छोटे और अर्द्ध-मझौले किसान की प्रचालनात्मक जोत (4 हैक्टेयर से कम क्षेत्र) का अपना लगभग 87.7 प्रतिशत पशुधन है। अतः पशुधन क्षेत्र का विकास अपेक्षाकृत अधिक इन्क्लूसिव है। विश्व में भारत में सबसे अधिक पशु हैं। इसमे विश्व की लगभग 57.3 प्रतिशत भैंसें हैं और 14.7 प्रतिशत गोपशु हैं। देश में लगभग 71.6 मिलियन भेड़ें, 140.5 मिलियन बकरियां और लगभग 11.1 मिलियन सूअर हैं। भारत में पशुधन और कुक्कुट के व्यापक संसाधन हैं जो ग्रामीण लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पशुधन की विभिन्न प्रजातियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

1.3 पशुधन उत्पादन

1.3.1 पशुधन उत्पादन और कृषि परस्पर सम्बद्ध हैं और ये एक-दूसरे पर निर्भर हैं और दोनों ही समग्र रूप से खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमानों के अनुसार, 2011-12 के दौरान पशुधन क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य वर्तमान मूल्यों पर 4,59,051 करोड़ रुपए है जो कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र से वर्तमान मूल्यों पर मूल्य का लगभग 24.8 प्रतिशत और स्थायी मूल्यों (2004-05) पर 25.6 प्रतिशत है। 2011-12 के दौरान दूध के उत्पादन का मूल्य 3,05,484 करोड़ रुपए है जो धान और गेहूं के उत्पादन के मूल्य से अधिक है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमानों के अनुसार, मांस समूह से उत्पादन का मूल्य वर्तमान मूल्यों पर 83,641 करोड़ रुपए है। 2011-12 के लिए अंडे और ऊन समूह से उत्पादन का मूल्य क्रमशः 17,803 करोड़ रुपए और 318 करोड़ रुपए है।

1.3.2 दूध का उत्पादनः भारत, जो विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ने 2012-13 के दौरान 133 मिलियन टन से अधिक दूध का उत्पादन किया है। दुधारू पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न उपाय किए गए है जिनके फलस्वरूप दुग्ध उत्पादन दसवीं योजना (2006-07) के अंत में 102.6 मिलियन टन से काफी अधिक बढ़कर ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अंत में 127.9 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया। 2010-11 की तुलना में 2011-12 में दूध के उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 5 प्रतिशत है।

1.3.3 अंडा उत्पादनः पिछले कुछ वर्षों में देश में कुक्कुट विकास में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है।

वर्तमान में 2011-12 में देश में अंडा उत्पादन लगभग 66.45 बिलियन है। पिछले वर्ष के लगभग 63.02 मिलियन अंडों के उत्पादन की तुलना में उत्पादन में वार्षिक वृद्धि लगभग 5 प्रतिशत है। कुक्कुट मांस उत्पादन 2.47 मिलियन टन होने का अनुमान है। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (अपेडा) के अनुसार वर्तमान में 2011-12 में कुक्कुट उत्पादों का निर्यात लगभग 457.82 करोड़ रुपए मूल्य का है।

1.3.4 ऊन का उत्पादनः दसवीं पंचवर्षीय योजना (2006-07) में ऊन का उत्पादन 45.1 मिलियन किलोग्राम था जो ग्यारहवीं योजना (2011-12) के अंत में यह मामूली गिरकर 44.7 मिलियन किलोग्राम रह गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 में ऊन के उत्पादन के लिए वार्षिक वृद्धि दर लगभग 4 प्रतिशत है।

1.3.5 मीट उत्पादनः दसवीं पंचवर्षीय योजना (2006-07) के अंत में मीट उत्पादन 2.3 मिलियन टन था जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2011-12) के अंत में अत्यधिक बढ़कर 5.5 मिलियन टन हो गया। 2011-12 में मीट के उत्पादन के लिए वार्षिक वृद्धि दर 13% थी। 1950-51 से 2011-12 तक प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन **अनुबंध-II** में दिया गया है।

1.4 मछली उत्पादन

1.4.1 अंतर्देशीय जल संसाधनों के अतिरिक्त, लगभग 8000 किलोमीटर की हमारी तटीय रेखा को देखते हुए देश में मात्स्यिकी की व्यापक संभाव्यता है। सीएसओ के अनुमानों के अनुसार, 2011-12 के दौरान मात्स्यिकी क्षेत्र से उत्पादन का मूल्य वर्तमान मूल्यों पर लगभग 76,699 करोड़ रुपए है जो कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के उत्पादन के वर्तमान मूल्य का लगभग 4.15 प्रतिशत है।

1.4.2 भारत विश्व में मछली उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है और विश्व में ताजा जल मछली उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मछली का उत्पादन 1991-92 में 41.57 लाख टन (समुद्री मात्स्यिकी के लिए 24.47 लाख टन तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी के लिए 17.10 लाख टन) से बढ़कर 2011-12 में 86.66 लाख टन (समुद्री मात्स्यिकी के लिए 33.71 लाख टन तथा अंतर्देशीय मात्स्यिकी के लिए 52.95 लाख टन) हो गया है। यद्यपि इस अवधि के दौरान अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में काफी अधिक वृद्धि हुई है, तथापि, समुद्रीय मात्स्यिकी में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है। मछली का उत्पादन, समुद्री मात्स्यिकी संसाधन और अंतर्देशीय जल संसाधन **अनुबंध-III, IV** और **V** में दिए गए हैं और मछली के बीज का वर्षवार उत्पादन **अनुबंध-VI** में दिया गया है।

1.5 पशुधन और मात्स्यिकी उत्पादों का निर्यातः

पशुधन क्षेत्र भी इस तथ्य के बावजूद भी निर्यात में योगदान देता है कि देश मे सीमित संख्या में पशुधन उद्यम वाणिज्यिक आधार पर कार्य कर रहे हैं। 2011-12 के दौरान पशुधन, कुक्कुट और संबंधित उत्पादों के निर्यात से कुल 33,417 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे जबकि 2010-11 के पिछले वर्ष के दौरान 25,409 रुपए की प्राप्ति हुई थी जो लगभग 31.5 प्रतिशत की वृद्धि की द्योतक है। 2011-12 के दौरान मात्स्यिकी उत्पादों के निर्यात में भी क्रमिक रूप से वृद्धि हुई है और निर्यात 16,597.23 करोड़ रुपए तक पहुंच गया जबकि 2010-11 के दौरान 12,901.47 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी जो लगभग 28.65 प्रतिशत की द्योतक है।

1.6 सरकार की पहल और राज्यों को सहायताः

चूंकि पशुपालन, डेयरी औरे मत्स्यपालन सहित कृषि एक राज्य विषय है। इसलिए विभाग का जोर राज्य सरकारों का इन क्षेत्रों का विकास करने के प्रयासों को अनुपूरक करने पर रहा है। विभाग पशु रोगों, आनुवंशिक संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और उन्नयन, पौष्टिक चारा और आहार की उपलब्धता मे वृद्धि, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाओं के सतत विकास तथा पशुधन और मात्स्यिकी उद्यमों के उत्पादन और लाभ प्रदता में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है।

1.7 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

1.7.1 पशुधन क्षेत्र के लिए 11वीं योजना की संकल्पना का उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए समग्र रूप से 6 से 7 प्रतिशत का विकास करने का है जिसमें दूध समूह के लिए 5 प्रतिशत वार्षिक और मांस तथा कुक्कुट के लिए 10 प्रतिशत वार्षिक विकास प्रापत किया जाएगा। ग्यारहवीं योजना के दौरान पशुधन क्षेत्र से उत्पादन में वृद्धि लगभग 4.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष और मात्स्यिकी क्षेत्र से लगभग 3.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

1.7.2 11वीं योजना के लिए इस विभाग को 8174 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। इसके प्रति, वर्षवार वित्तीय उपलब्धियां नीचे दी जाती हैं:-

तालिका 1.1: 11वीं योजना के दौरान वर्षवार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत उपयोग	बजट अनुमान के संदर्भ में प्रतिशत उपयोग
1	2	3	4	5	6
11वीं योजना (2007-12)	8174.00				
2007-08	910.00	810.00	784.09	96.80	86.16
2008-09	1000.00	940.00	865.27	92.05	86.53
2009-10	1100.00	930.00	873.38	93.91	79.40
2010-11	1300.00	1257.00	1104.68	87.88	84.98
2011-12	1600.00	1356.52	1243.11	91.64	77.70
कुल	**5910.00**	**5293.52**	**4870.53**	**92.01**	**82.41**

1.7.3 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के प्रस्तावित परिव्यय के अतिरिक्त, 11वीं योजना के दौरान आरकेवीवाई और एनएमपीएस के अधीन पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए लगभग 5,403.88 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित की गई थी।

1.7.4 ग्यारहवीं योजना के दौरान, विभाग ने पशु रोगों पर नियंत्रण करने के अपने प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए पशु अस्पतालों और दवाखानों की स्थापना, राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय पेस्ट डेस पेटिटिस रुमिनेंट्स (पीपीआर) नियंत्रण कार्यक्रम और खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम का 54 जिलों से 221 जिलों तक विस्तार करने जैसे नए कार्यक्रम/योजनाएं आरंभ की हैं। चारे की कमी को पूरा करने के लिए, चारा और आहार योजना में कई नए घटक शामिल किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्वरोजगार अवसरों के जरिए स्व-रोजगार के अवसरों का सृजन करते समय देश में दूध के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए डेयरी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य के साथ 11वीं योजना में डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना आरंभ की गई थी।

1.8 बारहवीं पंचवर्षीय योजना

12वीं योजना के लिए विभाग के लिए 14,179 करोड़ रुपए का आबंटन।

1.8.1 विभाग को बारहवीं योजना के लिए योजना आयोग से सिद्धांत रूप में 12वीं योजना के लिए 14,179.00 करोड़ रुपए (जिसमें बाहरी सहायता के रूप में 1,584.00 करोड़ रुपए शामिल हैं) का आबंटन प्राप्त हुआ है। इसमें पशुपालन क्षेत्र के लिए 7,628 करोड़ रुपए, डेयरी क्षेत्र के लिए 4,976 करोड़ रुपए और मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए 2,483.00

करोड़ रुपए, सचिवालय और आर्थिक सेवाओं के लिए 35.00 करोड़ रुपए और केरल के इडुक्की जिले में कृषि संबंधी दबाव को कम करने और कुट्टानाड पारिस्थितिकी प्रणाली का विकास हेतु विशेष पैकेज के लिए 51.0 करोड़ रुपए शामिल हैं।

1.8.2 पशुधन और मात्स्यिकी क्षेत्र के विकास के लिए संभाव्यता को प्राप्त करने के उद्देश्य से विभाग ने 12वीं योजना के लिए योजनाओं की प्रमुख संरचना करने का प्रस्ताव किया है। इनमें से एक प्रमुख पहलकदमी 2013-14 के केन्द्रीय बजट में राष्ट्रीय पशुधन मिशन आरंभ करने की घोषणा करना है। इस योजना में राज्यों को किसानों के लाभ के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार और क्रियान्वित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करके इस क्षेत्र का सतत विकास करने के मुख्य उद्देश्य के साथ बोवाइन के रोग नियंत्रण और विकास से संबंधित योजनाओं को छोड़कर पशुपालन से संबंधित सभी योजनाओं का विलय किया जाएगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लिए 12वीं योजना 2800 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है जिसमें से 600 करोड़ रुपए केन्द्रीय क्षेत्र के घटक के लिए और शेष 2200 करोड़ रुपए केन्द्रीय प्रायोजित घटक के अधीन रखे गए हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के प्रमुख घटकों में से एक घटक पशुधन के लिए अच्छी किस्म के आहार और चारे की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए आहार और चारे के संबंध में एक उप मिशन होगा, जो उत्पादकता में सुधार करने के लिए आवश्यक है।

1.8.3 पशु रोगों, जिनसे पशुधन की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, पर प्रभावकारी नियंत्रण के महत्व को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने चल रहे पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम का विस्तार किया है जिसमें एफ एम डी, पी पी आर और ब्रुसेलोसिस जैसे प्रमुख रोगों के लिए नया आरंभ किया गया राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम भी शामिल है। एफ एम डी नियंत्रण कार्यक्रम अब 221 जिलों में क्रियान्वित किया जाता है और 12वीं योजना के दौरान, सभी जिले चरणबद्ध रूप में शामिल किए जाएंगे। एल एच और डी सी के लिए 12वीं योजना में प्रावधान 3114 करोड़ रुपए होगा जिसमें से 1744 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रर्ण कार्यक्रम (एफ एम डी - सी पी) और पशु रोगों (ए एस सी ए डी) के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए आबंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एक नया घटक नामतः राष्ट्रीय सी एस एफ नियंत्रण कार्यक्रम में 12वीं योजना में आरंभ करने का प्रस्ताव है।

1.8.4 आनुवंशिक सुधार करके दूध की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए 12वीं योजना के अंत तक लगभग 35 प्रतिशत प्रजनन योग्य बोवाइन को कवर करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार करने के उद्देश्य से, बोवाइनों का विकास और डेयरी विकास से संबंधित मौजूदा योजनाओं का राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन और डेयरी कार्यक्रम (एनपीबीबीडी) की नई योजना में विलय करने का प्रस्ताव है जो विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजना के रूप में 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण-1) (एनडीपी-1) के साथ क्रियान्वित की जाएगी। एनपीबीबीडी और एनडीपी-1 के अंतर्गत 12वीं योजना में गुणवत्ता स्वदेशी प्रजनन के परिरक्षण के प्रयासों को सुदृढ़ किया जाएगा।

1.8.5 मात्स्यिकी क्षेत्र में, व्यापक कार्यकलाओं के एकीकरण के जरिए मात्स्यिकी का सतत विकास करने के लिए एक विशेष प्रयोजन माध्यम के रूप में सितम्बर, 2006 से राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन एफ डी बी) आरंभ करके भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख पहल की गई है। एन एफ डी बी के अधीन मात्स्यिकी विकास से संबंधित सभी योजनाओं को एकीकृत करके और इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर एन एफ डी बी को सुदृढ़ किया जाएगा।

1.9 वार्षिक योजना 2011-12 और 2012-13

1.9.1 विभाग को वार्षिक योजना 2011-12 के लिए 1600 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर 1356.12 करोड़ रुपए तक संशोधित किया गया था। वर्ष 2011-12 के लिए अंतिम व्यय 1243.11 करोड़ रुपए था। वर्ष 2012-13 के लिए विभाग को 1900 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं जो कम करके संशोधित अनुमान में 1910 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। दिसम्बर, 2012 के अंत तक, विभाग ने 1121.62 करोड़ रुपए का व्यय किया है।

1.9.2 2011-12 और 2012-13 के लिए योजनावार बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और व्यय **अनुबंध-VII** में दिए गए हैं।

अध्याय 2
संगठन

अध्याय 2

संगठन

2.1 संरचना

2.1.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग कृषि मंत्रालय का एक विभाग है। यह कृषि और सहकारिता विभाग के दो प्रभागों अर्थात् पशुपालन और डेयरी विकास को मिला करके 1 फरवरी, 1991 को अस्तित्व में आया था। कृषि और सहकारिता विभाग का मात्स्यिकी प्रभाग तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एक हिस्सा इस नए विभाग में 10 अक्तूबर, 1997 में अंतरित कर दिया गया था।

2.1.2 यह विभाग, श्री शरद पवार, माननीय कृषि मंत्री जी के सम्पूर्ण प्रभार में है। उनकी सहायता डॉ. चरण दास महंत, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री करते हैं। विभाग के प्रशासनिक प्रमुख, सचिव (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन) हैं।

2.1.3 इस विभाग को सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में एक पशुपालन आयुक्त, चार संयुक्त सचिव तथा एक सलाहकार (सांख्यिकी) विभाग के सचिव की सहायता करते हैं। विभाग का संगठनात्मक चार्ट तथा विभिन्न प्रभागों के बीच कार्य आबंटन **अनुबंध-VIII** में दिया गया है।

2.2 कार्य

2.2.1 यह विभाग पशुधन उत्पादन, इसके संरक्षण, परिरक्षण तथा स्टॉक में सुधार करने, डेयरी विकास से संबंधित कार्यों और दिल्ली दुग्ध योजना तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। यह विभाग मात्स्यिकी से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है, जिसमें अंतर्देशीय तथा समुद्री क्षेत्र की मात्स्यिकी और राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड से संबंधित मामले भी शामिल हैं।

2.2.2 यह विभाग पशुपालन और डेयरी विकास तथा मत्स्य पालन के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को सलाह देता है। गतिविधियों का मुख्य बल इस पर है (क) पशु उत्पादकता में सुधार लाने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में अपेक्षित आधारभूत संरचना का विकास; (ख) दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के रखरखाव, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना; (ग) स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से पशुधन का परिरक्षण और संरक्षण; (घ) राज्यों को वितरित करने के लिए बेहतर जर्मप्लाज्म के विकास के लिए केन्द्रीय पशुधन फार्मों (गोपशु, भेड़ और कुक्कुट) का सुदृढ़ीकरण; और (ड.) ताजे, खारे पानी में जलकृषि का विस्तार, समुद्री मात्स्यिकी ढांचे एवं पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास तथा मछुआरों का कल्याण, आदि।

2.2.3 इस विभाग को आबंटित विषयों की अनुसूची **अनुबंध-IX** में दी गई है।

2.3 अधीनस्थ कार्यालय

2.3.1 यह विभाग पूरे देश में फैले निम्नलिखित फील्ड/अधीनस्थ कार्यालयों, का प्रशासन भी देखता है (सारणी 2.1)।

सारणी 2.1

क्र.सं.	अधीनस्थ कार्यालय	संख्या
(i)	केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन	12
(ii)	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन	5
(iii)	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म	1
(iv)	केन्द्रीय चारा विकास संगठन	8
(v)	राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, बागपत	1
(vi)	पशु संगरोध प्रमाणीकरण केन्द्र	6
(vii)	दिल्ली दुग्ध योजना	1
(viii)	केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर	1
(ix)	केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन तथा इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन	1
(x)	राष्ट्रीय पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन	1
(xi)	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई	1
	कुल	**38**

2.3.2 इन अधीनस्थ कार्यालयों की सूची **अनुबंध-X** में दी गयी है।

2.4 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)

2.4.1 आणंद, गुजरात में स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 में स्थापित किया गया था और इसे 1987 में एनडीडीबी अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय घोषित किया गया है। यह देश में सहकारिता की तर्ज पर डेयरी विकास की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से एक प्रमुख संस्थान है। डा. अमृता पटेल 26 नवंबर, 1998 से बोर्ड की अध्यक्षा हैं।

2.5 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)

2.5.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी) को सितम्बर, 2006 में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसका उद्देश्य मात्स्यिकी क्षेत्र, मत्स्य पालन, प्रसंस्करण तथा मछली के विपणन की दोहन न की गई संभावनाओं का दोहन करना, मात्स्यिकी के ईष्टतम उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए अनुसंधान तथा विकास के आधुनिक साधनों का प्रयोग करना है।

2.6 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण

2.6.1 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण (सीएए), तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित किया गया था और इसे 22 दिसंबर, 2005 को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य तटवर्ती पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में तटवर्ती जलकृषि गतिविधियों को विनियमित करना है। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष का चयन किया जा रहा है।

2.7 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद

2.7.1 भारतीय पशुचिकित्सा परिषद एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत गठित किया

गया है। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 3(3) (छ) के तहत प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने नवंबर, 2010 में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के त्रिवार्षिक चुनाव आयोजित किए और मार्च, 2011 में नई परिषद का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष डा0 ले0 जनरल नारायण मोहन्ती हैं। इस समय 25 राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों ने पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को स्वीकार किया है। भारतीय पशुचिकित्सा परिषद देशभर में समान मानदंड बनाए रखने के लिए सभी पशुचिकित्सा संस्थानों के पाठ्यक्रम को विकसित करके पशुचिकित्सा प्रणालियों और पशुचिकित्सा शिक्षा को विनियमित करती है।

2.8 शिकायत कक्ष

2.8.1 जनता की शिकायतों की जांच करने के लिए इस विभाग में एक शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है। निदेशक स्तर के अधिकारी इस प्रकोठ के अध्यक्ष हैं।

2.9 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सम्पर्क अधिकारी

2.9.1 इस विभाग के साथ-साथ अधीनस्थ कार्यालयों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए भी इस विभाग में उप सचिव स्तर के एक अधिकारी को सम्पर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

2.10 सतर्कता एकक

2.10.1 इस विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सतर्कता मामलों पर सतर्कता एकक कार्रवाई करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी नियमित आधार पर सतर्कता मामलों को मानीटर करता है। विभाग ने अपने क्षेत्रीय एककों के साथ 29 अक्तूबर 2012 से 3 नवम्बर, 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सचिव (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन) ने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के अधिकारियों एवं स्टाफ को शपथ दिलाई।

2.11 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

2.11.1 वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य, से विभाग ने ठोस प्रयास किए। विभाग का हिन्दी अनुभाग वार्षिक रिपोर्ट, निष्पादन बजट, संसद प्रश्न, संसदीय स्थायी समिति तथा कैबिनेट नोट आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद का काम करने तथा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के काम में सक्रिय रूप से लगा रहा।

2.11.2 इस विभाग में संयुक्त सचिव (एपीएफ) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। निर्धारित नियमों के अनुसार, वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें आयोजित की गई थीं। इन बैठकों में विभाग में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई थी। सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों के परिणामस्वरूप, हिंदी में पत्राचार के प्रतिशत में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

2.11.3 सभी अधिकारियों/अनुभागों को समय-समय पर सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग तथा संयुक्त सचिव की ओर से परिपत्र जारी किए गए जिसमें सरकार की राजभाषा नीति के उचित क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया गया।

2.11.4 हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए। इसी प्रकार विभाग द्वारा क और ख क्षेत्रों में स्थित राज्यों को हिन्दी में ही पत्र भेजे गए। राजभाष अधिनियम, 1963 की धारा-3(3) का पूरी तरह से अनुपालन किया गया।

2.11.5 विभाग में 3 से 14 सितम्बर, 2012 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के दौरान हिन्दी निबंध, हिन्दी टिप्पण-आलेखन, राजभाषा ज्ञान और वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया तथा संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समारोह में सफल प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार दिए गए।

2.12 पशु उत्पादन एवं स्वास्थ्य सूचना

2.12.1 विभाग की वेबसाइट (http://dadf.gov.in) का विशेष रूप से एवियन एंफ्लूएंजा की स्थिति के बारे में नियमित रूप से रख-रखाव किया गया था तथा स्थिति को अद्यतन किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्रकाशित करके वेबसाइट को विस्तार दिया गया है। विभाग ने 'पशुधन सांख्यिकी' के लिए वेब आधारित प्रणाली विकसित की है।

2.13 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

2.13.1 जनहित की सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग ने आरटीआई अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नियुक्त किए है। इसी प्रकार विभाग के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्तशासी संगठनों के लिए अलग से सीपीआईओ नियुक्त किए गए हैं।

2.14 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्यों के लिए आरक्षण:

2.14.1 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग ने सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों को सख्ती से क्रियान्वित करने के अपने प्रयास जारी रखे।

2.15 महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न को रोकना

2.15.1 महिलाओं के कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विभाग द्वारा एक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है। इस समिति में विभाग के 5 सदस्य हैं जिनमें से 4 महिला सदस्य हैं (इनमें से एक गैर-सरकारी संगठन से संबंधित है) और एक पुरुष सदस्य है। वर्ष के दौरान इस समिति की तीन बैठकें हुईं। इस अवधि के दौरान किसी भी महिला कर्मचारी से उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

अध्याय 3

पशुपालन

अध्याय 3

पशुपालन

3.1 यह विभाग पशुधन के आनुवंशिक उन्नयन एवं वर्ण संकर के लिए प्रजनन हेतु राज्य सरकारों को उच्च स्तर के जर्मप्लाज्म के उत्पादन एवं वितरण के लिए 18 केन्द्रीय पशुधन संगठनों एवं सम्बद्ध संस्थानों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा, विभाग अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं के विकास तथा पशुपालन क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति के लिए विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित करता है।

3.2 केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन

3.2.1 इन संगठनों में सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, एक केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा चार केन्द्रीय पशु यूथ पंजीकरण इकाईयां सम्मिलित हैं जो आनुवंशिक रूप से उन्नत संकर सांड बछड़ों, अच्छे किस्म के हिमित वीर्य के उत्पादन तथा गोपशु एवं भैंसों के बेहतर जर्मप्लाजम की पहचान हेतु देश के विभिन्न भागों में स्थापित की गई हैं ताकि देश में सांडों तथा हिमित वीर्य की आवश्यकता पूरी की जा सके।

3.2.2 केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म (सीसीबीएफ)

3.2.2.1 अलमाधी (तमिलनाडु), अंदेशनगर (उत्तर प्रदेश), चिपलीमा एवं सूनाबेड़ा (उड़ीसा), धामरोड (गुजरात), हैसरघट्टा (कर्नाटक) और सूरतगढ़ (राजस्थान) में स्थित सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म हैं। ये फार्म गोपशु और भैंस के वैज्ञानिक प्रजनन कार्यक्रम और राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के लिए बेहतर किस्म के सांड उत्पादन के काम में लगे हुए हैं। वे राज्यों को वितरित करने के उद्देश्य से गोपशु की स्वदेशी और विदेशी नस्लों के उच्च उत्पादक सांड़ बछड़ों और भैंसों की महत्वपूर्ण नस्लों का उत्पादन कर रहे हैं। सांड़ बछड़े थारपरकर, रेड सिंधी, जर्सी, हालस्टीयन फ्रिशियन एवं वर्ण संकर गोपशुओं तथा सुरती और मुर्राह भैंस नस्लों से उत्पादित किए जाते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान इन फार्मों ने 407 सांड बछड़ों का उत्पादन किया तथा 3453 किसानों को डेयरी फार्म प्रबंधन में प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2012-13 (31 दिसंबर, 2012 तक) के दौरान, इन फार्मों ने देश में कृत्रिम गर्भाधान/प्राकृतिक सेवाओं के लिए 300 उच्च सांडों/सांड बछड़ों का उत्पादन किया तथा 1,957 किसानों को प्रशिक्षित किया।

3.2.3 केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा (सीएफएसपीटीआई)

3.2.3.1 हैस्सरघट्टा (कर्नाटक) में स्थित यह एक प्रमुख संस्थान है जो कृत्रिम गर्भाधान (एआई) में उपयोग के लिए स्वदेशी, विदेशी वर्ण संकर नस्ल तथा मुर्राह भैंसों की हिमित वीर्य खुराकों का उत्पादन कर रहा है। यह संस्थान राज्य सरकारों के तकनीकी अधिकारियों को हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण भी देता है और देश में निर्मित हिमित वीर्य और कृत्रिम गर्भाधान उपकरणों के परीक्षण के लिए एक केन्द्र के रूप में काम करता है। संस्थान ने वर्ष 2011-12 के दौरान हिमित वीर्य की 13.17 लाख खुराकें उत्पादित कीं और हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी एवं एंड्रोलोजी के क्षेत्र में 296 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। वर्ष 2012-13 (31 दिसंबर, 2012 तक) के दौरान हिमित वीर्य की 9.80 लाख खुराकें उत्पादित की गई थी और 203 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

3.2.4 केन्द्रीय पशु यूथ पंजीकरण योजना (सीएचआरएस)

3.2.4.1 केन्द्रीय यूथ पंजीकरण योजना राष्ट्रीय महत्व की अच्छी नस्ल वाली गाय और भैंसों के पंजीकरण के लिए है तथा यह अच्छी नस्ल की गायों और नर बछड़ों के पालन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। रा्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना के लिए अपेक्षित स्वदेशी जर्मप्लाज्म को जुटाने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। विकास कार्यक्रम में उपयोग के लिए यह योजना अच्छी किस्म की डेयरी गायों और भैंसों तथा उच्च आनुवंशिक क्षमता वाले सांडों और उनकी संतति की खरीद में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन विभागों, निजी क्षेत्र और सरकारी उपक्रमों को सहायता करने में प्रमुख भूमिका निभाती है।

3.2.4.2 योजना के उद्देश्य

1. बेहतर जर्म प्लाज्म और उसके स्थान का पता लगाना ।
2. बेहतर जर्म प्लाज्म उत्पादित करने में इस आंकड़े का इस्तेमाल करना।
3. स्वदेशी जर्म प्लाज्म का संरक्षण।
4. डेयरी उद्योग में सुधार के लिए गोपशु और भैंसों की दुग्ध रिकार्डिंग।

3.2.4.3 इस योजना के अंतर्गत रोहतक, अहमदाबाद, अजमेर और अंगोले में 4 केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना स्थापित की गई हैं। गिर, कंकरेज, हरियाणा और अंगोले की स्वदेशी गोपशु नस्लों और भैंसों की मुर्रा, जाफराबादी, सुरती और मेहसाना नस्लों के दूध की रिकार्डिंग के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित कुल 92 दुग्ध रिकार्डिंग केंद्र कार्यरत हैं ताकि उनकी फिनोटाइप नस्ल विशेषताओं और दुग्ध उत्पादन स्तर की उनकी पुष्टि की जा सके। इन्हें उनके प्रजनन ट्रैक्ट में अभिज्ञात किया गया है और पंजीकृत गायों और भैंसों तथा उनके बछड़ों के विपणन के लिए प्रचार किया जाता है। वर्ष 2011-12 में 14,703 गायों तथा भैंसों का प्राथमिक पंजीकरण किया गया था। वर्ष 2012-13 (दिसम्बर, 2012) 13,024 गायों तथा भैंसों का प्राथमिक पंजीकरण किया गया।

3.3 राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना

3.3.1 बोवाइन में आनुवंशिक सुधार एक दीर्घकालिक गतिविधि है और भारत सरकार ने देश में अक्टूबर, 2000 से राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीसीबी) नामक एक प्रमुख कार्यक्रम 10 वर्ष की अवधि के लिए दो चरणों में शुरु किया था जो प्रथम चरण (दसवीं योजना) के लिए 375

करोड़ रुपए और 554 करोड़ रुपए (ग्यारहवीं योजना) के आबंटन से शुरु हुआ। एनपीसीबीबी में महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों के विकास एवं संरक्षण पर ध्यान देते हुए प्राथमिकता आधार पर आनुवंशिक उन्नयन करने की व्यवस्था है। इस परियोजना के अधीन राज्यों की क्रियान्वयन एजेंसियों को 100 प्रतिशत अनुदान दी जाती है।

3.2.2 इस परियोजना के आगे लाए गए कार्यों को पूरा करने के लिए 12वीं योजना के दौरान पहले दो वर्षों के लिए एनपीसीबीबी को जारी रखने के लिए योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

3.3.3 योजना के कार्य

(क) किसानों के घरद्वार पर व्यापक रूप से उन्नत कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवा प्रदान करने की व्यवस्था करना;

(ख) कृत्रिम गर्भाधान अथवा उच्च गुणवत्ता वाले सांड़ों की प्राकृतिक सेवाओं के जरिए संगठित प्रजनन के तहत गोपशु और भैंसों की 80 प्रतिशत प्रजनन योग्य मादाओं को लाना;

(ग) स्वदेशी गोपशु और भैंसों के लिए एक नस्ल सुधार कार्यक्रम को शुरु करना ताकि उनकी आनुवंशिक गुणवत्ता और उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।

3.3.4 घटक

(क) औद्योगिक गैस निर्माताओं से सप्लाई लेकर तरल नाइट्रोजन के भंडारण और सप्लाई को सुचारू बनाना तथा उसके लिए थोक परिवहन और भंडारण प्रणाली स्थापित करना।

(ख) कृत्रिम गर्भाधान की घरद्वार तक डिलीवरी के लिए निजी मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान सेवा का संवर्धन।

(ग) मौजूदा स्थिर सरकारी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में बदलना।

(घ) अच्छी किस्म के प्रजनन सांडों को लाकर, वीर्य प्रसंस्करण सुविधाओं का उन्नयन और आधुनिकीकरण करके, गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं का सृजन करके और वीर्य केन्द्रों में भौतिक सुविधाओं का सृजन करके न्यूनतम मानक नयाचार के अनुसार वीर्य केन्द्रों को सुदृढ़ करना।

(ड.) संतति परीक्षंण कार्यक्रम और नस्ल चयन के माध्यम से वीर्य केन्द्रों और प्राकृतिक सेवाओं के लिए सांडों का उत्पादन।

(च) शुक्राणु केन्द्रों, वीर्य बैंकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों पर सांडों तथा सेवाओं का गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण।

(छ) उत्पादन तथा आनुवंशिक आदानों तथा तरल नाइट्रोजन की सप्लाई के प्रबंधन के कार्य को विशेषज्ञ स्वायत्त तथा व्यावसायिक राज्य क्रियान्वयन एजेंसी को सौंप करके संस्थागत पुनर्संरचना।

3.3.5 योजना में हुई प्रगति

3.3.5.1 इस समय 28 राज्य और एक संघ राज्य क्षेत्र इस परियोजना में भाग ले रहे हैं। 2011-12 तक इन राज्यों को 875.73 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना के अधीन 180.39 करोड़ रुपए का बजट अनुमान उपलब्ध कराया गया है और अब तक 79.52 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

3.3.5.2 एनपीसीबीबी के स्थापना के समय से अब तक इसके अंतर्गत उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:-

1) वीर्य का उत्पादन 22 मिलियन खुराकों से बढ़कर 67 मिलियन खुराक हो गया है और कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या 21.80 मिलियन से बढ़कर 54 मिलियन हो गई है (कृत्रिम गर्भाधान की कवरेज के अधीन 22 मिलियन पशु हैं)। गर्भाधान की समग्र 20 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई है;

2) 36385 स्थिर सरकारी गर्भाधान केन्द्रों को मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों में बदला गया है;

3) 21753 प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना की गई है या की जा रही है और 11,615 स्थिर सरकारी कृत्रिम गर्भदान केंद्र कार्यरत हैं;

4) उच्च गुणवत्ता वाले 24691 प्रजनन सांडों को शामिल किया गया है या शामिल किया जा रहा है;

5) मौजूदा 50,472 कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान कार्मिकों को हिगमित वीर्य प्रौद्योगिकी के सभी पहलुओं में प्रशिक्षण दिया गया है (वर्तमान वर्ष के दौरान मौजूदा कृत्रिम गर्भाधान कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण के लिए जारी की गई धनराशि सहित);

6) 18269 व्यावसायिकों को राज्य से बाहर और राज्य में स्थित विख्यात प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिलाया गया है;

7) वीर्य के उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक नयाचार (एम एस पी) के अनुसार 49 हिमित वीर्य सांड केन्द्र को सुदृढ़ किया गया है;

8) देश में वीर्य उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से, वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक नयाचार तैयार किया गया है ओर यह देश में सभी वीर्य केन्द्रों में क्रियान्वित किया गया है;

9) दो वर्ष में एक वीर्य केन्द्र का मूल्यांकन करने के लिए और देश में वीर्य के उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक नयाचार क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय मानीटरिंग यूनिट स्थापित किया गया है;

10) 2010-11 के दौरान 20 वीर्य केन्द्रों का 'अ', 17 को 'ब' और 3 को 'स' के रूप में श्रेणीकरण किया गया है जबकि 2007-08 के दौरान 11 वीर्य केन्द्रों को 'अ', 16 को 'ब' और 7 को 'स' के रूप में वर्गीकृत किया गया था। पहले किए गए मूल्यांकन में 'अ' और 'ब' के रूप में वर्गीकृत किए 27 वीर्य केन्द्रों की तुलना में इनकी संख्या बढ़कर 37 हो गई है;

11) देश में 39 वीर्य केन्द्रों ने आई एस ओ प्रमाणन प्राप्त कर लिया है जबकि 2004 के दौरान ऐसे केन्द्रों की संख्या 3 थी;

12) दुधारू पशुओं की संख्या, जो 2000 के दौरान 62 मिलियन थी, बढ़कर 2011 के दौरान 79.89 मिलियन हो गई है अर्थात् देश के दुधारू पशुओं में लगभग 18 उत्तम दुधारू पशुओं की वृद्धि हुई है;

13) 20 मिलियन संकर पशु (1997) बढ़कर 33 मिलियन (2007) हो गए है; और

14) कृत्रिम गर्भाधान प्रौद्योगिकियों के लिए संतति परीक्षण ओर मानक प्रचालन कार्यविधियों के लिए न्यूनतम मानक नयाचार (एम एस पी) तैयार किया गया है और सभी राज्यों को परिचालित किया गया है।

3.3.6 राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों का गठन

3.3.6.1 अक्टूबर, 2000 में परियोजना के शुरु होने से अब तक इस परियोजना के तहत 28 राज्यों में 27 राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों का गठन किया गया है। ये एजेंसियां व्यावसायिक तरीके से परियोजना का क्रियान्वयन कर रही हैं। छोटे राज्यों के मामले में, जो व्यवहार्य राज्य क्रियान्वयन एजेंसियां गठित करने की स्थिति में नहीं हैं, परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को धनराशि जारी की जाती है।

3.3.7 तरल नाइट्रोजन (एल. एन.) की परिवहन और वितरण प्रणाली:

3.3.7.1 एनपीसीबीबी के शुरु होने से पहले राज्य पशुपालन विभागों द्वारा लघु स्टेंड संयंत्रों का प्रयोग किया जाता था और अधिकतर संयंत्र जल्दी-जल्दी खराब हो जाते थे। उत्पादन की यूनिट लागत 30 से 35 प्रति लीटर थी जो कि काफी अधिक थी। एनपीसीबीबी के अंतर्गत देश में पहली बार गैर सरकारी स्रोतों से तरल नाइट्रोजन प्राप्त करने की अवधारणा लागू की गई। गैर सरकारी स्टेशनों से तरल नाइट्रोजन प्राप्त करने की प्रति यूनिट लागत 6 से 10 प्रति लीटर है। इस स्कीम के अंतर्गत सामरिक स्थलों पर वीर्य बैंकों और सिलोस की स्थापना करके और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर तरल नाइट्रोजन के वितरण के लिए वाहनों की व्यवस्था के माध्यम से तरल नाइट्रोजन के भंडारण, परिवहन और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया गया है।

3.3.8 वीर्य स्टेशनों का मूल्यांकन

3.3.8.1 वीर्य उत्पादन में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने के लिए दो वर्षों में एक बार वीर्य स्टेशनों का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करने के लिए विभाग द्वारा 20.5.2004 को केन्द्रीय मानिटरिंग यूनिट (सीएमयू) स्थापित की गई थी। सीएमयू ने अब तक चार बार मूल्यांकन किया है। सीएमयू के गठन के बाद वीर्य केन्द्रों की ग्रेडिंग में सुधार तालिका 3.1 में दिया गया।

देश में वीर्य का उत्पादन 22 मिलियन खुराको (1990-2000) से बढ़कर 67 मिलियन खुराकें (2011-2012) हो गया है और गर्भाधानों की संख्या 20 मिलियन से बढ़कर 54 मिलियन हो गई है। नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत की गई प्रभाव विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, समग्र उपभोग दर 20% से बढ़कर 35% हो गई है।

तालिक 3.1: वीर्य केन्द्रों के ग्रेड में सुधार

ग्रेड	वर्ष से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट			
	2004-05	2005-06	2007-08	2010-11
अ	2	7	12	20
ब	12	10	15	17
स	12	5	7	3
ग्रेडेड नहीं/गैर मूल्यांकित	33	32	15	7
कुल	**59**	**54**	**49**	**47**

तालिका 3.2: सभी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों का कार्य निष्पादन

एजेंसी	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की संख्या	कृत्रिम गर्भाधान (मिलियन)	कृत्रिम गर्भाधान की संख्या (प्रतिवर्ष प्रति केन्द्र)
सरकारी	48,000	36.80	528
निजी ए आई कामगार	21,753		
सहकारी	17,530	13.20	753
गैर सरकारी संगठन	6,000	4.00	667
कुल	**93,283**	**54.00**	**602**

तालिका 3.3: वीर्य केन्द्रों का कार्य-निष्पादन

एजेंसी	वीर्य केन्द्र	सांडों की संख्या	वीर्य का उत्पादन (मिलियन)	प्रति केन्द्र सांड	प्रति केन्द्र उत्पादित खुराकें (लाख)
सरकारी	37	2,005	33	54	8.54
एनडीडीबी, डेयरी सहकारिताएं, गैर सरकारी संगठन और निजी	11	1,292	34	117	30.90
कुल	48	3,297	67	69	13.95

3.3.9 वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक नयाचार (एमएसपी) का विकास

3.3.9.1 एक समान गुणवत्ता के हिमित वीर्य का उत्पादन करने के लिए, बीएआईएफ, एनडीडीबी, एनडीआरआई(करनाल) और सीएफएसपीटीआई के विशेषज्ञों की सलाह से वीर्य उत्पादन के लिए न्यूनतम मानक नयाचार विकसित किया गया था और इसे 20 मई, 2004 से प्रभावी किया गया था।

3.3.10 वीर्य केन्द्रों का आईएसओ प्रमाणीकरण

3.3.10.1 39 वीर्य केन्द्र आईएसओ प्रमाणित हैं। मुत्तुपट्टी, धोनी, कुलाथुपुजा, (केरल), हरिनघाटा (पश्चिम बंगाल), सलबोनी, बेलडंगा (पश्चिम बंगाल) तथा भडबादा (मध्य प्रदेश) में स्थित 7 वीर्य केन्द्र भी एचएसीसीपी प्रमाणित हैं।

3.3.11 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

3.3.11.1 राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना शुरु होने से पहले धीमी गर्भाधान दर का मुख्य कारण यह था कि अच्छी प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव था और सरकारी कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों को बहुत कम प्रशिक्षण दिया जाता था। रा्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के तहत 50,472 मौजूदा कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों तथा 18269 व्यावसायिकों को प्रशिक्षण दिया गया है। इससे प्रजनन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

3.3.12 मान्यताप्राप्त स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण

3.3.12.1 स्वदेशी नस्लों की खास पहचान यह है कि वे गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, उनमें रोग प्रतिरोध क्षमता होती है तथा वे अत्यन्त पोषणिक अभाव में

भी जी लेते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मान्यताप्राप्त स्वदेशी नस्लों के महत्व को देखते हुए सरकार ने उनके विकास और संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

3.3.12.2 राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना का ध्यान मुख्यतः स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण पर है। भारत के गोपशु और भैंस आनुवांशिक संसाधनों में राठी, गिर, कंकरेज, थारपरकर, साहीवाल, देवनी, हालीकर, खिलाड़, हरियाणा आदि सहित 34 स्वदेशी गोपशु नस्लें तथा मुर्रा, मेहसानी, सुरती आदि सहित 11 भैंस नस्लें शामिल हैं। स्वदेशी नस्लें मजबूत होती हैं जो गर्मी बर्दाश्त कर लेती हैं, उनमें रोग-प्रतिरोधक क्षमता होती है तथा वे अत्यन्त पोषणिक अभाव की स्थिति में भी जी लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पशु रोगों की घटनाओं में वृद्धि होने की संभावना है, विशेषकर वर्ण संकर पशुओं में वायरल तथा प्रोटोजोन रोगों के। अतः स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है।

3.3.12.3 प्राकृतिक सेवा के लिए बेहतर सांडों की खरीद, सांड उत्पादन कार्यक्रम चलाने, सांड माता फार्मों के सुदृढ़ीकरण और महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लों (भदावरी, साहिवाल, गिर, देवरी, कंकरेज, हरियाणा, केंकथा, हलीकर, खिलाड़ आदि) के लिए ओ. एन. बी. एस. की स्थापना के लिए भागीदार राज्यों को निधियां जारी की जाती है ताकि वे और विकास कर सकें। परियोजना के चरण-1 में केवल स्वदेशी नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए 58 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। एन. पी. सी. बी. बी. के चरण-2 के तहत स्वदेशी नस्लों के विकास के लिए 477.30 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। इसमें से 31 दिसम्बर, 2012 तक योजना के तहत 272 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसके अलावा, फील्ड कृत्रिम गर्भाधान के नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण, वीर्य केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण, निजी कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों की स्थापना और उर्वरता शिविरों के आयोजन से भी स्वदेशी नस्लों का विकास हुआ है।

3.3.13 परियोजना के संभावित फायदे

- प्रजनन योग्य मादाओं की कवरेज में बढ़ोत्तरी एवं सुधार। गोपशुओं एवं भैंसों की कुल वयस्क मादाओं में से लगभग 80% मादाएं संगठित प्रजनन क्रियाकलाप (कृत्रिम गर्भाधान अथवा प्राकृतिक सेवा) के तहत लाई जाएगी।
- लगभग 32,000 निजी कृत्रिम गर्भाधान व्यवसायियों को इस परियोजना में शामिल किया जाएगा तथा उन्हें स्वरोजगार दिया जाएगा।
- उन्नत पशुओं द्वारा कम उत्पादन करने वाले गैर प्रजातीय गोपशुओं एवं भैंसों का बड़े पैमाने पर (20 मिलियन) प्रतिस्थापन।
- कृत्रिम गर्भाधन की पहुंच से बाहर के क्षेत्रों में करीब 80,000 पेडीग्रीड सांडों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।
- ग्रामीण स्वरोजगार के अवसरों तथा फार्म आय में बढ़ोत्तरी। ग्रामीण घरों में कम संसाधन वाले कृषकों को इस परियोजना से सीधा लाभ प्राप्त होगा।
- कृषकों के घर-द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं का एक आधुनिक कृत्रिम गर्भाधान नेटवर्क एवं उनकी डिलीवरी।
- वीर्य, वीर्य केन्द्रों तथा कृत्रिम गर्भाधान सांडों के प्रमाणीकरण के लिए केन्द्रीय निगरानी कक्ष की स्थापना।
- अनेक स्वदेशी गोपशु तथा भैंस नस्लों का संरक्षण और विकास।

3.4 आहार और चारा विकास

3.4.1 भारत में विश्व का केवल 2.29 प्रतिशत भूमि क्षेत्र है और इसमें विश्व के लगभग 10.7 प्रतिशत पशुधन हैं। चारे की खेती के अधीन क्षेत्र फसली क्षेत्र का केवल 4 प्रतिशत है और यह पिछले चार दशकों से स्थिर बना हुआ है। भूमि पर अन्य प्रतिस्पर्धी फसलों के दबाव के कारण चराई भूमि की धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। इतनी अधिक संख्या में पशुधन को खिलाने के लिए अच्छी किस्म के चारे की कमी है। यह कमी मुख्य रूप से पशुधन की अधिक संख्या और मुख्यतया खाद्य फसलों तथा अन्य नकदी फसलों को दी जाने वाली प्राथमिकता की वजह से चारे की खेती के अधीन चारे की खेती के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करने की सीमाओं के कारण है।

3.4.2 2007 में लगाए गए अनुमान के अनुसार, आहार और चारे की उपलब्धता, आवश्यकता और कमी का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

तालिका 3.4: आहार और चारे की मांग और उपलब्धता

(सूखा चारा मिलियन टन में)

क्र. सं.	चारे का प्रकार	मांग	उपलब्धता	अंतर
1.	सूखा चारा	416	253	163 (40%)
2.	हरा चारा	222	143	79 (36%)
3.	सांद्रण	53	23	30 (57%)

स्रोतः नैबकांस-2007

3.4.3 यद्यपि पिछले दशक में आहार और चारे की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, तथ्ांपि, विशेष रूप से कमी वाली अवधि के दौरान और खास तौर पर सूखे से संकट की स्थिति में देश में चारे की मांग और उपलब्धता के बीच अंतर को पाटने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आहार और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने निम्नलिखित प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की है:-

क) भूमि संसाधनों का इष्टतम उपयोग

ख) अधिक पैदावार देने वाली चारे की किस्मों को बढ़ावा देकर चारे के उत्पादन में वृद्धि करना।

ग) अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त फसल संयोजन अपनाना।

घ) चराई भूमि/बंजर भूमि ओर अन्य सामुदायिक भूमि का सुधार।

ड.) वन क्षेत्रों में चारे की किस्मों को बढ़ावा देना।

च) फसल अपशिष्टों/सह-उत्पादों का संरक्षण और उपयोग।

छ) चारा बैंकों का विकास।

ज) विस्तार गतिविधियों को सुदृढ़ करना।

झ) चारा योजनाओं का मनरेगा के साथ कंवरजेंस।

त्र) पोस्ट हार्वेस्ट हानियों में कमी।

3.4.4 विभाग द्वारा राज्य सरकारों को उपर्युक्त प्राथमिकताओं पर कार्य करने के लिए सलाह दी गई है।

3.4.5 राज्यों द्वारा आहार और चारे की कमी पर काबू पाने और पशुधन आहार के पौषणिक मान में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उनकी सहायता करने के लिए, यह विभाग निम्नलिखित दो योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है:-

1) केन्द्रीय चारा विकास संगठन, और

2) केन्द्रीय प्रायोजित चारा और आहार विकास योजना।

3.5 केंद्रीय प्रायोजित चारा एवं आहार विकास योजना

3.5.1 यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अधीन राज्यों को आहार एवं चारा विकास क्षेत्र में उनके प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में मूल रूप से नौ विभिन्न घटक थे नामतः - चारा ब्लाक बनाने वाले एककों की स्थापना, घास रिजर्व सहित चराई भूमि का विकास, चारा बीज उत्पादन एवं वितरण, आधार परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, हाथ से चलने वाले तथा बिजली से चलने वाले शेफ कटर शुरू करना, साइलेज बनाने वाली यूनिटों की स्थापना, एशोला कल्टीवेथन का प्रदर्शन तथा उत्पादन यूनिट, बाई पास प्रोटीन उत्पादन यूनिटों की स्थापना तथा क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण/आहार पेलेरिग/आहार निर्माण यूनिट। देश में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष इस योजना में चारा बैंकों की स्थापना का एक नया घटक भी शामिल किया गया था।

3.5.2 कुछ राज्यों में सूखे के कारण अतिरिक्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2012-13 (संशोधित अनुमान) के लिए इस योजना के अंतर्गत आबंटन को बढ़ाकर 74.70 करोड़ रुपए कर दिया गया है। 2012-13 के दौरान, 28.2.2013 तक राज्यों को 68.40 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।

3.6 केन्द्रीय चारा विकास संगठन

3.6.1 इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत देश के विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों में स्थित चारा उत्पादन और प्रदर्शन के लिए 7 क्षेत्रीय केन्द्र और 1 केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा, बंगलौर, कार्य कर रहे है। इसके अलावा, इस योजना के तहत चारा फसलों के संबंध में केन्द्रीय मिनिकट परीक्षण कार्यक्रम भी वित्त पोषित किया जा रहा है। ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र और केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, हैस्सरघट्टा

3.6.2 चारा संबंधी फसलों तथा चारागाह घास/फली की अधिक उपज देने वाली किस्मों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन तथा प्रचार के लिए सरकार ने मामडिपल्ली, हैदराबाद(आंध्र प्रदेश), गांधी नगर(गुजरात), हिसार(हरियाणा), सूरतगढ़(राजस्थान), साहेमा(जम्मू एवं कश्मीर), अलामाधि (तमिलनाडु) कल्याणी (पश्चिम बंगाल) में सात क्षेत्रीय केन्द्र तथा हैस्सरघट्टा (कर्नाटक) में एक केन्द्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म स्थापित किया हैं। ये केन्द्र विभिन्न कृषि जलवायुवीय क्षेत्रों के किसानों के चारा बीजों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा फील्ड प्रदर्शनों तथा कृषक मेलों/फील्ड दिवसों के माध्यम से

विस्तार गतिविधियां भी चलाते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान इस वित्तीय वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2012 तक, इन स्टेशनों द्वारा 423.02 टन चारा बीज का उत्पादन किया गया, 9022 प्रदर्शन आयोजित किए गए, 117 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 110 कृषक मेले/फील्ड दिवस आयोजित किए गए।

ख. चारा फसलों के संबंध में केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम

3.6.3 चारा मिनीकिट प्रदर्शनों का उद्देश्य हरे चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए चारा संबंधी फसलों की अधिक उपज देने वाली हाल ही किस्मों तथा उन्नत कृषि विज्ञान संबंधी पद्धतियों के बारे में क्षेत्र प्रदर्शन के जरिए किसानों मे जागरूकता उत्पन्न करना है। इस योजना के तहत क्षेत्रीय केंद्रों और केंद्रीय फार्म, हैस्सरघट्टा, दुग्ध संघों अथवा अन्य सरकारी चारा बीज उत्पादक एजेंसियों द्वारा उत्पादित उच्च पैदावार वाली चारा फसलों/घासों/लैग्यूमों के बीजों का प्रयोग किया जाता है। ये किटें आगे किसानों को निःशुल्क वितरण के लिए राज्यों के पशुपालन निदेशालयों और खरीद परिसंघों को आबंटित की जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्यों को लेग्यूम और गैर लैग्यूम के कुल 1.14 लाख चारा बीज मिनीकिट आबंटित की गई।

3.7 कुक्कुट विकास

3.7.1 कुक्कुट विकास भारत में एक घरेलू गतिविधि है। तथापि, नीतियों, संस्थागत और ध्यान केंद्रित अनुसंधान और निजी क्षेत्र द्वारा की गई पहलकदमी के माध्यम से भारत सरकार के ठोस प्रयासों के कारण पिछले चार दशकों के दौरान भारत में कुक्कुट विकास ने गति पकड़ी है।

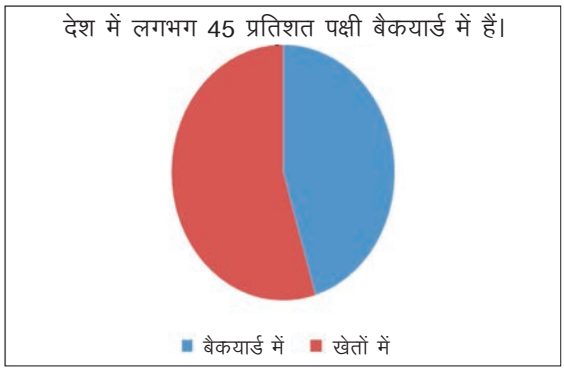

3.7.2 कुक्कुट क्षेत्र पूर्ण रूप से असंगठित फार्मिंग प्रणाली से उभरकर अत्याधुनिक प्राद्योगिकी हस्तक्षेपों के साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रणाली के रूप में सामने आया है। लोगों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रोजगार देने के अलावा, कुक्कुट क्षेत्र कई भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए सहायक आय-सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह विशि्ट रूप से ग्रामीण निर्धनों को भी पौषणिक सुरक्षा उपलब्ध कराता है।

3.8 केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन

3.8.1 चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुंबई और हैस्सरघट्टा स्थित चार केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन कुक्कुट

के संबंध में सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन संगठनों के दायित्व को विशेष रूप से पुनः उन्मुख बनाया गया है ताकि बेहतर पक्षियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो औसतन प्रतिवर्ष 180-200 अंडे देते है और आहार उपभोग तथा भार लाभ के संदर्भ में इन्होंने तेजी से आहार परिवर्तन अनुपात में सुधार किया है। इन केंद्रीय विकास संगठनों में किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि उनकी तकनीकी क्षमता

वनराज

का उन्नयन किया जा सके। इसके अलावा, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, हैस्सरघट्टा देश और विदेश के सेवारत कार्मिकों को प्रशिक्षक परीक्षण देता है। बत्तख, टर्की, गुनिया फाऊल और जापानी क्वेल जैसे चिकन के अलावा प्रजातियों के साथ विविधीकरण भी किया जा रहा है। गुड़गांव स्थित केंद्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केंद्र को लेयर और ब्रायलर किस्मों

छाबरो

के निपादन के परीक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यह केंद्र देश में उपलब्ध विभिन्न आनुवंशिक स्टाक से संबंधित अमूल्य सूचना देता है।

3.8.2 चालू वर्ष के दौरान अब तक, लगभग 0.82 लाख और 4.12 लाख पेरन्टस चिक और कमर्शियल चिक को सीपीडीओ द्वारा आपूर्ति की गई है। लगभग 1900 किसानों और प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया है और लगभग 2500 आहार नमूनों का विश्लेषण किया गया।

3.9 कुक्कुट उद्यम पूँजीगत कोष

3.9.1 इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कुक्कुट की विभिन्न गतिविधियों में अलग-अलग लोगों की उद्यमशील दक्षता को प्रोत्साहित किया जाए। यह योजना 2009-10 में क्रियान्वित की गयी है और इसे 2011-12 से पूँजीगत राज सहायता प्रणाली पर क्रियान्वित किया जाना है। हाईब्रिड लेयर और ब्रायलर कुक्कुट यूनिट, कुछ घटकों की यूनिट लागत में संशोधन के साथ प्रोद्यौगिकी उन्नयन, वैयक्तिकों के लिए अल्प प्रोद्यौगिकी आदान पक्षियों के लिए प्रजनन फार्मों के घटक का विस्तार जैसे नये घटक शामिल हैं और इसमें अल्प आदान प्रोद्यौगिकी पक्षियों वाले कुक्कुट प्रजनन फार्मों की स्थापना तथा बत्तख/टर्की/गुनियाफाउल/जापानी क्वेल/ईमू/आस्ट्रिच के लिए भी प्रजनन फार्मों की स्थापना, आहार गोदाम, आहारमिल, आहार विश्लेषण प्रयोगशालाएँ, कुक्कुट उत्पादों का

पंजाब ब्रॉयलर

विपणन (पक्षियों के लिए विशिष्टिकृत परिवहन वाहन, शीतकक्ष भण्डारण सुविधाएँ और रिटेंशन शेड), अण्डा ग्रेडिंग, निर्यात सुविधा के लिए पैकिंग और भण्डारण जैसी मौजूदा मदें शामिल हैं।

3.9.2 दिसम्बर, 2012 तक उपलब्ध सूचना के अनुसार, 2011-12 में पीवीसीएफ के अधीन लगभग 189 यूनिट कवर किए गए हैं और 2012-13 में 506 यूनिट कवर किए गए हैं।

3.10 कुक्कुट विकास

3.10.1 इस योजना के तीन घटक हैं, नामतः 'राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता', 'ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास', और 'कुक्कुट संपदा'।

(क) राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता

3.10.2 इसका उद्देश्य मौजूदा राज्य कुक्कुट फार्मों को सुदृढ़ करना है ताकि वे ग्रामीण घरेलू कुक्कुट पालन के लिए उपयुक्त उन्नत स्टाक को उपलब्ध कराने के संदर्भ में आदान उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकें। 2012-13 में पहली बार अब तक सात फार्मों की सहायता की गई है जिससे योजना के शुरु होने से अब तक सहायता (आंशिक रूप से) किए गए फार्मों की कुल संख्या 233 हो गई है। (दिसंबर 2012 तक)

(ख) ग्रामीण घरेलू कुक्कुट विकास

3.10.3 इस घटक में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाभार्थियों को शामिल करने की उम्मीद है ताकि वे प्रतिपूरक आय और पौणिक समर्थन हासिल कर सकें। वर्ष 2012-13 (दिसंबर, 12 तक) के दौरान लगभग 21 करोड़ से की राशि जारी की गई है। जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लगभग 95,000 लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

असील

3.10.4 घरेलू कुक्कुट के लिए उपयुक्त लो-इनपुट प्रौद्योगिकी पक्षियों के जर्मप्लाज्म का फ्लो को निम्नलिखित सरलीकृत विधि से भली-भांति स्पष्ट किया गया है।

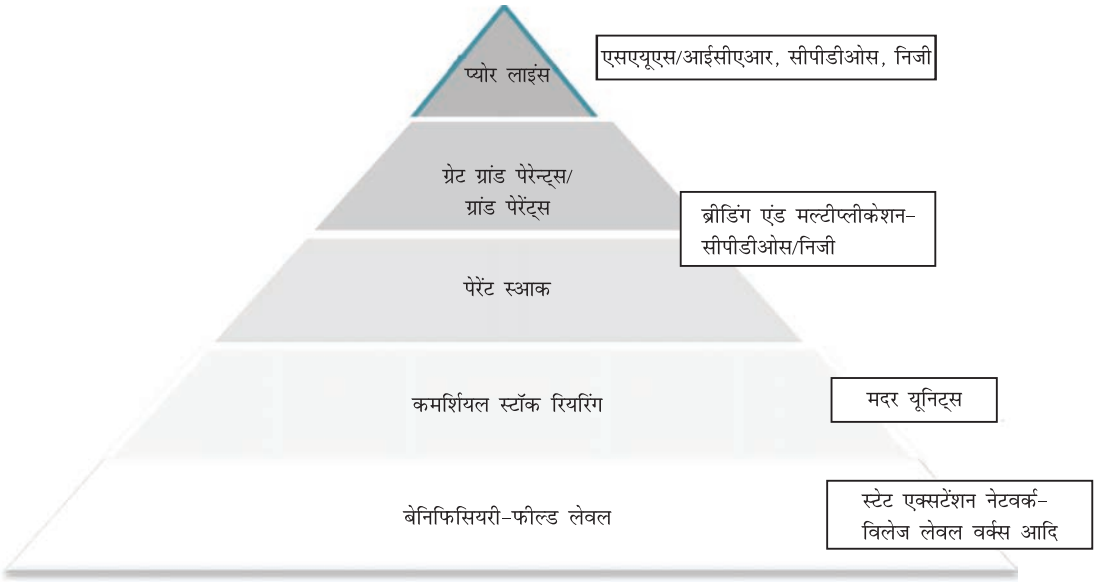

(ग) कुक्कुट संपदा

3.10.5 'कुक्कुट संपदा' के अन्वेषणात्मक पायलट घटक के माध्यम से उद्यमी दक्षता को सुधारा जाना है जिसमें इस स्तर पर दो संपदाओं की स्थापना का प्रस्ताव है। यह मुख्यतः कुछ मार्जिन धन वाले शिक्षित, बेरोजगार युवाओं और छोटे किसानों के लिए है। ताकि वे विभिन्न कुक्कुट संबधी गतिविधियों से वैज्ञानिक और जैव सुरक्षा दृटिकोण तरीके से लाभकारी उद्यम बना सके। ब्रॉयलर फार्मिंग के लिए सिक्किम में और लेअर फार्मिंग के लिए ओडिशा में पायलट आधार पर दो कुक्कुट संपदाओं को चुना गया है। पहले चरण में संरचना और इनपुट सेवाओं के शुरु होने, लाभार्थियों के चुने जाने तथा प्रशिक्षित किए जाने के बाद प्रचालन आरंभ किया जाएगा। तदनुसार प्रचार और सहायक सेवाओं का प्रावधान किया जाएगा।

वनराज

3.11 संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण

3.11.1 10वीं योजना के दौरान शुरु की गयी केंद्रीय प्रायोजित योजना गोपशु और भैंसों को छोड़कर सभी पशुधन प्रजातियों को कवर करती है तथा इसका उद्देश्य पशुधन की उन संकटापन नस्लों का संरक्षण करना है जिनकी संख्या लगभग 10,000 है और उनकी संख्या में गिरावट आ रही है। 1,000 से कम संख्या वाली कुक्कुट नस्लों को संकटापन नस्ल समझा जाता है।

3.11.2 इस योजना के लिए 11वीं योजना के आबंटन की राशि 16.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 45.00 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-

1) केन्द्रीय प्रजनन यूनिटों की स्थापना के अलावा नीति तथा संस्थागत संरचना को तथा अनुसंधान एजेंसियों के साथ संपर्क सुदृढ़ करना।

2) छोटे तथा बड़े पशुओं के लिए अनुमत्य परिवर्तनशील परियोजना अवधि।

3) राज्यों को पशुधन नस्लों तथा उनकी किस्मों की फेहरिश्त तैयार करने की आवश्यकता है।

3.11.3 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान योजना के तहत 2.50 करोड़ रुपए के आबंटन के प्रति 203.75 लाख रुपए जारी किए गए है। सिक्किम सरकार को बोनपाला भेड़ के संरक्षण के लिए (28.00 लाख रुपए), पश्चिम बंगाल सरकार को हरिघंटा ब्लैक फाउल के संरक्षण के लिए (35.00 लाख रुपए) और ब्लैक बंगाल बकरी के लिए (9.25 लाख रुपए), जम्मू और कश्मीर सरकार को याक के संरक्षण के लिए (35.00 लाख रुपए), गुजरात सरकार को काछी ऊँट के संरक्षण के लिए (40.00 लाख रुपए), हिमाचल प्रदेश सरकार को चेगू बकरी के संरक्षण के लिए (20 लाख रुपए) और तमिलनाडु पशुचिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को नीलगिरि भेड़ के संरक्षण के लिए (36.50 लाख रुपए) की सहायता दी गयी है।

3.11.4 वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान इस योजना के अधीन 100 लाख रुपए का आबंटन किया गया है जिसमें से दिसम्बर, 2012 तक 78.25 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान मुज्जफर नगरी भेड़ी के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार (40.00 लाख रुपए), बेरारी बकरी के संरक्षण के लिए महाराष्ट्र सरकार (20 लाख रुपए) और निलगिरि भेड़ के लिए तमिलनाडु, पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (18.25 लाख रुपए) को सहायता दी गई है।

3.12 केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)

3.12.1 चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान फार्म की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य मैकेनिकल भेड़ पालन में कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए और विभिन्न राज्य भेड़ पालन फार्मों को वितरित करने के लिए अनुकूल विदेशी मेड़ों का उत्पादन करना है। समय के साथ-साथ और विशेज्ञों की सिफारिशों से, वर्ण संकरित भेड़ों (नली × रामब्यूलेट और सोनड × कोरिडेल) के साथ-साथ बीतल बकरी का उत्पादन करने के लिए फार्म के प्रजनन कार्यक्रम को संशोधित किया गया।

3.12.2 2011-12 के दौरान, इस फार्म ने 950 मेड़ा तथा 85 मृगों की आपूर्ति की। मशीन से भेड़ की ऊन कटाई में 1216 किसानों को भेड़ के बालों को मशीन से कतरने/भेड़ प्रबंधन किसानों को तथा भेड़ प्रबंधन में 780 किसानों को प्रशिक्षित किया गया था।

3.12.3 2012-13 के दौरान, दिसम्बर, 2012 तक, फार्म ने 500 मेढ़ों तथा 94 मृगों की आपूर्ति की। 112 किसानों को भेड़ के बालों को मशीन से बाल कतरने और 200 किसानों को भेड़ प्रबंधन में प्रशिक्षण दिया गया।

3.13 जुगाली करने वाले छोटे पशुओं और खरगोशों का विकास

3.13.1 इस योजना के अंतर्गत नाबार्ड के माध्यम से भेड़/बकरी के लिए अलग-अलग फार्म स्थापित करने का प्रावधान है। यह योजना महिला लाभार्थियों, गरीब और सीमांत किसानों के लिए है।

3.13.2 इस योजना को भेड़/बकरी वाली वाणिज्यिक निजी यूनिटों की स्थापना के लिए वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए लाभार्थी माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

3.13.3 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कजम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों को वर्ष 2011-12 भेड़/बकरी प्रजनन फार्मों को सुदृढ़ करने के प्रति सहायता करने के लिए कुल 665.19 लाख रुपए जारी किए गए हैं। वर्ष के दौरान 400.00 लाख रुपए की राशि नाबार्ड को जारी की गई थी जिसके प्रति वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में भेड़ और बकरी पालन यूनिटों की स्थापना के लिए 1066 लाभभोगियों को सहायता दी गई।

3.13.4 2012-13 के दौरान, हिमाचल प्रदेश (108), आंध्र प्रदेश (712), कर्नाटक (58), केरल (4), मध्य प्रदेश (6), महाराष्ट्र (70), पंजाब (1), अरुणाचल प्रदेश (3), असम (490), नागालैंड (3), उत्तरांचल (109), राजस्थान (137), उत्तर प्रदेश (1) तथा जम्मू और कश्मीर (20) में भेड़ और बकरी यूनिट की स्थापना करने के लिए 1722 लाभभोगियों को सहायता दी गई थी। 2012-13 के दौरान, दिसम्बर 2012 तक, 1,006.27 लाख रूपए की राशि नाबार्ड और अरूणांचल प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश राज्यों को राशि जारी की गई थी।

3.14 नर भैंस बछड़ों का बचाना और पालन करना

3.14.1 इस योजना का उद्देश्य आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, महारा्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में मीट उत्पादन के लिए भैंस बछड़ो को पालना निर्यात करने वाले बूचड़खानों के साथ संबंध विकसित करना है।

3.14.2 इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है और इससे काफी मात्रा में मीट, खाल और उपोत्पादों को उत्पन्न करने और लोगों को आहार, चारा, मीट, चमड़ा और विभिन्न निवेश सेवाओं में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियोजन देने की भी उम्मीद है। इस योजना में नाबार्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने और प्रचार किए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, यह योजना 1.00 लाख रुपए की टोकन राशि से बनाए रख गई है।

3.15 ग्रामीण बूचड़खानों की स्थापना/आधुनिकीकरण

3.15.1 नगरों/शहरों में पौष्टिक और स्वस्थ मीट आपूर्ति किए जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों में बूचड़खानों को स्थापित करने/आधुनिकीकृत किए जाने का लक्ष्य है जो इसकी उपलब्धि करा सकें। इस प्रकार शहरों में जीवित पशुओं को ले जाने, मीट की कमी के कारण मीट क्षेत्र के होने वाली हानि तथा पर्यावरणिक प्रदूषण को रोका जा सकेगा। बूचड़खानों के आसपास चर्मशोधनशालाओं को ताजे चमड़े और खाल के आगे और उपयोग के लिए रोजगार के अवसरों से गुणवत्ता वाले चमड़े के उत्पादन में वृद्धि होगी। यह योजना आरंभ में प्रायोगिक आधार पर तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और मेघालय में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

क. पशुवध की नई प्रणाली स्थापित करना।

ख. 50,000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामीण और अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में बूचड़खानों की स्थापना करना जो गैर सरकारी उद्यमकर्ताओं द्वारा चलाए जा सके।

ग. ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों की मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित करना ताकि पशुधन स्वामियों को उप-उत्पादों के उचित उपयोग से अधिक अच्छी आय प्राप्त हो सके।

घ. कोल्ड चेन के नेटवर्क की स्थापना तथा वाणिज्य आधार पर वितरण द्वारा बूचड़खानों से उपभोक्ता तक मीट के उत्पादन में स्वच्छता का सुनिश्चय करना।

3.15.2 इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है और इससे काफी मात्रा में मीट, खाल और उप-उत्पादों को उत्पन्न करने और लोगों को आहार, चारा, मीट, चमड़ा और विभिन्न निवेश सेवाओं में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार देने की भी उम्मीद है। इस योजना में नाबार्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने और प्रचार किए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, इस योजना को 1.00 लाख रुपए की टोकन राशि के साथ बनाए रखा गया है।

3.16 मृत पशुओं का उपयोग

3.16.1 मीट आयात करने वाले देश स्वच्छता के उपाय के रूप में पशुधन के अपशिष्ट और मृत पशुओं के उचित निपटान के लिए सुविधाएं मुहैय्या कराने पर जोर देते हैं। केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई), चैन्नई ने प्रतिवर्ष 24 मिलियन बड़े पशुओं तथा 17 मिलियन जुगाली करने वाले छोटे पशुओं की मृत्यु की सूचना दी है । अनुमान है कि मृत पशुओं के चमड़े/खाल और अन्य उप उत्पादों की प्राप्ति न होने/आंशिक रूप से प्राप्ति होने के कारण प्रतिवर्ष 985 करोड़ रुपए का काफी बड़ा नुकसान होता है। इस योजना में ऐसे स्थानों पर कंकालों के उपयोग केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां अधिक मात्रा में पशु होते है और इससे गरीबों को रोजगार मिलने की संभावना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

(क) पर्यावरणीय प्रदूषण और पशुओं संबंधी बीमारियों को फैलने से रोकना।

(ख) कंकालों को एकत्र करन, चमड़ा उतारने और उप उत्पादों को संशोधित करने में लगे हुए ग्रामीण गरीबों को रोजगार के अवसर मुहैय्या कराना।

(ग) समय पर प्राप्ति, अच्छे रखरखाव और परिवहन के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता की खाल और चमड़े का उत्पादन।

(घ) सिविल और रक्षा संबंधी हवाई जहाजों की पक्षियों के टकराने से होने वाले खतरों को रोकना।

3.16.2 इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है और इससे काफी मात्रा में मीट, खाल और उप-उत्पादों को उत्पन्न करने और लोगों को आहार, चारा, मीट, चमड़ा और विभिन्न निवेश सेवाओं में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियोजन देने की भी उम्मीद है। इस योजना में नाबार्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने और प्रचार किए जाने की व्यवस्था है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, इस योजना को 1.00 लाख रुपए की टोकन राशि के साथ बनाए रखा गया है।

3.17 सूअर विकास

3.17.1 इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और अर्द्ध सरकारी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले सुअर के गोश्त का उत्पादन करने और सुगठित सूअर के गोश्त के सुव्यवस्थित विपणन के लिए स्टालों में पाले गये सूअरों की पालना द्वारा विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में किसानों/भूमिहीन श्रमिकों/सहकारिताओं, जनजातियों का सहायता देना है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(क) वैज्ञानिक तरीके अपनाकर और अवसंरचना स्थापित करके सुअरों के व्यापारिक पालन को प्रोत्साहित करना।

(ख) उन्नत जर्मप्लाज्म का उत्पादन और आपूर्ति।

(ग) वैज्ञानिक प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने के लिए साझेदारों (स्टॉकहोल्डरों) को संगठित करना।

(घ) मीट उद्योग के लिए आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना।

(ड़) अच्छी आय के लिए मूल्य वृद्धि को प्रोत्साहित करना।

3.17.2 इस योजना का कार्यान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है और इससे काफी मात्रा में मीट, खाल और उप-उत्पादों को उत्पन्न करने और लोगों

को आहार, चारा, मीट, चमड़ा और विभिन्न निवेश सेवाओं में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष नियोजन देने की भी उम्मीद है। इस योजना में नाबार्ड के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण देने और प्रचार किए जाने की व्यवस्था है।

3.17.3 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान, 500.00 लाख रुपए के आबंटन के प्रति नाबार्ड को 704.00 लाख रुपए जारी किए गए थे जिसके प्रति वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में सूअर पालन और प्रजनन यूनिटों की स्थापना के लिए 1635 लाभभोगियों को सहोयता दी गई थी।

3.17.4 वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए बजट आबंट न 10.00 करोड़ रुपए है जो 31 दिसम्बर, 2012 तक जारी कर दिया गया है। नवम्बर, 2012 तक कुल 1716 लाभभोगियों को सहायता दी गई है। इस योजना में नाबार्ड के जरिए किसानों को प्रशिक्षण और प्रचार की परिकल्पना की गई है।

3.18 पशुधन स्वास्थ्य

3.18.1 व्यापक वर्ण संकर प्रजनन कार्यक्रम शुरु करके पशुधन की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही विदेशी रोगों सहित विभिन्न रोगों के प्रति इन पशुधन की संवेदनशीलता बढ़ गई है। मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से पोलीक्लीनिकों/पशुचिकित्सा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों/प्राथमिक सहायता केन्द्रों तथा मोबाइल पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। पशुचिकित्सा संस्थानों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-XI** में दिया गया है। राज्यों में मौजूदा रोग निदान प्रयोगशालाओं के अलावा रैफरल सेवाएं देने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय और 5 क्षेत्रीय निदान प्रयोगशालाएं भी काम कर रही हैं। इसके अलावा रोग निरोधक टीकों के माध्यम से प्रमुख पशुधन और कुक्कुट रोगों के नियंत्रण के लिए देश में 27 पशु चिकित्सा टीका उत्पादन यूनिटों में अपेक्षित मात्रा में टीकों का उत्पादन किया जाता है। इसमें से 20 सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

3.18.2 देश में बेहतर पशुधन स्वास्थ्य का सुनिश्चिय करने के प्रयास किए जाने के साथ-साथ देश के बाहर से रोगों के प्रवेश को रोकने और पशुचिकित्सा औषधियों और सूत्रों का मानक बनाए रखने के प्रयास भी किए जाते हैं। इस समय भारतीय औषध नियंत्रक इस विभाग के परामर्श से पशुचिकित्सा औषधियों और जैविकों की गुणवत्ता विनियमित करते हैं। पशुधन स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं।

3.19 पशु स्वास्थ्य निदेशालय

(क) पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं

3.19.1 इस सेवा का उद्देश्य पशुधन तथा पशुधन से संबंधित उत्पादों के आयात को विनियमित करके तथा पशुधन एवं पशुधन से सम्बद्ध उत्पादों, जिसका निर्यात भारत से किया जाता है, के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्यात प्रमाणीकरण प्रदान करके भारत में पशु रोगों के प्रवेश को रोकना है। देश में छः पशु संगरोध केन्द्र हैं जिनमें से नई दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई तथा कोलकाता स्थित चार मौजूदा संगरोध केन्द्र अपने परिसरों में सुचारू रूप से कार्यरत हैं जिसमें एक छोटी प्रयोगशाला शामिल है। हैदराबाद और बंगलौर स्थित अन्य नये दो पशुसंगरोध केन्द्र इस समय एयरपोर्ट कार्यालयों से कार्य कर रहे हैं जहां से कुक्कुट, पालतू पशुओं, प्रयोगशाला पशुओं के मूल स्टॉक और पशुधन का आयात पहले ही शुरु हो गया है। हैदराबाद और बंगलौर में संगरोध केन्द्रों के निर्माण के लिए आबंटित

भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस योजना से मैड-काऊ रोग (बीएसई), अफ्रीकन स्वाईन फीवर, संक्रामक इक्वीन मेट्रीटिटिस जैसे कई विदेशी रोगों के प्रवेश को रोकने में सहयोग मिला है। पशु संगरोध और प्रमाणीकरण सेवा स्टेशनों के क्रियाकलापों का विवरण **अनुबंध-XII** में दिया गया है।

ख. राष्ट्रीय पशुचिकित्सा जैविक उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण केन्द्र, बागपत

3.19.2 बागपत, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जा रहा है ताकि टीकों और जैविकों की गुणवत्ता की जांच की जा सके।

संस्थान ने काम करना शुरू कर दिया है और वह निम्नलिखित गतिविधियॉ चला रहा है:

- एलपीबी-ईएलआईएसए और टीकों की स्टरलिटी द्वारा सीरम नमूनों का परीक्षण करके एफएमडी टीकों का गुणवत्ता आश्वासन का परीक्षण करने की सुविधाओं के साथ वायरोलोजी प्रयोगशाला को कार्यात्मक बना दिया गया है।
- एफएमडी टीकों के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए पशु प्रयोग शुरु करने की सुविधाएं शुरु कर दी गई हैं। और पशुओं में प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के प्रयोजन के लिए पशुघर सुविधाओं को सामुदायिक समिति के पास पंजीकृत कर दिया गया है।
- बैक्टीरियल टीकों के स्टरलिटी परीक्षण करने के लिए बैक्टीरियोलोजी प्रयोगशाला को कार्यात्मक बना दिया गया है।
- न्यूकैसल रोग टीका (जीवंत), संक्रामक बुरसल रोग (आईबीडी) के लिए परीक्षणों के मानकीकरण के साथ कुक्कुट टीका परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर दी गई है।
- क्लीनिकल पैथोलॉजी सहित पैथोलॉजी प्रयोगशाला को कार्यात्मक बना दिया है।

ग. केन्द्रीय/क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं

3.19.3 राज्यों में मौजूदा 250 रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के अलावा रैफरल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, मौजूदा सुविधाओं को सुदृढ़ करने के जरिए एक केन्द्रीय तथा पाँच क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का पशुरोग अनुसंधान और निदान केन्द्र केन्द्रीय प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है। रोग विश्लेषण प्रयोगशाला, पुणे, पशु स्वास्थ्य और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान, कोलकाता, पशु स्वास्थ्य और जैविक संस्थान, बंगलौर तथा पशु स्वास्थ्य संस्थान, जालंधर और पशुचिकित्सा जैविक संस्थान, खानपाड़ा, गुवाहाटी क्रमशः पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, उत्तरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए रेफरल प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। एनआरडीडीएल(जलंधर), एसआरडीडीएल(बंगलौर), ईआरडीडीएल(कोलकाता) और सीडीडीएल(इज्जतनगर) स्थित प्रयोगशाला को पूर्व-निर्मित बीएसएल-3 प्रयोगशालाओं से सुदृढ़ किया गया है जबकि माबाइल बीएसएल-3 प्रयोगशाला एनईआरडीडीएल, गुवाहाटी को दी गई है। ये आरडीडीएल देश में एवियन इंफ्लूएंजा सहितस विभिन्न पशुधन और कुक्कुट रोगों की निगरानी और निदान के लिए सहायक हैं।

3.20 पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण

3.20.1 पशुधन स्वास्थ्य के मुद्दे का कारगर ढंग से समाधान करने के लिए विभाग केन्द्रीय प्रायोजित योजना ''पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण'' के माध्यम से जिसके निम्नलिखित चार घटक हैं, सहायता प्रदान करने के जरिए राज्य सरकारों के क्रियाकलापों को समर्थन दे रहा है ।

(क) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता (एएससीएडी)

(ख) व्यावसायिक दक्षता विकास (पीईडी)

(ग) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

(घ) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी)

(ड.) पशु चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण (ईएसवीएचडी)

(च) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीपीबी)

(छ) राष्ट्रीय पेस्ट डेस पेटिट्स रूमिनेंटस नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीपीपीपीआर)

(ज) राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली (एनएडीआरएस)

इन घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(क) पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता

3.20.2 इस घटक के तहत, राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पशुधन एवं कुक्कुट रोगों को प्रतिरक्षण के जरिए नियंत्रित करने, मौजूदा राज्य पशुचिकित्सा जैवकीय उत्पादन एककों के सुदृढ़ीकरण, मौजूदा रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण तथा पशुचिकित्सकों एवं पैरा-पशुचिकित्सकों को सेवाधीन प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत वर्ष 2011-12 के दौरान, 180 मिलियन टीकों के लक्ष्य की तुलना में करीब 349.70 मिलियन टीके लगाए गए हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान नवम्बर, 2012 तक 190 मिलियन टीकों के लक्ष्य की तुलना में लगभग 93 मिलियन टीके लगाए गए हैं। इसके अलावा, कार्यक्रम में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से विभिन्न पशुधन और कुक्कुट रोगों के प्रकोप पर सूचना एकत्र करने और इसे पूरे देश के सबंध में संकलित करने की व्यवस्था है। मुख्यालयों में संकलित सूचना प्रत्येक छमाही के आधार पर विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) को अधिसूचित की जाती है। भारत में वर्ष 2011 के दौरान भारत में पशुधन और कुक्कुट रोगों के प्रकोप का विवरण **अनुबंध-XIII** में दिया गया है।

(ख) व्यावसायिक दक्षता विकास

3.20.3 इसका उद्देश्य पशुचिकित्सा प्रणालियों को विनियमित करना और पशुचिकित्सा प्रैक्टिशनरों के रजिस्टर का रखरखाव करना है। इस कार्यक्रम में उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जिन्होंने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 को अपना लिया है, केन्द्र में भारतीय पशुचिकित्सा परिषद और राज्य स्तर पर राज्य पशुचिकित्सा परिषद की स्थापना की व्यवस्था है। यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों पर लागू किया गया है।

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप, आर्थिक दृष्टि से अधिकांश महत्वपूर्ण रोगों में अत्यधिक कमी हुई है। उदाहरण के लिए, 2005 में खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी) का प्रकोप 2,270 था जो कम होकर 2011 में 701 रह गया है। इसी प्रकार, हीमोरहैजिक सेप्टीसीमिया (एच एस) 775 से कम होकर 315, पीपीआर 1071 से कम होकर 197 और भेड़ और बकरी पॉक्स 529 से कम होकर 197 रह गया है।

छः मास के अंतराल पर टीका लगाने के लिए लगभ्ंग 110 मिलियन गोपशुओं और भैंसों को कवर करने केलिए खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी- सीपी) अगस्त, 2010 से 221 जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी राज्यों के सभी जिलों और उत्तर प्रदेश के 16 जिलों को कवर किया जा सके।

2011-12 के दौरान, इस कार्यक्रम के अधीन लगभग 115.9 मिलियन टीके लगाए गए जबकि 2010-11 के दौरान 69 मिलियन टीके लगाए गए थे।

3.20.4 भारतीय पशु चिकित्सा परिषद को सतत पशुचिकित्सा शिक्षा (सीवीई) के जरिए अद्यतन तकनीकी जानकारी के संबंध में प्रशिक्षण देने का कार्य सौंपा गया है।

(ग) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

3.20.5 इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश को मई, 2006 में किए गए पशुप्लेग और मई, 2007 में सीबीपीपी संक्रमण से हासिल मुक्ति को कायम रखने के लिए अपेक्षित निगरानी बनाए रखने हेतु पशुचिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करना है।

3.20.6 पशुप्लेग और संक्रामक प्लूरो न्यूमोनिया जैसे रोगों से मुक्ति की भारत की स्थिति को कायम रखने के लिए रोगों के पुनर्प्रकोप का पता लगाने हेतु देश भर में गांव, स्टाक रूट और संस्थागत जांचों के जरिए वास्तविक निगरानी की जा रही है। रोग मुक्ति की स्थिति को बरकरार रखने के लिए वास्तविक निगरानी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन विभागों के स्टाफ की सहायता से रखी जा रही है।

(घ) खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

3.20.7 खुरपका और मूंहपका रोग के कारण हुई आर्थिक हानियों को रोकने तथा फटे हुए खुरों वाले पशुओं में प्रतिरक्षण विकसित करने के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय वित्तपोषण से जिसमें टीके की लागत, कोल्ड चेन का रखरखाव और टीकाकरण के लिए अन्य लाजिस्टिक सहायता संबंधी खर्चे शामिल हैं, 221 चुने हुए जिलों में ''खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम'' नामक एक अवस्थिति विशिष्ट कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है । राज्य सरकारें अन्य अवस्थापना सुविधाएं तथा जनशक्ति मुहैया करा रही है।

3.20.8 वर्ष 2011-12 के दौरान, एफ एम डी-सी पी के तहत कवर किए गए जिलों में लगभग 115.9 मिलियन टीके लगाए गए और लगभग 96,047 (टीका लगाने से पहले तथा बाद में) सेरा नमूने एकत्रित किए गए । वर्ष 2012-13 के दौरान, 31 दिसम्ब्र, 2012 तक 110 मिलियन टीकों की तुलना में लगभग 93.2 लाख टीके लगाए गए हैं।

(ड.) मौजूदा पशु चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण

3.20.9 देश में लगभग 10094 पशु चिकित्सालय/ पॉलीक्लीनिक और 21269 औषधालय हैं। नए पशु चिकित्सालयों और औषधालयों के लिए अवस्थापना सुविधाएं स्थापित करने तथा मौजूदा अस्पतालों और औषधालयों को सुदृढ़/सुसज्जित करने में राज्यों की मदद करने के लिए विभाग 75:25 (केन्द्रः राज्य) की हिस्सेदारी के आधार पर धनराशि मुहैय्या करा रहा है। इसमें पूर्वोत्तर राज्य शामिल नहीं हैं जहां 90:10 के आधार पर अनुदान मुहैय्या कराया जाता है।

3.20.10 वर्ष 2011-12 के दौरान नए पशुचिकित्सा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों के निर्माण तथा मॉजूदा के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 90.00 करोड़ रुपए के बजट प्राक्कलन की तुलना में 98.8136 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। योजना के शुरू होने से अब तक 2514 पशुचिकित्सा अस्पताल और 2701 पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियों (710 नए निर्माण और 1,429 नवीकरण) डिसपेंसरियों को 2011-12 के दौरान योजना के तहत समर्थन दिया गया है। इस योजना के अधीन वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान के रूप में 91.00 करोड़ रुपए मुहैया किए गए हैं जिसके प्रति 31 दिसम्बर, 2012 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31.86 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

(च) राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम

3.20.11 ब्रूसेलोसिस जो कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जेनेटिक रोग है, देश के अधिकांश भागों में महामारी का रूप ले चुका है। यह पशुओं में गर्भपात और बांझपन का कारण बनता है। गर्भपात को रोकने से नई बछड़िया पैदा होंगी जिससे पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी और इस तरह दुग्ध उत्पादन में इजाफा होगा। यह नया घटक वर्ष 2010 में शुरु किया गया है और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उन इलाकों में जहां इस रोग का प्रकोप अधिक है। 6 से 8 मास की सभी मादा बछडियों के व्यापक टीकाकरण के लिए 100% केन्द्रीय सहायता मुहैय्या कराई जाती है।

3.20.12 वर्ष 2011-12 के दौरान इस घटक के तहत राज्यों को विभिन्न कार्यकलापों के लिए 15.00 करोड़ रूपए के बजट अनुमान की तुलना में 11.88 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमान के रूप में 11.00 करोड़ रूपए की राशि मुहैया कराई गई है जिसमें से 31 दिसम्बर, 2012 तक राज्यों को 5.47 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है।

(छ) राष्ट्रीय पेस्ट-डेस पेटिट्स रूमिनेंटस नियंत्रण कार्यक्रम

3.20.13 पेस्ट-डेज-पेटिट्स रूमिनेंटस (पीपीआर) एक वायरल रोग है जिसमें तेज बुखार, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल मार्ग में जलन जिसकी वजह से श्लेष्मल झिल्ली को नुकसान पहुंचता है और उसमें अल्सर हो जाता है, तथा अतिसार के लक्षण दिखाई देते हैं। पीपीआर संक्रमण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भेड़ और बकरियों में रूग्णता और मृत्यु दोनों रूपों में भारी नुकसान पहुंचाता है। वर्ष 2010 में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर पीपीआर नियंत्रण कार्यक्रम जिसमें संवेदी पशुओं का गहन टीकाकरण शामिल है, शुरु किया गया है। कार्यक्रम में सभी संवेदी बकरियों और भेड़ों और उनकी तीन आने वाली पीढियों का टीकाकरण शामिल है। पहले चरण में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा राज्यों और लक्षद्वीप, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा पुडुचेरी संध शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। दूसरा चरण बारहवीं योजना में शुरु किया जाएगा जिसके अंत में रोग के पूरी तरह नियंत्रण में आने की संभावना है।

3.20.14 वर्ष 2011-12 के दौरान इस घटक के तहत 12.50 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 3.30 करोड़ की राशि जारी की गई है। वर्ष 2011-12 के दौरान लगभग 340 लाख टीके लगाए गए। इस घटक के अधीन वर्ष 2012-13 के लिए 10.00 करोड़ रुपए का बजट अनुमान मुहैया किया गया है जिसमें से 31 दिसम्बर, 2012 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 3.60 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ज) राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली

3.20.15 इस समय, रोगों के पता चलने और निदान के आधार पर सरकारी अस्पताल/डिस्पेंसरी में कार्यरत पशुचिकित्सकों द्वारा मुख्यतया पशु रोग रिकार्ड किए जाते हैं। यह सूचना तालुक/ब्लॉक स्तर पर भेजी जाती है और तत्पश्चात् जिला और राज्य पशुचिकित्सा प्राधिकारियों को आगे भेजी जाती है। यह सूचना प्रयोगशाला निदान के आधार पर जिला, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं से रोग निदान से भी सृजित की जाती है। अन्ततः राज्य स्तर से सूचना केन्द्रीय सरकार अर्थात् पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन(ओआईई) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनपों, जो उपयुक्त हों, को सूचित करता है। आंकड़ों को सूचित करने और समेकन करने की प्रणाली मैनुअल

है, जिसमें कभी-कभी सूचना भेजने और प्रभावकारी नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्रवाई आरंभ करने मे विलम्ब हो जाता है।

3.20.16 इस प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए यह निर्णय किया गया कि फील्ड स्तर से रोगों की सूचना देने के लिए एक वैब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली हो। तद्नुसार, केन्द्रीय प्रायोजित योजना 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण' के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के रूप में राष्ट्रीय पशु रोग सूचना प्रणाली (एनएडीआरएस) स्थापित की गई थी जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। एनएडीआरएस का मुख्य उद्देश्य समय पर और तेजी से निवारक को और उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ करने की दृष्टि से देश में पशुधन रोगों की स्थिति को रिकार्ड करना और मानीटर करना है। एनएडीआरएस में एक कंप्यूटरीकृत नेटवर्क है जो देश में प्रत्येक ब्लॉक, जिला और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्यालयों को पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के नई दिल्ली में स्थित केन्द्रीय परियोजना मॉनिटरिंग यूनिट (सीपीएमयू) के साथ सम्बद्ध करता है। एनएडीआरएस एक वैब आधारित प्रणाली है जो ब्लॉक स्तर पर पशुचिकित्सा यूनिटों से पशु रोगों की उत्पति के आंकड़ों की सूचना देगी।

3.20.17 वर्ष 2012-13 के दौरान एनएडीआरएस के लिए अनुमोदित परिव्यय 10.00 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के दो दौर आयोजित किए हैं; एक दौरा मूलभूत कंप्यूटर कार्यक्रमों के बारे में है और दूसरा दौर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनएडीआरएस से सम्बद्ध पशुचिकित्सा व्यावसायिकों के लिए साफ्टवेयर के अनुप्रयोग के संबंध में है ताकि वे रोग के आंकड़ों को भेजने के लिए साफ्टवेयर का उपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के भी तीन दौर किए गए हैं। इस प्रणाली को शीघ्र कार्यात्मक बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

एवियन इन्फ्लूएंजा पर नियंत्रण करने और उसकी रोकथाम करने के लिए कारगर उपाय किए गए थे। 8 सितम्बर, 2011 से पिछली 10 घटनाओं में यह रोग स्रोत पर ही रोक दिया गया था। रोग के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए एक संतुलित कार्य योजना के माध्यम से रोग के प्रकट होने के 15 दिन के अंदर रोग पर काबू भी पा लिया गया था।

3.21 एवियन इंफ्लूएंजा: तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम

3.21.1 कुक्कुट में एवियन इन्फ्लूएंजा की मौजूदा लहर (जिसे आम तौर पर बर्ड फ्लू के नाम से जाना जाता है) 1997 में हांगकांग में शुरु हुई थी। इससे वर्ष 2003 से लेकर अब तक एशिया, यूरोप, अमरीका और अफ्रीका में पक्षियों की अनेक प्रजातियां प्रभावित हुई हैं। 2003-2009 की अवधि के दौरान घरेलू कुक्कुट/वन्य जीव में कुल 62 देशों ने एवियन इंफ्लूएंजा होने की रिपोर्ट दी जिसमें से 50 देशों ने इस रोग को घरेलू कुक्कुट में बताया है। वर्ष 2012 के दौरान, 21 देशों में एवियन इन्फ्लूएंजा की सूचना दी गई है।

सारणी 3.5 दिसम्बर, 2012 तक एवियन इन्फलूएंजा का प्रकोप

एपिसोड	अवधि	प्रभावित राज्य	प्रकोप के केन्द्रों की संख्या	मारे गए पक्षी (लाख की संख्या में)	अदा की गई क्षतिपूर्ति (लाख रुपए में)
पहला	फरवरी-अप्रैल, 2006	महाराष्ट्र	28	9.4	270.00
	फरवरी, 2006	गुजरात	1	0.92	32.00
दूसरा	मार्च, 2006	मध्य प्रदेश	1	0.09	3.00
तीसरा	जुलाई, 2007	मणिपुर	1	3.39	94.00
चौथा	जनवरी-मई, 2008	पश्चिम बंगाल (पहला प्रकोप)	68	42.62	1229.00

एपिसोड	अवधि	प्रभावित राज्य	प्रकोप के केन्द्रों की संख्या	मारे गए पक्षी (लाख की संख्या में)	अदा की गई क्षतिपूर्ति (लाख रुपए में)
पांचवा	अप्रैल, 2008	त्रिपुरा	3	1.93	71.00
छठा	नवम्बर-दिसम्बर, 2008	असम	18	5.09	170.00
सातवां	दिसम्बर, 2008-मई, 2009	पश्चिम बंगाल (दूसरा प्रकोप)	11	2.01	36.00
आठवां	जनवरी, 2009	सिक्किम	1	0.04	3.00
नौवा	जनवरी, 2010	पश्चिम बंगाल (तीसरा प्रकोप)	12	1.56	68.80
दसवां	फरवरी-मार्च, 2011	त्रिपुरा	2	0.21	2.40
ग्याहरवां	सितम्बर, 2011	असम	1	0.15	6.52
बाहरवां	सितम्बर,, 2011	पश्चिम बंगाल	2	0.49	19.29
तेरहवां	जनवरी, 2012	ओडिशा	1	0.32	24.71
चौदहवां	जनवरी, 2012	मेघालय	1	0.07	7.89
पन्द्रहवां	जनवरी, 2012	ओडिशा	1	0.11	5.87
सोलहवां	जनवरी, 2012	त्रिपुरा	1	0.06	1.20
सत्रहवां	फरवरी, 2012	ओडिशा	1	0.38	2.86
अठारहवां	मार्च, 2012	त्रिपुरा	1	0.05	0.09
उन्नीसवां	अप्रैल, 2012	त्रिपुरा	1	0.02	0.72
बीसवां	अक्तूबर, 2012	कर्नाटक	1	0.33	शून्य
कुल			**157**	**69.24**	**2048.35**

3.21.2 भारत सरकार ने एवियन इंफ्लूएंजा के जारी प्रकोप के नियंत्रण और रोकथाम तथा देश में इसके प्रवेश को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(i) एवियन इंफ्लूएंजा के लिए तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए कार्य योजना में 2012 में संशोधन किया गया था और यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को कार्यान्वयन के लिए परिचालित की गई थी।

(ii) 0-1 कि0मी0 की परिधि में प्रभावित क्षेत्र की सभी कुक्कुटों को मारना।

(iii) प्रयोगशालाओं के उन्नयन, मानवशक्ति के प्रशिक्षण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामग्रियों का स्टॉक बनाने के संदर्भ में भविष्य में किसी भी घटना का सामना करने के लिए तैयारियों का निरंतर सुदृढ़ीकरण।

(iv) पशुचिकित्सा कर्मियों का तैयारी, नियंत्रण तथा रोकथाम संबंधी प्रशिक्षण जारी है। लगभग 90% पशुचिकित्सा कार्यबल को नियंत्रण और रोकथाम कार्य में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, एवियन इंफ्लूएंजा की शीघ्र सूचना देने के लिए 44395 सामुदायिक कामगारों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(v) एवियन इन्फ्लूएंजा के निदान को सुदृढ़ करने के लिए जालंधर, कोलकाता बंगलौर और बरेली में प्रि-फैब्रीकेटिड बायो-सेफ्टी स्तर 3 (बीएसएल3) प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जालंधर, कोलकाता और बंगलौर स्थित प्रयोगशालाएं पहले से ही कार्य कर रही हैं। बरेली स्थित प्रयोगशाला में भी एक महीने के अंदर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। दो बीएसएल 3 प्रयोगशालाएं पुणे और गुवाहाटी में स्थापित की जानी हैं। 23 राज्य रोग नैदानिक प्रयोगशालाओं को बीएसएल 2 स्तर पर उन्नत किया जा रहा है। सत्रह प्रयोगशालाओं ने पहले ही कार्य करना शुरु कर दिया है। शेष प्रयोगशालाएं पूरा होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(vi) नियंत्रण कार्यों के लिए आवश्यक सामग्री के रिजर्व को विकसित कर लिया गया है और इसका आगे विस्तार किया जा रहा है।

(vii) सूचना,शिक्षा तथा संचार (आईईसी)अभियानों के माध्यम से एवियन इंफ्लूएंजा के संबंध में आम लोगों को सुग्राही बनाना।

(viii) न केवल प्रकोपों बल्कि कुक्कुट में असामान्य बीमारी/मृत्यु तथा प्रयोगशाला निदानों के संबंध में भी सूचना देने के प्रति सुस्पष्ट दृष्टिकोण।

(ix) सभी राज्य सरकारों को रोग के प्रकोप, यदि कोई हो, के प्रति सतर्क रहने के लिए सावधान कर दिया गया है।

(x) एचपीएआई पॉजिटिव देशों से कुक्कुट तथा कुक्कुट उत्पादों के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(xi) पड़ोसी देशों से सटे सीमा चेक पोस्टों को सुदृढ़ किया गया है।

(xii) रोग नियंत्रण, निगरानी और जैव सुरक्षा के महत्व के विभिन्न पहलुओं पर कुक्कुट पालकों को आगे दिशानिर्देश देने के लिए राज्यों को परामर्श जारी किए गए हैं।

(xiii) विभाग घरेलू और वन्य, दोनों तरह के पक्षियों में एवियन इंफ्लूएंजा की निगरानी और जानपदिक रोग में सुधार करने के लिए क्षमता निर्माण करने के उद्देश्य से 'भारत में अत्यधिक रोगजनिक एवियन इंफ्लूएंजा के लिए आपातिक तैयारी को मजबूत करने के लिए तत्काल तकनीकी सहायता' के संबंध में एफएओ परियोजना भी क्रियान्वित कर रहा है।

3.22 पशुपालन सांख्यिकी

3.22.1 एकीकृत नमूना सर्वेक्षण नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत किए गए वार्षिक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर दूध, अंडे, मीट व ऊन जैसे प्रमुख

पशुधन उत्पादों के उत्पादन का आकलन किया जाता है। सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं। योजना के तहत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को पात्र पदों के लिए वेतन संबंधी खर्च का क्रमशः 50% और 100% केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित के लिए भी मुहैया कराई जाती है : (i) परिगणकों और पर्यवेक्षकों को सर्वेक्षण के लिए निर्धारित दर पर यात्रा/मंहगाई भत्ते के लिए (ii) पशुधन सेक्टर में प्रणालियों के अध्ययन और विकास हेतु (iii) सूचना प्रोद्योगकी (आईटी) सोल्यूशनों के लिए और (iv) आईएसएस प्रणाली के संबंध में पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु।

3.22.2 वार्षिक सर्वेक्षण मार्च से फरवरी तक आयोजित किए जाते हैं। 'पशुपालन और डेयरी सांख्यिकी के उन्नयन के लिए निर्देश संबंधी तकनीकी समिति (टीसीडी) योजना के संचालन में विभाग को दिशानिर्देशित करती है। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पशुपालन/भेड़ पालन निदेशक, चार चुनिंदा राज्यों के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक, सीएसओ और एनएसएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), आनन्द, डीएमआई, आईएएसआरआई और भारतीय सांख्यिकी संस्थान जैसी अन्य स्वायत्त एजेंसियों के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य हैं। महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इस समिति के अध्यक्ष हैं। राज्य/संघ शासित प्रदेश एम एल पी के अवधिवार और साथ ही वार्षिक अनुमान भी संकलित करते हैं। एमएलपी के अवधि वार एवं वार्षिक आकंडों पर टीसीडी की बैठक में विचार-विमर्श किया जाता है। एक बार बैठक में आकंडों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन वार्षिक आंकड़ों को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। इन आंकडों को विभाग के द्विवार्षिक प्रकाशन ''बेसिक एनीमल हसबेंडरी स्टेटिस्टिक्स'' में भी प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन का अद्यतन अंक 2012 का है।

3.22.3 आईएसएस कार्य प्रणालियों में पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

3.22.4 समेकित नमूना सर्वेक्षण के तहत संग्रहीत आकड़ों की प्रणाली की समीक्षा करने के लिए जनवरी, 2009 में विभाग के पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। आई एस एस के तहत आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली और अनुसूचियां वर्ष 2012-13 की ग्रीष्म ऋतु अर्थात् मार्च, 2012 से कार्यान्वित की जाएंगी ।

3.23 पशुधन संगणना

3.23.1 प्रथम पशुधन संगणना 1919-20 में आयोजित की गई थी और तब से यह भारत में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 5 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। यह एकमात्र ऐसा स्रोत है जो फार्म पशुओं और कुक्कुट पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के संबंध में सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध कराता है। विभाग ने 15.10.2012 की संदर्भ तारीख के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभागों के माध्यम से देश में 15 सितम्बर, 2012 को 19वीं पशुधन संगणना आरंभ की है। 19वीं पशुधन संगणना का श्रमसाध्य कार्य जममू और कश्मीर तथा सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों में 15 अक्तूबर, 2012 तक पूरा करना अनुसूचित था। जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम में यह काकर्य क्रमशः अक्तूबर और नवम्बर, 2012 में पूरा किया जाना अनुसूचित था। चुनिन्दा गांवों की पूर्ण संगणना के साथ 15 प्रतिशत नमूना सर्वेक्षण के रूप में 19वीं पशुधन संगणना नस्ल सर्वेक्षण की योजना बनाई गई है।

3.23.2 सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों मे यह श्रमसाध्य कार्य लगभग पूरा हो गया है। डाटा एंट्री साफ्टवेयर को अंतिम रूप दिया जा रहा है ओर 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में डाटा एंट्री केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं।

3.23.3 यह संगणना 100 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में की जा रही है। संगणना के प्रमुख घटकों अर्थात् कार्यक्रमों और प्रशिक्षण मैनुअलों के मुद्रण, प्रशिक्षण, प्रचार, गणना, पर्यवेक्षण, आकस्मिक खर्चों और गणना के परिणामों को तालिकाबद्ध करने के लिए समर्थन के संबंध में राज्यों को सहायता दी जाती है।

3.23.4 इस विभाग के पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति निम्नलिखित के लिए गठित की गई हैः-

1. नस्लवार पशुधन संगणना करने की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा, विभिन्न समस्याओं/बाधाओं की पहचान करना और इन पर काबू पाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना ताकि नस्लवार संगणना सुचारू रूप से और समय पर सके।

2. नस्लवार संगणना के लिए कवरेज, जांच की अनुसूची, अनुदेश, तौर-तरीके, प्रशिक्षण।

3.23.5 तकनीकी समिति के निर्देश के अनुसार, नस्ल संगणना के लिए जांच अनुसूचियां, नियम-पुस्तिका और तौर-तरीकों आदि का प्रारूप तैयार करने के लिए 'नस्ल संबंधी विशेषीकृत समूह की उप-समिति' सलाहकार (सांख्यिकी) की अध्यक्षता में गठित की गई है और उसे उप समिति द्वारा अंतिम रूप दिया गया है।

3.23.6 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 20 प्रतिशत नमूना आधार पर पशुधन संगणना करने का अन्वेषण किया जाए। पशुधन संगणना के लिए नमूना सर्वेक्षण की गणना से तौर-तरीकों में परिवर्तन के लिए आईएएसआरआई से सुझाव भी मांगे गए हैं।

3.24 पशुधन बीमा

3.24.1 पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि रोग नियंत्रण के और अधिक प्रभावकारी उपाय प्रदान करने और पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता को सुधारने के साथ-साथ किसानों और पशुपालकों को ऐसे पशुओं की संभावित हानि के लिए सुनिश्चित सुरक्षा तंत्र प्रदान किया जाए। यह योजना 10.12.2009 से 300 चुनिन्दा जिलों को कवर करती है।

3.24.2 इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना के दो उद्देश्य हैं- अपने पशुओं को किसानों और पशुपालकों को मृत्यु के कारण होने वाली संभावित हानि के लिए सुरक्षात्मक तंत्र प्रदान करना और पशुधन बीमा के लाभ को प्रदर्शित करना। इस योजना से उन किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचता है जिनके पास स्वदेशी/वर्ण संकरित दुधारू गोपशु और भैंसे हैं। राजसहायता के लाभ को दो पशु प्रति लाभार्थी प्रति परिवार तक सीमित रखा जाएगा। इस योजना के तहत निधियों का उपयोग प्रीमियम राजसहायता के भुगतान, पशुचिकित्सकों को उनकी सेवा के लिए मानदेय प्रदान करने तथा लक्षित समूह के बीच जागरूकता लाने के प्रचार-प्रसार में किया जा रहा है। बीमा प्रीमियम का 50% भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाता है और शेष का भुगतान भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

3.24.3 इस योजना के तहत कवर किए गए जिलों की सूची **अनुबंध-XIV** में दी गई है। वर्ष 2012-13 के दौरान, दिसम्बर, 2012 तक राज्यों को 36.85 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है और 8.03 लाख पशुओं का बीमा किया जा चुका है1

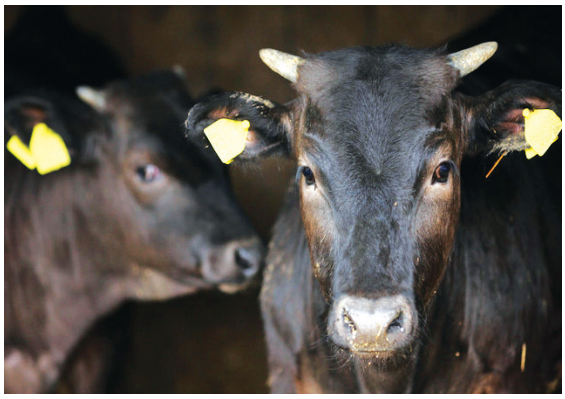

अध्याय 4

डेयरी विकास

अध्याय 4

डेयरी विकास

4.1 भारतीय डेयरी क्षेत्र का 9वीं योजना से पर्याप्त विकास हुआ है जिसके परिणामस्वरूप हमारा देश विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में पहला स्थान रखता है। 2010-11 में दूध का उत्पादन 121.8 मिलियन टन था जो 2011-12 में बढ़कर 127.9 मिलियन टन हो गया है। यह हमारी बढ़ती हुई आबादी के लिए दूध और दुग्ध उत्पादों की उपलब्धता में सतत वृद्धि का द्योतक है। डेयरी लाखों ग्रामीण परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण द्वितीय स्रोत बन गया है और उन लाखों लोगों, विशेष रूप से सीमांत किसानों और महिला किसानों के लिए रोजगार और आय के अवसर जुटाने में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही है। वर्ष 2011-12 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 290 ग्राम प्रतिदिन के स्तर तक पहुंच गई है जो 284 ग्राम प्रतिदिन की विश्व औसत से अधिक है। देश में अधिकांश दूध का उत्पादन छोटे, सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता है। मार्च 2012 तक लगभग 14.78 मिलियन किसानों को 1,48,965 ग्राम स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों के तहत लाया गया है।

4.2 डेयरी क्षेत्र में विभाग के प्रयास गैर-ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में डेयरी क्रियाकलापों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है जिसमें दुग्ध और दुग्ध उत्पाद की गुणवत्ता उत्पादन करने के लिए राज्यों में सहकारिताओं की ढांचागत संरचना तैयार करना, रूग्ण डेयरी सहकारी संघों का पुनरुत्थान करना तथा मूलभूत सुविधाओं का सृजन करना शामिल है। विभाग 11 वीं योजना के दौरान डेयरी क्षेत्र में चार योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ऑपरेशन फ्लड क्षेत्रों में डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अपनी गतिविधियों को जारी रख रहा है। इस विभाग द्वारा क्रियान्वित डेयरी विकास योजनाओं का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित है जिसमें 31.12.2012 तक वास्तविक और वित्तीय प्रगति दर्शाई गई है।

4.3 गहन डेयरी विकास परियोजनाएं (आईडीडीपी)

4.3.1 गहन डेयरी विकास परियोजना (आई डी डी पी) नामक योजना को गैर ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में 100% अनुदान सहायता आधार पर 1993-94 में आरंभ किया गया था। योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1) दुधारू गोपशुओं का विकास;

2) तकनीकी आदान सेवाएं प्रदान करके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि;

3) लागत प्रभावी तरीके से दूध की अधिप्राप्ति, प्रसंस्करण तथा विपणन;

4) दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना;

5) अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाना;

6) अपेक्षाकृत अधिक उपेक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामाजिक, पौषणिक तथा आर्थिक दर्जे में सुधार।

4.3.2 मार्च, 2005 में योजना का संशोधन किया गया था। संशोधित योजना को 'गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आईडीडीपी)' का पुनः नाम दिया गया है । इस समय योजना को पर्वतीय, पिछड़े क्षेत्रों तथा उन जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिन्हें ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत डेयरी विकास कार्यकलापों

के लिए 50.00 लाख रुपए से कम धनराशि मिली थी। राज्य सहकारी दूग्ध परिसंघों/जिला सहकारी दुग्ध संघों की विशेषज्ञता और व्यावसायिकता को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा परियोजनाएं क्रियान्वित की जाती है और संशोधित योजना के अंतर्गत धनराशि कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे जारी की जाती है। इस योजना के अधीन लिंग और श्रेणी में कोई भेदभाव नहीं है

4.3.3 योजना की शुरुआत से, 111 योजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है। इनमें से 58 परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं तथा 53 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 31 जनवरी,2013 तक कुल 675.26 करोड़ रुपए के परिव्यय से 27 राज्यों एवं एक संघ शासित प्रदेश में 256 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के आत्महत्या संभावित जिलों के लिए 'पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी के लिए विशेष पैकेज' शामिल हैं। इन परियोजनाओं से प्रतिदिन 30.58 लाख लीटर दूध की अधिप्राप्ति तथा 23.30 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के विपणन द्वारा विभिन्न राज्यों के 32,206 गांवों के 23.70 लाख कृषकों को लाभ हुआ है। इस योजना के तहत 22.11 लाख लीटर की दूध की प्रतिदिन चिलिंग क्षमता तथा 32.08 लाख लीटर प्रतिदिन प्रसंस्करण क्षमता सृजित की गई है।

4.4 गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना

4.4.1 घरेलू बाजार में दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने और अंर्तराष्ट्रीय बाजार में दुग्ध उत्पादों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए, विभाग ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ वर्ष 2003-04 के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना नामतः गुणवत्ता और स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण आरम्भ की है:

i) उपभोग केन्द्रों तक किसानों के स्तर पर गुणवत्ता दुग्ध और दूध उत्पादों के उत्पादन परीक्षण और विपणन के लिए बुनियादी सुविधाएं सृजित करना

ii) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्रशिक्षण देना और अवस्थापना तंत्र को सुदृढ़ करना

iii) वच्चो दूध के तत्काल प्रशीतन के लिए दुग्ध संग्रहण केन्द्रों में भारी मात्रा में दुग्ध प्रशीतन सुविधाओं की स्थापना करने के जरिए कच्चे दूध की गुणवत्ता में सुधार लाना ।

4.4.2 मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिशों के आधार पर विभाग ने अतिरिक्त घटक शामिल करके, मौजूदा घटकों के अधीन वित्तीय सीमाओं में वृद्धि करके और सहायता की पद्धति में संशोधन करके 2011-12 के दौरान इस योजना में संशोधन किया है। नए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए परियोजना-पूर्व बैंचमार्क सर्वेक्षण को अनिवार्य किया गया है। यह योजना जिला स्तरीय सहकारी दुग्ध संघों/राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध परिसंघों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

4.4.3 इसकी वित्तपोषण सहायता पद्धति इस प्रकार है कि लाभ अर्जन कर रहे दुग्ध संघों को (जिन्होंने विगत वर्ष 31 मार्च को 1 करोड़ रूपए से अधिक लाभ कमाया हो) 75 प्रतिशत सहायता अनुदान तथा सभी अन्य दुग्ध संघों को 100 प्रतिशत सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। योजना राज्य सरकार के माध्यम से जिला स्तरीय सहकारी दुग्ध संघों/राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध परिसंघ द्वारा कार्यान्वित की जाती है ।

4.4.4 शुरुआत से, विभाग ने 31 दिसम्बर, 2012 तक 254.43 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी के साथ 309.03 करोड़ रुपए की कुल लागत से 22 राज्यों तथा एक संघ शासित प्रदेश को शामिल करते हुए 167 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। इन में से 90 परियोजनाएं पूरी हो गई है और शेष 77 परियोजनाएं क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं

में हैं। अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2012-13 (31 दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान 204.01 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। लगभग 6.82 लाख किसान सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 43.82 लाख लीटर की कुल चिलिंग क्षमता वाले 2,166 बल्क दूध कूलर लगाए गए हैं और 1,452 मौजूदा प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है।

4.5 सहकारिताओं को सहायता

4.5.1 जिला स्तर पर बीमार डेयरी सहकारी संघों तथा राज्य स्तर पर सहकारी परिसंघों को पुनर्जीवन देने के उदेश्य से वर्ष 1999-2000 में यह योजना आरंभ की गई थी। भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ 50:50 की हिस्सेदारी आधार पर इस योजना का क्रियान्वयन नाबार्ड द्वारा किया जा रहा है। इस पुनर्वास योजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास

बोर्ड द्वारा संबंधित राज्य डेयरी परिसंघों/जिला दुग्ध संघों के परामर्श से तैयार किया गया है। प्रत्येक पुनर्वास योजना को इस तरह से तैयार किया जाता है कि बीमार सहकारिता का निवल मूल्य इस योजना के अनुमोदित होने की तिथि से 7 वर्षों की अवधि के अन्दर सकारात्मक हो जाएगा।

4.5.2 इस योजना के आरंभ से, 31 दिसम्बर, 2012 तक विभाग ने 310.91 करोड़ रुपए की कुल लागत तथा 155.64 करोड़ रुपए की केन्द्रीय हिस्सेदारी के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, असम, नागालैंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में बीमार दुग्ध संघों के 42 पुर्नवास प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। 31 दिसम्बर, 2012 तक बीमार सहकारी दुग्ध संघों को 120.64 करोड़ रुपए की कुल राशि केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले 42 दुग्ध संघों में से 16 की स्थिति में सुधार हुआ है और 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार उन्होंने लाभ कमाया है।

4.6 डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना

4.6.1 विभाग ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए डेयरी उद्यम पूंजीगत निधि योजना के स्थान पर दिनांक 1.9.2010 से डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना (डीईडीएस) नामक एक आशोधित योजना शुरू की है । इस योजना का उद्देश्य स्व-रोजगार के अवसरों के माध्यम से गरीबी के उपशमन में मदद करते हुए देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना है । यह योजना नाबार्ड के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है और यह बैंक ग्राह्य परियोजनाओं को वाणिज्यिक, सहकारी, शहरी तथा ग्रामीण बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। साथ ही इस योजना के मानको की शर्त पर केन्द्रीय सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक की बैक एंडिड कैपिटल सब्सिडी तथा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के लाभार्थियों को परियोजना लागत के 33.33 प्रतिशत तक की

बैक एंडिड कैपिटल सब्सिडी प्रदान करती है। किसान, व्यक्तिगत तौर पर उद्यमी, असंगठित तथा संगठित क्षेत्र के समूह इसके पात्र लाभार्थी हैं। संगठित क्षेत्र के समूह में स्व-सहायता समूह, डेयरी सहकारिता सोसायटी, जिला स्तरीय दुग्ध संघ, राज्यों के दुग्ध परिसंघ इत्यादि शामिल हैं।

4.6.2 इस योजना के आरंभ से 31 दिसम्बर 2012 तक नाबार्ड ने 62,046 डेयरी युनिटें स्वीकृत करने के लिए लाभार्थियों को 251.20 करोड़ रूपए की राशि वितरित कर दी है। साथ ही भारत सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान नाबार्ड को 140 करोड़ रूपए की राशि जारी की है जिसमें से 31.12.2012 तक नाबार्ड ने 32,749 डेयरी युनिटों की स्थापना हेतु 127.13 करोड़ रूपए की बैक एंडिड कैपिटल सब्सिडी जारी कर दी है।

4.7 राष्ट्रीय डेयरी योजना

4.7.1 इसके अतिरिक्त दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने फरवरी, 2012 में 2242 करोड़ रुपए के कुल निवेश से 2011-12 से 2016-17 तक कार्यान्वित किए जाने वाले राष्ट्रीय डेयरी योजना-1 (एनडीपी-1) को अनुमोदित कर दिया है। एनडीपी-। उत्पादकता बढ़ाकर, दुग्ध प्रापण के लिए ग्राम स्तरीय अवसंरचना के सुदृढीकरण तथा विस्तार के माध्यम से धरेलू उत्पादन द्वारा 2016-17 तक देश की अनुमानित 150 मिलियन टन दूध की मांग को पूरा करने में सहायता करेगी तथा उत्पादकों को बाजारों तक और अधिक पहुंच प्रदान करेगी। इसकी कार्यनीति में बोवाइनों की आनुवंशिक क्षमता बढ़ाना, अच्छी नस्ल के सांडों का अपेक्षित संख्या में उत्पादन, उत्कृष्ट क्वलिटि के हिमित वीर्य का उत्पादन तथा जैव सुरक्षा के पर्याप्त उपायों का अपनाना शामिल है। यह योजना नाबार्ड द्वारा अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों (ईआईए) द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इन एजेंसियों में राज्य पशुधन बोर्ड, राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ, जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, उत्पादक कम्पनियां, ट्रस्टें (गैर सरकारी संगठन, सेक्शन 25 की कम्पनियां), सांविधिक संस्थाओं की समनुषंगियां, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान तथा पशु चिकित्सा/डेयरी संस्थान/विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। एनडीपी-। देश में 90% से अधिक के दुग्ध उत्पादन के लिए उत्तरदायी 14 प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और केरल पर ध्यान केंद्रित करेंगी। एनडीपी-चरण-। के अंतर्गत पूरे राज्य को कवर किया जाएगा ताकि देशभर में इस योजना का लाभ उठाया जा सके। राष्ट्रीय डेयरी योजना, चरण-। के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(1) दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करना ताकि दूध की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दूध के उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

(2) संगठित दुग्ध-प्रसंस्करण क्षेत्र तक ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की और अधिक पहुंच बढ़ाने में सहायता करना।

4.7.2 एनडीपी-I के प्रमुख घटक हैं (i) प्रजनन (ii) दुधारू पशुओं के लिए वैज्ञानिक पोषण कार्यक्रम (iii) ग्राम आधारित दुग्ध प्रापण प्रणाली, (iv) परियोजना प्रबंधन और जानकारी। भारत सरकार (आईडीए सहित), द्वारा 6 वर्षों के लिए प्रदान की जाने वाली बजटीय सहायता का गतिविधि वार तथा वर्ष-वार विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:

तालिका 4.1 एनडीपी, चरण-I के लिए बजटीय सहायता

(रु करोड़ में)

	घटक	आईडीए* क्रेडिट	भारत सरकार का हिस्सा	कुल परिव्यय
क	उत्पादकता बढ़ाना	1027	114	1141
ख	प्राप्त दूध को मापने, उसकी गुणवत्ता जांचने तथा दुग्ध उत्पादकों को अदायगी करने के लिए ग्राम आधारित दुग्ध प्रापण प्रणाली	439	49	488
ग	परियोजना प्रबंधन तथा जानकारी	118	13	131
	कुल	1584	176	1760

*आईडीए- अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक की समनुषंगी)

4.7.3 इस योजना का परिव्यय 2242 करोड़ रुपए है जिसमें से 1584 करोड़ रुपए आईडीए विश्व बैंक सहायता के रूप, में 176 करोड़ रुपए भारत सरकार के हिस्से के रूप में, 282 करोड़ रुपए प्रतिभागी राज्यों में इस परियोजना को कार्यान्वित करने वाली अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों (ईआईए) के हिस्से के रूप में तथा लगभग 200 करोड़ रुपए इस परियोजना के लिए तकनीकी तथा कार्यान्वयन सहायता प्रदान करने के लिए एनडीडीबी तथा उसकी समनुषगियों द्वारा गए गए हैं। इस स्कीम का 2016-17 तक हर वर्ष 150 मिलियन टन दूध उत्पादन का लक्ष्य है।

4.7.4 एनडीपी चरण-I, इस विभाग द्वारा मार्च, 2012 मे प्रारंभ किया गया था । 31.12.2012 तक एनडीडीबी को 79.00 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की जा चुकी है, योजना के कार्यान्वयन हेतु 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार 8 राज्यों की 49 उप-परियोजनाओं को परियोजना विषय-निर्वाचन समिति ने अनुमोदित कर दिया है। इन उप-परियोजनाओं का कुल परिव्यय 329.89 करोड़ रुपए है जिसमें से 307.19 करोड़ रुपए एनडीपी-I से प्राप्त अनुदान सहायता है तथा 22.70 करोड़ रुपए ईआईए का अंशदान है।

4.7.5 इस विभाग ने 11वीं योजना के दौरान डेयरी सेक्टर के विकास के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की हैं तथा वर्ष 2011-12 के उत्तरार्द्ध में राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-I नामक एक नई योजना प्रांरभ की है।

(1) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम

(2) गुणवत्तापूर्ण तथा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ करना

(3) सहकारिताओं को सहायता

(4) डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना

(5) राष्ट्रीय डेयरी योजना-चरण-I (2011-12 से 2016-17 तक)

4.7.6 डेयरी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 11वीं योजना के दौरान 582 करोड़ रुपए के आवंटन में से 571.82 करोड़ रुपए की कुल राशि जारी की गई थी और वर्ष 2012-13 के दौरान 390 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान में से 31.12.2012

तक 284.15 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। 12वीं योजना के दौरान उपर्युक्त क्रम संख्या 5 (क, ख और ग) पर दी गई योजनाओं तथा राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना को मिलाकर 1800 करोड़ रुपए के आबंटन वाले राष्ट्रीय गोपशु प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम नामक योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है।

4.8 मानसून की कमी और डेयरी उद्योग पर इसका प्रभाव

4.8.1 डेयरी क्षेत्र पर मानसून की कमी का प्रभाव कई तरह से पड़ता है जैसे कि फसल उत्पादन कम होने तथा हुई फसल की बढ़ती हानि के कारण फसल अवशेषों तथा अन्य आहार तत्वों का अभाव; पुनरूत्पादन क्षमता में गिरावट; पशु रोगों विशेष रूप से वायरल तथा दुधारू पशुओं में प्रोटोजोआन का बढ़ता प्रकोप और दूध के उत्पादन में गिरावट होना । हरे चारे और क्वालिटी सान्द्रणों की कमी के कारण प्रजनन योग्य बोवाइनों की प्रजनन क्षमता में बहुत अधिक गिरावट हो रही है । दुग्ध उत्पादन एवं प्रजनन क्षमता में गिरावट सबसे अधिक संकर नस्ल के गोपशुओं और उसके बाद भैंसों में देखी जाए।

4.9 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा पोस्ट ऑपरेशन फ्लड तथा सहकारी आन्दोलन का समेकन

4.9.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) एक सांविधिक निकाय है । इसका मुख्यालय आणंद, गुजरात (भारत) में है । एनडीडीबी योजनाओं को बढ़ावा देता है तथा डेयरी तथा और कृषि आधारित एवं सम्बद्ध उद्योगों का सहकारी पद्धति पर विकास करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करता है तथा इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करता है । एनडीडीबी की स्थापना 1965 में हुई थी। 1987 में, एनडीडीबी को राष्ट्रीय संसद के अधिनियम द्वारा महत्व का संस्थान और एक सांविधिक निकाय घोषित किया गया था।

4.9.2 सहकारिताओं का सुदृढ़ीकरण

4.9.2.1 वर्ष 2011-12 के दौरान, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, डेयरी अवसंरचना सहकारिताओं को सहकारी कार्य को सुदृढ़ करने, उत्पादकता संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन, डेयरी तंत्र का निर्माण करने और राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क तैयार करने के क्षेत्रों में तकनीकी और वित्तीय सहायता देता रहा है। 31 अक्तूबर, 2012 तक 2745 करोड़ रूपए के कुल परिव्यय से परिप्रेक्ष्य योजना के तहत लगभग 100 डेयरी सहकारिताओं की योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इसमें से 2205 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी।

4.9.3 पशु प्रजनन

4.9.3.1 इस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने संतति परीक्षण (पीटी) कार्यक्रमों, नस्लों (पीएस) के चयन सबंधी कार्यक्रमों, हिमित वीर्य स्टेशनों तथा कृत्रिम गर्भाधन प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी), न्यूनतम मानकों तथा मूल्यांकन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने को सुकर बनाया है।

4.9.3.2 एनडीपी-I के अंतर्गत छह संतति परीक्षण परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया नामतः है। कर्नाटक दुग्ध परिसंघ द्वारा होल्स्पयिन फ्रीसियन गोपशु के, गोशाला साबरमती आश्रम द्वारा वर्णसंकर होल्स्पयिन गोपशु के, तमिलनाडु सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघ द्वारा वर्णसंकर जर्सी गोपशु के; साबरमती आश्रम गोशाला द्वारा मुर्रा भैंसों के; मेहसाना दुग्ध संघ द्वारा मेहसाना भैंसों के लिए तथा बनसकांथा दुग्ध संघ द्वारा मेहसाना भैंसों के उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाले सांडों के उत्पादन हेतु पीटी परियोजनाएं; पंजाब पशुधन विकास बोर्ड (सलोन) द्वारा मुर्राभैंसों के लिए तथा आंधा पशुधन विकास एजेंसी द्वारा संकर जर्सी गोपशु के लिए पीटी परियोजनाएं अभी तैयार की जा रही हैं।

4.9.3.3 एनडीपी-I के अंतर्गत गोपशुओं तथा भैंसों की स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए गिर और कंकरेज गोपशु तथा जाफरावादी भैंसों के लिए नस्लों के चयन संबंधी (पीएस) परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया है।

4.9.3.4 इस वर्ष के दौरान एनडीडीबी ने राजस्थान के बीकानेर तथा श्रीगंगानगर जिलों में यूआरएमयूएल ट्रस्ट के साथ राठी प्रजनन विकास परियोजना के अंतर्गत घर की दहलीज पर कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखा। इस परियोजना को एनडीपी-I के अंतर्गत लाने की योजना तैयार की जा रही है।

4.9.3.5 गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने के लिए क्वालिटी हिमित वीर्य की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एनडीपी-I के अंतर्गत एनडीडीबी ने तीन 'ए' ग्रेड के वीर्य स्टेशनों, नामतः साबरमती आश्रम गोशाला सलोन तथा डीएलएफ, ऊटी के सुदृढ़ीकरण को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। हैसरघट्टा स्थित केएमएफ के नंदिनी स्पर्म स्टेशन, जगुदान स्थित मेहसाना दुग्ध संघ के वीर्य स्टेशन, हैसरघट्टा (पश्चिम बंगाल) स्थित पीबीजीएसबीएस के पीएलडीबी, एफएसबीएस के नाभा वीर्य स्टेशनों तथा बनवासी (आंध्र प्रदेश) स्थित एपीएलडीए के एफएसबीएस जैसे पांच और 'ए' ग्रेड/बी 'ग्रेड' के वीर्य स्टेशनों को इस वर्ष सुदृढ़ करने का विचार है।

4.9.3.6 एनडीडीबी प्रबंधित वीर्य स्टेशनों, नामतः साबरमती आश्रम गोशाला, बिदाज और पशु प्रजनन केन्द्र सेलोन तीनों ने मिलकर इस वर्ष हिमित वीर्य लगभग 160 लाख खुराकें उत्पादित (अनंतिम) कीं देश में आठ डेयरी सहकारिता वीर्य उत्पादन केन्द्रों में 155 लाख और हिमित वीर्य खुराकें (अनंतिम) उत्पादित की गई।

4.9.4 पशु पौष्टिकता और आहार प्रौद्योगिकी

4.9.4.1 सहकारी गोपशु आहार संयंत्रों (सीएफपी) को सतत तकनीकी सहायता देते रहने से आहार और आहार अनुपूरक, मानक विनिदर्शनों के अनुसार उत्पादित हुए । बहुत सारे सी एफ पी ओ ने उच्च उत्पादकता वाले पशुओं के लिए आहार और छोटे बछड़ों को शुरूआत में दिया जाने वाला आहार उत्पादित किया। एनडीडीबी ने बाईपास प्रोटीन अनुपूरक के उपयोग को बढ़ावा देना जारी रखा। इस वर्ष के दो अन्य बाईपास प्रोटीन संयंत्र स्थापित किए गए जिनमें से 200 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक संयंत्र गुजरात के कतारवा में तथा 50 टन प्रतिदिन की क्षमता वाला दूसरा संयंत्र केरल में स्थापित किया गया।

4.9.4.2 गुजरात के साबरकंथा जिले में मिनरल मैपिंग कार्यक्रम पूरा कर लिया गया था। इस जिले के विभिन्न गांवों से आहार, चारे तथा बालों के नमूने इकट्ठा किए गए तथा स्थूल और सूक्ष्म खनिजों की उपस्थिति के लिए उनकी जांच की गई। डेयरी पशुओं के राशन में कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, कापर, जिंक, मैगनीज व कोबाल्ट की कमी पाई गई थी। मिनरल मैपिंग कार्यक्रम के इन परिणामों के आधार पर क्षेत्र विशिष्ट मिनरल मिश्रण तैयार किया गया और अब क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रण तैयार करने के लिए 12 मी.टन प्रतिदिन की क्षमता वाला एक खनिज मिश्रण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है । इस वर्ष के दौरान क्षेत्र विशिष्ट खनिज मिश्रणों के उत्पादन के लिए आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और बिहार राज्यों में चार और खनिज मिश्रण संयंत्र स्थापित किए गए हैं ।

4.9.4.3 हरे चारे के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मक्का, सौरघम, बरसिम, ल्यूकरने, जई, लोभिया, बाजरा तथा क्लस्टर बीन के प्रमाणित/सच्चाई से लेबल किए गए चारा बीजों का लगभग 5500 टन उत्पादन करने के लिए डेयरी सहकारिताओं की सहायता की गई थी। यह लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एनडीडीबी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से उन्नत किस्मों के 8.80 टन ब्रीडर बीज उपलब्ध कराए। एक पोषक चारे कें रूप में शूगर बीट की उच्च पैदावार वाली चार किस्मों को किसानों तथा प्रशिक्षुओं के समक्ष दर्शाया गया।

4.9.5 पशु स्वास्थ्य

4.9.5.1 हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला ने पशु रोगों के निदान के लिए तथा टीक बनाए जाने के लिए इन पर अनुसंधान जारी रखा हो खुरपका और मुंहपका बीमारी के वाइरस सेरोटाइपस की जल्द पहचान करने के लिए लूप मीडिएटिड आइसोथर्मल एम्पलीपिफकेशन (एफटी-एलएएमपी) नामक एक नई अभिनव, व्यावहारिक तथा लागत प्रभावी तकनीक का मानकीकरण किया गया है और जिसे अब एक 'पैन-साइट' टेस्ट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एफएमडी संभावित नमूनों को महामारी के स्थान से प्रयोगशाला तक आणविक प्रक्रिया से निरूपण हेतु ले जाने के लिए एफटीए कार्डो का इस्तेमाल बहुत ही व्यावहारिक तथा सुरक्षित पाया गया। एफटीए कार्ड के प्रयोग से नैदानिक प्रभावकारिता में कोई समझौता नहीं करना पड़ा।

4.9.5.2 बोवाइन ब्रूसलोसिस के लिए इस प्रयोगशाला में विकसित नैदानिक ईएलआईएसए की विनिर्दिष्ट ता में सुधार करने के लिए इसका कार्यक्षेत्र में मूल्यांकन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध वाणिज्यिक टेस्ट किटों की तुलना में इस टेस्ट की नैदानिक प्रभावकारिता निर्धारण करने के लिए एक अंतर प्रयोगशाला मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। माइकोबैक्टीरिया अनुपूरक के रिकमबिनेंट एंटीजनों का प्रयोग करते हुए गामा इंटरफेरोन द्वारा बोवाइन तपेदिक की जल्द पहचान करने के लिए विकसित इम्यून-कैपचर-एलिसा के परिणाम बहुत उत्साहवर्धक रहे। वर्तमान में, ज्ञात सकारी और नकारी झुंडों से नमूने लेकर उनकी जांच करके इन आमापनों का कार्यक्षेत्र में मूल्यांकन किया जा रहा है। ईआईएसपीओटी द्वारा बोवाइन तपेदिक के निदान की पुष्टि में माइको बैक्टीरियम अनुपूरक के ईएसएटी-6 तथा सीएफपी-10 के फ्यूजन प्रोटीन का प्रयोग बहुत उपयोगी पाया गया।

4.9.5.3 उन्नत टीके विकसित करने पर इस प्रयोगशाला ने अनुसंधान जारी रखा। एफएमडी वाइरस और केनाइन पर्वोवायरस के वायरस जैसे कण विकसित कर लिए गए हैं और उनकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन पशुओं पर अध्ययन करके किया जा रहा है। संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेकेइटिस के विरुद्ध तैयार बीएचवी-1 जीईडी-1 जीई डिलीटिड मार्कर वैक्सीन तैयार करने में बहुत अधिक प्रगति हुई है। सीमित अध्ययन में ब्रूसेला ग्लाइकोल-कन्गुगेट वैक्सीन ने संक्रमित पशुओं में जीवों की शैडिंग को सीमित किया है। पोरसीन सिस्टीसेटोसिस तथा रिकम्बिनेंट एन्टीरोटोक्सेमिया टीकों से संबंधित सुरक्षा तथा प्रभावकारिता अध्ययन प्रगति पर है।

4.9.6 गुणवत्ता आश्वासन

4.9.6.1 एनडीडीबी मूल उत्पादन से लकर विपणन तक की संपूण श्रंखला को कवर करते हुए प्रौद्योगिकी आधारित, आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को अपनाकर सुरक्षित तथा गुणवत्तापूर्ण दूध तथा दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में डेयरी सहकारिताओं तथा उत्पादक संस्थाओं की सहायता करता है। डेयरी बोर्ड की पहले डेयरी संयंत्रों द्वारा खाद्य सुरक्षा तथा क्वालिटी प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन तथा उभरते विनियामक परिवेश के अनुसार अपनी जनशक्ति के क्षमता निर्माण तथा कौशल के उन्नयन के लिए कार्यक्रम प्रारंभ करने की ध्यान केद्रित करती हैं।

4.9.6.2 डेयरी बोर्ड ने कोडेक्स एलिमेनटेरियस आयोग द्वारा डेयरी सेक्टर से संबंद्ध घरेलू खाद्य विनियमों से संबंधित मामलों में भारत सरकार को तकनीकी सहायता देना जारी रखा है।

4.9.7 दूध खरीद और विपणन

4.9.7.1 अप्रैल से नवम्बर, 2012 के दौरान डेयरी सहकारिताओं द्वारा औसत दुग्ध खरीद पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान लगभग 262 लाख किलोग्राम से अधिक प्रतिदिन की खरीद की तुलना में लगभग 306 लाख किलोग्राम प्रतिदिन (अनंतिम) से अधिक थी, जो 16.6% की वृद्धि को दर्शाता है। सहकारिताओं ने लगभग 237 लाख लीटर प्रतिदिन दूध के विपणन की तुलना में 230 लाख लीटर प्रतिदिन (अनंतिम) औसत दूध का विपणन किया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 2.8 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

4.9.8 नई पीढ़ी की सहकारिताओ की पहलें (एनजीसी)

4.9.8.1 राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में जहां एनजीसी पहलें की जा रही हैं, उत्पादक कम्पनियों को शामिल किया गया था। राजस्थान में पायस (पीएएवाईएएस) दुग्ध उत्पादक कम्पनी तथा गुजरात में माही उत्पादक कम्पनी बनाई गई थी। एनडीडीबी ने संस्था के अंतर्नियम तथा ज्ञापन तैयार करने में तथा सदस्यों से शेयर पूंजी इकट्ठा करने में उत्पादक कम्पनियों की सहायता की। इन दोनों उत्पादक कम्पनियों के कुल 100,000 उत्पादक सदस्य थे तथा पिछले वर्ष दूध की आवक के मौसम में इन्होंने प्रतिदिन लगभग 1 मिलियन किग्रा से अधिक दूध का प्रबंध किया है।

4.9.8.2 एनजीसी की पहले अन्य राज्यों में भी जारी हैं तथा उत्पादक कम्पनियों को उपयुक्त समय पर शामिल किया जाएगा।

4.10 देश में दूध की स्थिति

4.10.1 मूल्य की प्रवृति

4.10.1.1 नवम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार दूध की वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दर (आधार वर्ष 2004-05 = 100) 6.18 प्रतिशत थी जबकि एक वर्ष पहले यह 10.90 प्रतिशत थी । अधिकांश राज्य दुग्ध परिसंघों और मेट्रो डेयरियों ने विगत एक वर्ष में दूध के खरीद एवं विक्रय मूल्य दोनों बढ़ा दिए हैं यह औसत वृद्धि क्रमशः 2.07 रूपए प्रति लीटर एवं 2.29 रूपए प्रति लीटर है। मूल्य में वृद्धि का कारण दुग्ध उत्पादन की आदान लागत में वृद्धि होना माना जा रहा है ।

4.10.2 देश में दूध की उपलब्धता बढ़ाने के लिए की गई नीतिगत कार्रवाई/ कार्रवाईयां:

4.10.2.1 पिछले दो वर्षों के दौरान दूध से संबंधित निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) राज्य दुग्ध परिसंघों तथा मेट्रो डेयरियों द्वारा दूध को दोबारा तैयार करने के लिए एनडीडीबी को वर्ष 2011-12 के लिए टेरिफ दर कोटे के तहत 0 प्रतिशत रियायती दर पर 50,000 टन. स्किमड़ दुग्ध चूर्ण (एसएमपी) और सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण (डब्ल्यु एम पी) तथा 15,000 टन. मक्खन, बटरआयल तथा निर्जलीय दुग्ध वसा (एएमएफ) का आयात करने के लिए की दिनांक 14.01.2011 तथा 4.8.2011 की अधिसूचनाओं के अधीन अनुमति दी गई थी।

(ii) वाणिज्य विभाग की दिनांक 18.02.2011 की अधिसूचना सं. 23 (आरई-2010)/2009-2014 के तहत दुग्ध चूर्णों (स्किमड दुग्ध चूर्ण, सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण, डेयरी वाइटनर और शिशु दुग्ध आहार सहित) छेना (केसिन) और छेना उत्पादों के निर्यात को निषिद्ध कर दिया गया था।

(iii) तदनन्तर, दूध की स्थिति को ध्यान में रखते हुए छेना तथा छेना उत्पादों के निर्यात को 'निषिद्ध' वर्ग से हटाकर 'प्रतिबंधित' वर्ग में रख दिया गया था और अब छेना का निर्यात लाइसेंस के अंतर्गत अनुमेय है। डीजीएफटी ने दिनांक 1.5.2012 की अधिसूचना सं.-112(आईई-2010)/2009/2014 के द्वारा इस निर्णय को अधिसूचित किया है।

(iv) सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त अंतर मंत्रालीय समिति, 31.05.2012 से आगे छेना तथा छेना उत्पादों के निर्यात की मात्रा से संबंधित निर्णय लेगी। सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग तथा सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग इस समिति के सदस्य होंगे।

(v) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 8.6.2012 की अधिसूचना के द्वारा वीकेजीयूवाई के तहत स्किम्ड दुग्ध चूर्ण (एसएमपी) के मुफ्त निर्यात तथा 5% के निर्यात प्रोत्साहन की अनुमति दे दी है।

(vi) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 22.11.2012 की अधिसूचना के द्वारा टेरिफ आइटम एचएस कोड 0402 के अंतर्गत सम्पूर्ण दुग्ध चूर्ण (डब्ल्यूएमपी) डेयरी वाइटनर तथा शिशु दुग्ध आहार सहित, सभी मदों के मुफ्त निर्यात की अनुमति दी।

(vii) आहार घटकों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए राजस्व विभाग की दिनांक 21.08.2012 की अधिसूचना के द्वारा डी-ऑयल्ड सोया एक्सट्रेक्ट, मूंगफली, सूरजमुखी, कनोला तथा सरसों के आयॅल केक/ऑयल केक मील्स पर आयात शुल्क से पूरी छूट दे दी गई है। साथ ही, राजस्व विभाग की दिनांक 17.09.2012 की अधिसूचना के द्वारा मक्का की खली पर भी आयात शुल्क से पूरी तरह छूट दे दी गई है।

(viii) इस विभाग ने दिनांक 20.12.2012 के पत्र सं0 25-4(13)/2010-एएचडी(समन्वय) के द्वारा वर्ष 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय प्रोटीन अनुपूरक मिशन के अंतर्गत समापन तिथि के निकट स्टाकों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए राज्य दुग्ध परिसंघों के एसएमपी के अधिशेष स्टाकों को फिर से प्रसंस्करित करने (20 रुपए प्रति किग्रा की दर तक) में सहायता करने के लिए एक नए घटक को अनुमोदित कर दिया है।

4.11 दिल्ली दुग्ध योजना (डी एम एस)

4.11.1 दिल्ली के निवासियों को उचित मूल्यों पर सम्पूर्ण दुग्ध की आपूर्ति करने तथा दुग्ध उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त कराने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1959 में दिल्ली दुग्ध योजना की स्थापना की गई। दिल्ली दुग्ध योजना की प्रसंस्करण/पैकिंग की आरम्भिक संस्थापित क्षमता 2.55 लाख लीटर दूध प्रतिदिन है। तथापि, शहर में दूध के बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्षमता का चरणों में और विस्तार करके इसे 5.00 लाख लीटर दूध प्रतिदिन के स्तर पर लाया गया है। विभाग ने संबंधित उपयोग कर्ताओं द्वारा उपयोग करने के लिए एक वेबसाइट http://dms.gov,in विकसित की है।

4.12 आईएसओ 22000/2005-प्रमाणीकरण

4.12.1 दिल्ली दुग्ध योजना को मैसर्स आईआरक्यूएस, मुंबई से आईएसओ 14001-2004 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है जो 30.03.2013 तक वैध है ।

4.13 दुग्ध खरीद

4.13.1 दिल्ली दुग्ध योजना पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार के राज्य

डेयरी परिसंघों और सहकारी समितियों/उत्पादक समितियों तथा अन्य कम्पनियों से कच्चा/ताजा दूध खरीदती रही है।

4.13.2 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा 2009-2010 तक खरीदे गए दूध की कुल मात्रा नीचे दी गई है:-

सारणी 4.2 दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध खरीद

(लाख कि0ग्रा0 में)

वर्ष	खरीदे गए दूध की कुल मात्रा	औसत/प्रतिदिन
2009-10	945.94	2.59
2010-11	792.05	2.17
2011-12	870.13	2.38
2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक)	**830.74**	**2.93**

4.13.3 विभिन्न एजेंसियों जैसेकि राज्य डेयरी परिसंघों, सहकारी समितियों/उत्पादक कम्पनियों तथा प्राईवेट लिमिटिड कम्पनियों के साथ दूध की खरीद संबंधी संविदाओं को 31.03.2013 तक अन्तिम रूप दे दिया गया है ।

4.14 दुग्ध उत्पादन और वितरण

4.14.1 दिल्ली दुग्ध योजना दूध (टोंड, डबल टोंड और फुल क्रीम) का प्रसंस्करण और उसकी सप्लाई कर रही है। दिल्ली दुग्ध योजना दिल्ली के नागरिकों को सप्लाई करने के लिए योगर्ट, घी, मक्खन, पनीर, छाछ और फ्लेवर्ड मिल्क का उत्पादन और विपणन भी कर रही है।

4.14.2 दिल्ली दुग्ध योजना के पूर्ण दिवसीय दूध स्टॉलों सहित 1,101 बिक्री केन्द्र हैं। दिल्ली दुग्ध योजना लगभग 174 संस्थाओं जैसे अस्पतालों, सरकारी कैन्टीनो, होटलों तथा रक्षा एककों इत्यादि को भी दूध सप्लाई करता है।

4.14.3 दूध बूथ पूर्वसैनिकों, सेवानिवृत्त सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारियों, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों, विधवाओं, बेरोजगारों को आबंटित किए जाते हैं और उनके द्वारा चलाए जाते हैं।

4.15 कार्य निष्पादन/कार्य क्षमता का उपयोग

4.15.1 दिल्ली दुग्ध योजना इस समय प्रतिदिन लगभग 3.10 लाख लीटर दूध की बिक्री कर रही है जिसमें मदर डेयरी के ग्राहकों के लिए पैकिंग शामिल है। दिल्ली दुग्ध योजना में वर्ष 2009-2010 से दुग्ध उत्पादन की लागत सारणी 4.3 में दी गई है।

तालिका 4.3 दिल्ली दुग्ध योजना का कार्य निष्पादन

वर्ष	क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत में)	दूध की बिक्री (लाख लीटर में)	परिवर्ती लागत (लाख लीटर में)	निर्धारित लागत (रूपए प्रति लीटर में)	कुल लागत (रूपए प्रति लीटर)
2009-10	73.1	1,332.77	19.86	3.05	22.91
2010-11	65.2	1,183.49	21.75	3.24	24.99
2011-12	62.0	1123.62	27.08	3.40	30.48
2012-13 (दिसम्बर, 12 तक)	62.0	843.80	25.52	3.60	29.12

4.16 वित्तीय परिव्यय

4.16.1 कच्चे दूध, एस एम पी, मक्खन, बटर ऑयल, आदि जैसे आदानों पर व्यय सहित, सभी लेखों पर व्यय तथा पूंजीगत मदों को कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के वार्षिक बजट आबंटन के माध्यम से भारत सरकार की संचित निधि से पूरा किया जाता है। दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की बिक्री की रकम को सरकारी राजस्व के खाते में जमा किया जाता है।

4.16.2 वर्ष 2011-12 (संशोधित अनुमान) और बजट प्राक्कलन 2012-13 में उपलब्ध/प्रस्तावित निधियां तथा व्यय सारणी 4.4 में दिया गया है।

सारणी 4.4 दिल्ली दुग्ध योजना का व्यय

(रुपए करोड़ में)

शीर्ष/योजना	2011-12			2012-13	
	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय	बजट प्राक्कलन	व्यय (दिसम्बर, 12 तक)
1	2	3	4	5	6
I. गैर-योजना	350.00	370.00	311.94	370.00	257.93
II. योजना	1.00	1.00	1.00	2.00	0.29

4.16.3 यद्यपि घाटा 2009-10 के 24.15 करोड़ से कम होकर 2010-11 में 8.99 करोड़ रुपए रह गया, किन्तु यह कच्चे दूध की कम खरीद, स्किमड दूध पाउडर और कच्चे दूध इत्यादि के लिए भुगतान किए गए अधिक खरीद मूल्य के कारण 2011-12 में बढ़कर 28.26 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही, चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान (दिसंबर 2012 तक) डीएमएस ने पिछले कई वर्षों के घाटे के मुकाबले 1.05 करोड़ रुपए का अधिशेष अर्जित किया।

4.16.3 डीएमएस के स्टाफ की संख्या में कमी

4.16.3.1 सरकारी मशीनरी में कमी करने तथा प्रशासनिक खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, डीएमएस ने नई भर्ती न करके अपनी स्टाफ संख्या को कम करने का निर्णय लिया है। दिल्ली दुग्ध योजना की कुल स्टाफ संख्या 1.12.2011 को 921 से घटकर 1.12.2012 को 827 रह गई है।

4.16.4 दिल्ली दुग्ध योजना के प्लांट का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण

4.16.4.1 दिल्ली दुग्ध योजना के जिस संयत्र को इसके चालू होने के समय लगाया गया था, वह अब पुराना और अकुशल हो गया है। संयत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5.00 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण करने की थी। इस समय दिल्ली दुग्ध योजना प्रतिदिन लगभग 3.50 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण कर रही है।

4.16.4.2 चूँकि संयंत्र पुराना हो गया है, अतः उन्नयन/स्वचालन किए बिना इसकी स्थापित क्षमता के स्तर पर दूध का प्रसंस्करण करना संभव नहीं है। वर्ष 2012-13 के दौरान कूलिंग टावर सहित दो पीएचई अमोनिया कंडेंसर और दो हाईस्पीड अमोनिया कंप्रेसर चालू किए गए हैं।

4.16.4.3 (क) उपलब्ध संसाधनों व केन्द्रीय डेयरी में लगाए गए कैपीसिटर बैंकों के इष्टतम उपयोग से डीएमएस 0.98 से अधिक पावर

फैक्टर प्राप्त कर सका जिसके परिणामस्वरूप बिजली की खपत कम हुई।

(ख) जल के ईष्टतम उपयोग व इसकी रीसाइक्लिंग से केन्द्रीय डेयरी में पानी की खपत में भारी कमी आई है, जिससे पानी की बचत हुई है।

4.16.4.4 दिल्ली दुग्ध योजना की वर्तमान क्षमता उपयोगिता लगभग 62% है। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की बिक्री को बढ़ाते हुए इसकी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रयास किए जा रहे है जिससे हानि को कम किया जा सके।

4.16.5 दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना को आवंटित नई साइटों पर लगाए गए बूथों द्वारा दिल्ली के जे. जे.क्लस्टरों में डीएमएस दूध तथा दुग्ध उत्पादों की सप्लाई।

4.16.5.1 डीएमएस दूध की बिक्री में वृद्धि करने हेतु दिल्ली की माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 4.5.2012 को दिल्ली सचिवालय में एक बैठक की गई, जिसमें माननीय मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में नए बूथ लगाने के लिए डीएमएस को सभी सहायताएं प्रदान करने पर सहमति जताई। डीएमएस तथा दिल्ली सरकार के अधिकारियों के बीच हुई कई बैठकों के उपरांत, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ने जे.जे.क्लस्टरों में दूध के बूथ लगाने के लिए डीएमएस को सिद्धान्ततः सहमति दे दी है क्योंकि ये डीयूएसआईबी भूमि पर ही कार्य कर रहे थे। डीएमएस डीयूएसआईबी द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा लने की प्रक्रिया में है और नई साइटों का कब्जा लेने के बाद पुराने निर्मित ढांचों को यहां स्थानांरित करने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा तथा जे.जे. क्लस्टर में स्थापित बूथों से दूध तथा दुग्ध उत्पादों की बिक्री प्रारंभ हो जाएगी।

4.16.6 डीएमएस कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना

4.16.6.1 डीएमएस कर्मचारियों को एक बाहर की प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा 5.9.2012 से 20-20 व्यक्तियों के बैच में 20 कार्य दिवसों का कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया है।

4.16.7 डीएमएस द्वारा भूमिगत जल का प्रयोग

4.16.7.1 गर्मी के महीनों में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किए गए जल की कमी को पूरा करने के लिए डीएमएस ने 20 किलोलीटर प्रति घंटा प्रत्येक की क्षमता वाले सबमर्सिबल पम्पों वाले 4 बोर-वैल लगाने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी मामला डीजेबी के साथ उठाया है।

4.17 दिल्ली दुग्ध योजना का निगमीकरण

4.17.1 दिल्ली दुग्ध योजना की गतिविधियां पूर्णतया वाणिज्यिक प्रकृति की हैं इसे वाणिज्यिक तर्ज पर चलाने तथा इसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से दिल्ली दुग्ध योजना को स्वायत्त बनाने हेतु इसके निगमीकरण के लिए इस विभाग के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ''सैद्धान्तिक रूप'' से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सेवाओं की अंतिम रिपोर्ट पर निगमीकरण संबंधी मंत्रिमंडल नोट का प्रारूप संबंधित विभाग की टिप्पणियों हेतु इस विभाग द्वारा परिचालित कर दिया गया था। संघ के मंत्रीमंडल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने हेतु इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

अध्याय 5

मात्स्यिकी

अध्याय 5

मात्स्यिकी

1.1 प्रस्तावना

5.1.1 मात्स्यिकी क्षेत्र देश में लगभग 14.49 मिलियन लोगों को जीविका प्रदान करते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसे एक सशक्त आय और रोजगार सृजनकर्त्ता के रूप में पहचाना गया है क्योंकि यह अनेक सहायक उद्योगों के विकास को गति देता है और विदेशी मुद्रा अर्जक के अलावा यह सस्ते और पोषक खाद्यान्न का भी स्रोत है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि यह देश की आर्थिक रूप से पिछड़ी जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग की जीविका का स्रोत है। देश में मात्स्यिकी विकास जिन प्रमुख चुनौतियां का सामना कर रहा है उनमें शामिल हैं:- फिन और शैल मत्स्य पालन के लिए सतत प्रौद्योगिकियों का विकास, मत्स्य बीज प्रमाणीकरण, उत्पादन को अनुकूलतम बनाना, हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों के लिए बुनियादी सुविधाएं, मात्स्यिकी यानों के लिए लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाएं तथा मत्स्य जलयानों के लिए समान रूप से पंजीकरण करना।

5.1.2 भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वैश्विक मछली उत्पादन का 5.43% भारत से आता है। भारत जलकृषि के माध्यम से मछली का मुख्य उत्पादक है और चीन के बाद विश्व में इसका दूसरा स्थान है। 2011-12 के दौरान कुल मछली उत्पादन 8.67 मिलियन टन रहा जिसमें से 5.30 मिलियन टन अंतर्देशीय सेक्टर से तथा 3.37 मिलियन टन क्रमशः समुद्री सेक्टर से प्राप्त हुआ। भारत में मात्स्यिकी, कृषि तथा संबंद्ध गतिविधियों का एक उदीयमान सेक्टर (होने के कारण) विकास की लक्ष्य दर 6 प्रतिशत रखी गई ताकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4.1 प्रतिशत की समग्र विकास दर प्राप्त की जा सके। 2010-11 के दौरान भारत से निर्यायित मछली तथा मात्स्यिकी उत्पादों की मात्रा 8,13,091 टन थी, जिसकी कीमत 12,901.47 करोड़ रुपए थी और 2011-12 के दौरान निर्यात से हुई आय ने पहली बार 3.5 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा को पार किया कुल निर्यात 8,62,021 टन का हुआ जिसकी कीमत 16,597.23 करोड़ रुपए थी। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) के अनुमानों के अनुसार 2011-12 के दौरान वर्तमान कीमत पर मात्स्यिकी सेक्टर से जीडीपी का मूल्य 76699 करोड़ रुपए था जो कृषि तथा संबद्ध सेक्टरों की कुल जीडीपी का 4.15 प्रतिशत था।

भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। 2011-12 के दौरान मछली उत्पादन 8.67 मिलियन टन होने का अनुमान है।

5.2 बलित क्षेत्र

5.2.1 मात्स्यिकी राज्य का विषय है और इस प्रकार इसके विकास की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मात्स्यिकी विकास में प्रमुख जोर उत्पादन और उत्पादकता को अनुकूलतम बनाने, समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने, रोजगार सृजित करने और मछुआरों के कल्याण और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को सुधारने पर रहा है।

5.3 चल रही योजनाएं

(i) अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास

(ii) समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास

(iii) राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

(iv) मात्स्यिकी सेक्टर के डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

(v) मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता

(vi) राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड

(vii) तटवर्ती मछुआरों को बायोमैट्रिक पहचान पत्र जारी करना

5.4 अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास

लगभग 8.55 लाख हैक्टेयर जल क्षेत्र को वैज्ञानिक ताजा जल तथा खारा जल मत्स्य कृषि के अनंर्गत लाया गया, ताजा जल कृषि के अंतर्गत इन उन्नत प्रक्रियाओं से दिसंबर, 2012 तक 14.10 लाख मत्स्य किसान/मछुआरे लाभान्वित हुए।

5.4.1 इस केन्द्रीय प्रायोजित योजना को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। यह योजना ताजा जल, खारा जल, शीत जल, जल भराव क्षेत्रों, जलकृषि के लिए लवणीय/क्षारीय भूमि तथा कैप्चर मात्स्यिकी संसाधनों (जलाशय/नदियां आदि) के रूप में देश में उपलब्ध सभी अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों को शामिल करती है। इस योजना को सात घटकों के साथ क्रियान्वित किया गया है। ये घटक हैं: ताजा जल जलकृषि का विकास, खारा जल जलकृषि का विकास, पहाड़ी क्षेत्रों में शीत जल मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास, जलभराव क्षेत्रों का जलकृषि संपदा के रूप में विकास, जलकृषि और अंतर्देशीय कैप्चर मात्स्यिकी (जलाशय/नदियां आदि) के लिए अंतर्देशीय लवणीय/क्षारीय भूमि का उपयोग और 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वयन के लिए नवीन परियोजनाएं। ताजा जल जलकृषि का विकास और खारा जल जलकृषि का विकास

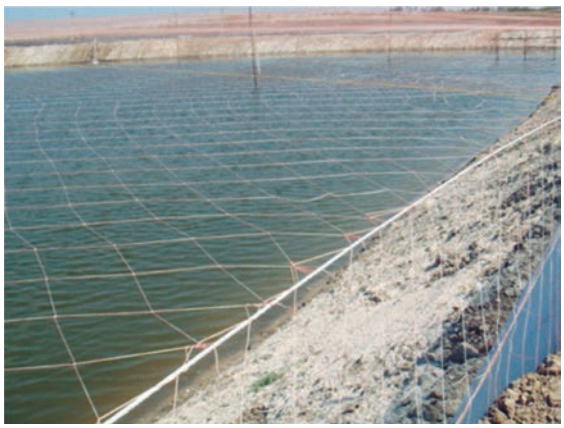

जैव-सुरक्षित फार्म

नामक दो घटकों को संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 429 मत्स्य कृषि विकास एजेंसियों (एफ एफ डी ए) के नेटवर्क द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। पहले दो महत्वपूर्ण घटकों का संक्षिप्त सार नीच दिया गया है।

5.4.2 ताजा जल जलकृषि का विकास

5.4.2.1 इस योजना के मुख्य उद्देश्य यह हैं कि आधुनिक मत्स्यपालन को लोकप्रिय बनाया जाए, रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं और जलकृषि प्रणालियों को विविधता प्रदान की जाए तथा जलकृषि में संलग्न मत्स्य किसानों को सहायता दी जाए।

5.4.2.2 अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से नए तालाबों के निर्माण, तालाबों और टैंकों के पुनरुद्धार/नवीकरण, पहले वर्ष के आदानों (मत्स्य बीज, उर्वरक, खाद आदि), एकीकृत मत्स्यपालन, बहते पानी में मत्स्यपालन, मत्स्य बीज हैचरियों और मत्स्य आहार मिलों की स्थापना आदि के लिए मत्स्य किसानों को सब्सिडी के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। मत्स्य उत्पादकता में और वृद्धि करने के लिए एरेटरों की खरीद के लिए प्रगतिशील मत्स्य किसानों को भी सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मत्स्य किसानों को ऊपर उल्लिखित गतिविधियों के लिए उच्च दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। ताजा जल प्रॉन बीज हैचरी, प्रयोगशाला, भूमि और जल परीक्षण किटों, सजावटी मछली के लिए एकीकृत यूनिटों और पहाड़ी क्षेत्रों में बीजों की ढुलाई के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है। विकासीय गतिविधियों पर व्यय भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 75:25 आधार पर वहन किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्र सरकार शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता देती है।

5.4.2.3 2011-12 के दौरान 27,406 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को मत्स्यपालन के तहत लाया गया था और मछुआरों को उन्नत प्रणालियों में प्रशिक्षित किया गया था। मत्स्यपालन की उन्नत प्रौद्योगिकी के शुरु होने और एफ एफ डी ए के प्रयासों के कारण इस कार्यक्रम के तहत कवर किए गए तालाबों और टैंकों की राष्ट्रीय औसत उत्पादकता 3,000 किलोग्राम/हैक्टेयर/प्रतिवर्ष के स्तर पर पहुंच गई। 31.12.2012 तक 23,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को मत्स्यपालन के अन्तर्गत लाया गया है और इससे 28,000 मछुआरे लाभान्वित हुए हैं। इस योजना की शुरुआत से 2012-13 तक, लगभग 8.55 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को मत्स्य पालन के अंतर्गत लाया गया है और योजना से लगभग 14.10 लाख लोगों को लाभ मिला है।

5.4.3 खारा जल जलकृषि का विकास

5.4.3.1 लघु क्षेत्र में झींगा किसानों को तकनीकी, वितीय और विस्तार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य

पिंजरा खेती - झारखड की सफलता गाथा

झारखड राज्य भारत के प्रमुख राज्यों से एक है जिसने सफलतापूर्वक पिंजरा खेती को अपनाया है। रांची के पास स्थित हतिया जलाशय में प्रायोगिक तौर पर लगाए गए अपने चार पिंजरों की सफलता से उत्साहित होकर राज्य ने भारत सरकार के प्रोटीन अनुपूरक स्कीम संबंधी राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत पिंजरा खेती को एक बड़े पैमाने पर अपनान का निर्णय लिया। राज्य सरकार ने चंदिल तथा तेनुघाट जलाशयों में अपने पिंजरों के लिए जीआई पाइप अपनाने का निर्णय लिया। एक पिंजरे का औसत आयाम 6 मीटर × 4 मीटर × 4 मीटर तथा 4 केज बैटरी का आकार 12 मीटर × 8 मीटर × 4 मीटर है।

एक पिंजरे की निर्माण लागत 0.75 लाख रुपए अथवा 4 केजों की 1 बैटरी के लिए 3 लाख रुपए है। प्रति केज इन्पुट लागत 2 लाख रुपए है। सभी पिंजरों में तैरती हुई गोलियों वाले आहार का प्रयोग किया गया है। आठ महीनों में एक केज से संभावित मछली उत्पादन 5000 किग्रा है। राज्य में 80 रुपए प्रति किग्रा मछली की कीमत को देखते हुए संभावित लाभ 2 लाख रुपए प्रति केज है। यद्यपि, राज्य इन पिंजरों में पुनग्रस्यिस तथा कॉमन क्रैप विकसित करती है, परंतु क्रैप के मुकाबले पुनगस्यिस की सफलता दर बहुत अधिक है। राज्य ने बोकारी के पास स्थित चंदिल जलाशय में 46 पिंजरे और 2 पिंजरा घर तथा तेनुघाट जलाशय में 30 पिंजरे तथा 2 पिंजराघर प्रारंभ किए हैं।

प्रारंभ में उच्च घनत्व स्टॉकिग की वजह से राज्य को कुछ कठिनाइयों का सामान करना पड़ा है जैसे फिंगरलिंग की उत्तरजीविता दर में कमी आई। परंतु कुछ प्रयोग के उपरांत राज्य इन पिंजरों में उच्च उत्तरजीविता दर प्राप्त करने के लिए अपेक्षित इष्टतम फिंगरलिग की संख्या तय कर पाए। इन जलाशयों के पिंजरों में मछली के विकास की दर अब अपने इष्टतम स्तर को प्राप्त कर चुकी है। 90 ग्राम या उसके आस-पास के वजन वाले फिंगरलिंग छह महीने में 1.56 किलोग्राम के हो चुके हैं। दूसरी ओर 2-5 ग्राम के वजन वाले फिंगरलिंग 160 दिनों में 460-740 ग्राम वजन के हो चुके हैं।

सघन खेती की इस प्रक्रिया ने स्थानीय मछुआरों तथा अन्य युवाओं को अपनी ओर आकृष्ट किया है। इसको देखते हुए राज्य के विभिन्न जलाशयों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आरकेवीवाई में मात्स्यिकी सहकारी सोयाटियों/सोसाटियों के सदस्यों के लिए 100 बैटरियों (400 पिंजरों) को तथा एनएमपीएस स्कीम में 48 पिंजरों को स्वीकृत कर दिया है।

से सभी तटवर्ती राज्यों और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 39 खारा जल मत्स्य कृषक विकास एजेंसियां (बीएफडीए) स्वीकृत की गई हैं। 2011-12 के दौरान लगभग 1502 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को झींगा पालन के तहत लाया गया था और 2000 मछुआरों को उन्नत प्रणालियों से लाभ मिला था।

5.4.3.2 योजना के शुरु होने से 31.12.2012 तक लगभग 43,476 हैक्टेयर जल क्षेत्र को झींगा पालन के तहत लाया गया है तथा इस कार्यक्रम के तहत शामिल लाभार्थियों की संख्या लगभग 35,759 है। जबकि उत्पादकता 1,500 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर प्रति वर्ष तक पहुंच गई है।

5.4.4 2011-12 और 2012-13 के दौरान योजना की प्रगति

5.4.4.1 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 29.85 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी 2012-13 के दौरान (31 दिसम्बर, 2012 तक) मछली पालन के अंतर्गत 25,000 हैक्टेयर जल क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 25.05 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

5.5 समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास

5.5.1 समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए कार्यक्रम

5.5.1.1 विभाग पारंपरिक यानों के मोटरीकरण, ईंधन पर उत्पाद शुल्क पर सब्सिडी देकर लघु यांत्रिकृत क्षेत्र को सहायता देने, सुरक्षित लैंडिंग, बर्थिंग और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों आदि के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना जैसी अनेक केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए समुद्री क्षेत्र के विकास और उसके द्वारा पारंपरिक मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने के लिए वित्तीय सहायता देता रहा है।

5.5.1.2 शून्य आधारित बजट प्रक्रिया के आधार पर एक पहले से चल रही योजनाओं को आवश्यक संशोधनों के साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना से ''समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना'' नामक एक व्यापक योजना के तहत लाया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना की स्कीम के तीन प्रमुख घटक हैं अर्थात् (1) समुद्री मात्स्यिकी का विकास, (2) बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास तथा (3) नवीन गतिविधियॉ प्रारंभ करने संबंधी उपबंध।

5.5.2 योजना का घटकवार ब्यौरा

5.5.2.1 समुद्री मात्स्यिकी का विकास

5.5.2.1.1 पारंपरिक यानों का मोटरीकरण: उत्पादन उन्मुखी योजना अर्थात् पारंपरिक यानों का मोटरीकरण योजना को सातवीं योजना के दौरान शुरु किया गया था जिसके उद्देश्य थे:- (i) पारंपरिक मात्स्यिकी क्षेत्र का प्रौद्योगिकीय उन्नयन, (ii) मछुआरों की शारीरिक थकावट को कम करने में उनकी मदद करना और (iii) मुख्यतः उनके द्वारा पकड़ी गई मछलियों की मात्रा और उनकी आय को बढ़ाना और उसके द्वारा उनकी सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उनके मत्स्य संचालनों की परिधि का विस्तार करना। इस योजना के शुरु होने से आज तक लगभग 60,000 पारंपरिक यानों का मोटरीकरण किया गया है। यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना तथा 12वीं योजना के पहले वित्तीय वर्ष के दौरान इस संशोधन के साथ जारी है कि सब्सिडी का लाभ 8-10 एच पी की आउटबोर्ड मोटर और इनबोर्ड मोटर

दोनों को दिया जाएगा। इस घटक के तहत अधिकतम 30,000 रुपए प्रति ओ बी एम/आई बी एम की सीमा के अधीन यूनिट लागत का 50% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समान रूप से वहन किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में केन्द्र सरकार समूची सब्सिडी की पूर्ति करती है। वर्ष 2011-12 और 2012-13 (31 दिसंबर, 2012 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को क्रमशः 548.20 लाख रुपए और 310.02 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

5.5.2.1.2 समुद्र में मछुआरों की सुरक्षाः समुद्री मात्स्यिकी के खतरनाक स्वरूप के कारण प्रायः जानमाल और मछली पकड़ने की नौकाओं और उपकरणों की हानि होती रहती है और साथ ही चोट लगने और स्थायी रूप से अपंग होने का खतरा भी बना रहता है। हाल ही के अध्ययनों से यह पता चला है कि आपदाएं अधिकांशतः यानों में पर्याप्त उपकरण न होने और बोर्ड पर पूर्व चेतावनी प्रणाली की अनुपलब्धता के कारण होती हैं। इस घटक का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा में सुधार करना है जिससे समुद्र में मानव जानमाल की हानि को कम किया जा सके। इस घटक के तहत जी पी एस, संचार उपकरण, इको साउंडर तथा खोज और बचाव बीकॉन की किट की यूनिट लागत के 75% तक सब्सिडी दी जाती है। इन सभी उपकरणों की कुल लागत मिलाकर लगभग 1.50 लाख रुपए आती है और इसका 75% सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। इस घटक का क्रियान्वयन राज्य मात्स्यिकी फेडरेशनों/निगमों तथा पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान 206.13 लाख रुपए की राशि जारी की गई है।

5.5.2.1.3 एच एस डी ऑयल पर मछुआरा विकास राहतः बीस मीटर से कम लंबाई वाले मात्स्यिकी यानों द्वारा प्रयुक्त एच एस डी ऑयल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना को 1990-91 से शुरु किया गया था जिसका उद्देश्य यांत्रिकृत मछली स्वामियों/ऑपरेटरों के यानों की संचालनात्मक लागत को कम करके उनकी सहायता करना और उन्हें मात्स्यिकी दिवसों को बढ़ाने, मछली पकड़ने तथा आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था। सक्रिय मात्स्यिकी महीनों के दौरान 500 लीटर प्रति नौका प्रतिमाह की सीमा के साथ एच एस डी ऑयल की 3 रुपए/लीटर तक की सीमित केन्द्रीय सब्सिडी सहित मात्स्यिकी प्रयोजन के लिए प्रयुक्त एच एस डी ऑयल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई बिक्री कर राहत के 50% समतुल्य केन्द्रीय राहत प्रदान की जाती है। 10वीं पंचवर्षीय योजना से पहले पंजीकृत 20 मीटर से छोटे आकार के यानों को सब्सिडी प्रदान की जाती है जिनका स्वामित्व गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के मछुआरों के पास होता है।

5.5.2.1.4 उन्नत डिजाइन के माध्यमिक यानों को शुरु करनाः संभावित समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के अनुमानित 4.41 मिलियन टन में से लगभग 3.37 मिलियन टन का दोहन कर लिया गया है। शेष क्षमता मुख्यतः गहरे समुद्र में मौजूद है जो छोटी मात्स्यिकी नौकाओं की मात्स्यिकी क्षमता से बाहर है। देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की मात्स्यिकी क्षमता का विवेकपूर्ण दोहन करने के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त रूप से डिजाइन की हुई नौकाओं की आवश्यकता होगी। तदनुसार, उपयुक्त डिजाइन हासिल करने और नई पीढ़ी के इस यान को लेने के लिए मछुआरा समूहों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए इस घटक को शामिल किया गया था। लगभग 18 मीटर की लंबाई वाले संसाधन विशिष्ट मात्स्यिकी यानों की बहुदिवसीय माध्यमिक श्रेणी संबंधी इस घट क को 60 लाख रुपए की यूनिट लागत के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है जिस पर लागत के 10% के समतुल्य, जो 6.00 लाख रुपए तक सीमित रहेगी, सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस घटक को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता इस

घटक के अंतर्गत 2011-12 के दौरान 188.17 लाख रुपए की राशि तथा 2012-13 (31/12/2012 तक) के दौरान 328.72 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.5.2.1.5 यान मानीटरिंग प्रणाली के संचालन की स्थापना: अनन्य आर्थिक क्षेत्र(ई ई जेड) में मात्स्यिकी यानों की मानीटरिंग, नियंत्रण और निगरानी (एम सी एस) के लिए यान मानीटरिंग प्रणाली (वी एम एस) को प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इस घटक को 11वीं योजना तथा 12वीं योजना के पहले वर्ष के दौरान भी जारी रखा गया है ताकि ई ई जैड में मात्स्यिकी यानों के संचालन को विनियमित करने के लिए वी एम एस को स्थापित और संचालित किया जा सके। इस प्रणाली की समूची लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाती है।

5.5.2.1.6 ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल मात्स्यिकी प्रणालियां संवर्धित करना: यह एक नया घटक है जिसे 11वीं योजना के दौरान शुरु किया गया था। सामान्यतः मछुआरे अपने ईंजनों को चलाने के लिए मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल जैसे पारंपरिक ईंधनों का इस्तेमाल करते हैं। ये ईंधन न केवल वायु को प्रदूषित करते हैं बल्कि धीरे-धीरे समुद्री पर्यावरण को भी बिगाड़ते हैं। इसके अलावा, इन पारंपरिक ईंधनों की बढ़ रही कीमतों की वजह से मात्स्यिकी उद्यम तेजी से खर्चीला होता जा रहा है। पी डी एस के माध्यम से मिट्टी का तेल की कमी ने कुछ राज्यों में मछुआरों पर पहले ही बोझ डाल दिया है। इससे निपटने के लिए आउटबोर्ड मोटरों पर इस्तेमाल के लिए एल पी जी किट सतत अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से हाल ही की एक घटना है। एक पायलट अध्ययन से प्राप्त परिणामों से सकारात्मक बातों का पता चलता है जैसे कि ईंजनों का कम खराब होना, संचालन की कम लागत और उत्सर्जन में सतत कमी। पर्यावरणीय रूप से अनुकूल मात्स्यिकी के लिए आउटबोर्ड मोटरों में एल पी जी किट के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस घटक के तहत लाभार्थियों को 10,000 रुपए की सीमा के साथ एल पी जी किट की लागत के 30% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक को राज्य मात्स्यिकी परिसंघों/निगमों तथा पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

5.5.2.1.7 समुद्री मात्स्यिकी का प्रबंधन: क्षमता से अधिक और अत्यधिक मत्स्यन दो ऐसे अभिज्ञात कारक हैं जो समुद्री कैप्चर मात्स्यिकी के संसाधनों में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। विश्व के महासागरों के कई भागों के प्रमुख वाणिज्यिक स्टॉक या तो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं या खत्म होने की ओर अग्रसर हैं। असतत मात्स्यिकी प्रणालियां, समुद्री वास को क्षति तथा अवैध, अविनियमित और रिपोर्ट न की गई मात्स्यिकी अन्य ऐसी प्रमुख चुनौतियां हैं जिनसे निपटे जाने की आवश्यकता है। विभिन्न विकासीय रणनीतियों के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और निर्यात को अधिकतम करने की गतिविधियां स्वतंत्रता के बाद से हमारे मात्स्यिकी नियोजन का केन्द्र बिन्दु रहे हैं। चूंकि प्रादेशिक जल में मत्स्य संसाधनों का दोहन या तो अनुकूलतम स्तर पर पहुंच गया है। या कुछ मामलों में वह उससे भी अधिक हो गया, अतः ध्यान की दिशा को बदलकर इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप उपयुक्त साधन और तकनीकों के विकास के साथ हमारी समुद्री मात्स्यिकी के वैज्ञानिक प्रबंधन की ओर लगाना पड़ेगा। इस नए घटक का उद्देश्य समुद्री मात्स्यिकी का वैज्ञानिक आधार पर प्रबंधन शुरु करना है। इस घटक के तहत शुरु की गई गतिविधियों में शामिल हैं (i) जागरूकता कार्यक्रम चलाना, (ii) उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता क्रियान्वित करना, (iii) क्षमता मूल्यांकन, (iv) सतत मात्स्यिकी पर समुदाय तक पहुंच संबंधी कार्यक्रम चलाना और (v) अत्यधिक मात्स्यिकी/अत्यधिक क्षमता संबंधी श्रव्य

दृश्य तैयार करना। भारत सरकार इन गतिविधियों को चलाने के लिए 100% वित्तीय सहायता देती है। इस घटक को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पंचायती राज संस्थाओं, केन्द्रीय मात्स्यिकी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और मछुआरा संगठनों/सोसाइटियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

5.5.2.2 बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास

5.5.2.2.1 मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों की स्थापना

5.5.2.2.1.1 मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास एक ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो समुद्री मत्स्य उत्पादन और इसके निर्यात को बढ़ाने में योगदान देता है। मात्स्यिकी क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पारंपरिक मात्स्यिकी यानों, यांत्रिकृत मात्स्यिकी यानों और गहरे समुद्र में मात्स्यिकी जलयानों की सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 1964 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरु की गयी। इस योजना के तहत सृजित सुविधाएं हैं: मत्स्यन बंदरगाह और मछली उतारने के केन्द्र जिनमें खारा जल, वार्फ, जैटी, ड्रेजिंग, पुनरूद्धार, क्वे, नीलामी हॉल, स्लिपवे, वर्कशॉप, जाल बुनने के शेड और अन्य सहायक सुविधाएं शामिल हैं।

5.5.2.2.1.2 दसवीं पंचवर्षीय योजना से इस योजना को ''मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों की स्थापना'' संबंधी घटक के रूप में समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के साथ मिला दिया गया है। इस घटक के तहत केन्द्रीय वित्तीय सहायता विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को प्रदान की जाती है जिसमें शामिल हैं (i) (क) छोटे मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण और (ख) मौजूदा छोटे मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के उन्नयन/विस्तार/मरम्मत/पुनरूद्धार के लिए तटवर्ती राज्यों, पोर्ट ट्रस्ट, मछुआरा सहकारी समितियों/संगठनों/एसोसिएशनों को 75% और संघ शासित प्रदेशों को 100%, (ii) मौजूदा बड़े बंदरगाहों के विस्तार/आधुनिकीकरण सहित बड़े मात्स्यिकी बंदरगाहों के निर्माण के लिए तटवर्ती राज्यों, पोर्ट ट्रस्ट, मछुआरा सहकारी समितियों/संगठनों/एसोसिएशनों को 100% सहायता और (iii) बनाओ, चलाओ और अंतरण करो (बीओटी) आधार पर बड़े/छोटे मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए छोटे उद्यमियों को 50% सहायता।

5.5.2.2.1.3 वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 (31 दिसंबर, 2012 तक) के दौरान मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के विकास के लिए विभिन्न लाभार्थी राज्यों और संघ- राज्य क्षेत्रों को इस योजना के अन्तर्गत क्रमशः 5,990.33 लाख और 4,473.25 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

31.12.2012 तक विभिन्न तटवर्ती राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में कुल 7 प्रमुख मत्स्यन बंदरगाहों, 74 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों तथा 197 मछली उतारने के केन्द्रों संबंधी क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा, 1 प्रमुख मत्स्यन बंदरगाह, 13 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों तथा 11 मछली उतारने के केंद्रों की मरम्मत तथा नवीयन/आधुनिकीकरण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है।

5.5.2.2.2 पोस्ट हार्वेस्ट बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

5.5.2.2.2.1 आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक क्रियान्वित केन्द्रीय क्षेत्र की इस स्कीम को 10वीं पंचवर्षीय योजना से समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालनों का विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत एक घटक के रूप में पुनः शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य मत्स्य किसानों को उनके उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ताजी मछली उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक सुविधाएं सृजित करना था।

5.5.2.2.2.2 चल रही योजना अवधि के तहत घटक में तीन उप-घटक शामिल हैं अर्थात् (i) मत्स्य संरक्षण और भंडारण संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास, (ii) खुदरा मत्स्य विपणन संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास, (iii) मत्स्य ढुलाई संबंधी बुनियादी सुविधाओं के लिए सहायता और (iv) मेट्रो और बड़े शहरों में केन्द्रीय मत्स्य बाजारों का विकास। इस कार्यक्रम को सरकारी उपक्रमों, निगमों, परिसंघों, विपणन बोर्डों, सहकारी समितियों, स्व-सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं के स्वसहायता समूहों, अनुसूचित जाति/जनजाति के स्व-सहायता समूहों, मछुआरों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली निजी कंपनियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

5.5.2.2.2.3 इस घटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 2651.80 लाख रुपए की कुल लागत पर 25 पोस्ट हार्वेस्ट परियोजनाएं अनुमोदित की गई थी। 2012-13 (31 दिसंबर, 2012 तक) के दौरान 1,585.53 लाख रुपए कुल लागत पर 20 पोस्ट हार्वेस्ट परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं।

5.5.2.2.3 मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों की ड्रेजिंग के रखरखाव के लिए सहायता

5.5.2.2.3.1 देश के तट पर चल रहे विभिन्न श्रेणी के मत्स्यन यानों के लिए सुरक्षित लैंडिंग और बर्थिंग सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समुद्री राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत मत्स्यन बंदरगाह और मछली उतारने के केन्द्रों की सुविधाओं का विकास किया गया है। प्रत्येक मत्स्यन बंदरगाह/मछली उतारने के केन्द्र प्राकृतिक घटना के कारण गाद से भर जाते हैं। बंदरगाह/मछली उतारने के केन्द्र बेसिन को सुरक्षित नौचालन के लिए ठीक रखने के लिए इनका आवधिक रखरखाव अनिवार्य है।

5.5.2.2.3.2 मौजूदा मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों और ड्रेजिंग के समक्ष आ रही गाद की समस्या को महसूस करते हुए 1248 मिलियन जापानी येन की सहायता से जापानी अनुदान सहायता कार्यक्रम के तहत एक ट्रेलिंग सक्शन होपर ड्रेजर ''टी एस डी सिंधुराज'' को खरीदा गया है। ड्रेजर टी एस डी सिंधुराज उथले पानी में ड्रेजिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। 2 से 2.50 मीटर ड्राफ्ट और 200 क्यूबिक मीटर हापर क्षमता युक्त यह ड्रेजर वर्ष में लगभग 2 लाख घन मीटर गाद निकाल सकते हैं।

5.5.2.2.3.3 ड्रेजर का संचालन और रखरखाव पोर्ट विभाग, केरल सरकार के माध्यम से किया गया है जिसके लिए रखरखाव की लागत और बीमा आदि का खर्च योजना के तहत केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है। इसके अलावा, मौजूदा मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों की ड्रेजिंग/गाद हटाने के लिए विभिन्न क्रियान्वयन एजेसियों को मौजूदा मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों पर ड्रेजिंग/गाद हटाने की लागत को 50% तक केन्द्रीय सहायता दी जाती है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में ड्रेजिंग के रखरखाव की 100% लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाती है।

5.5.2.2.3.4 इस घटक के तहत 2011-12 के दौरान 1235.70 लाख रुपए की केंद्रीय देयता के साथ कुल 2471 लाख रुपए की लागत से एक प्रमुख मत्स्यन बंदरगाह तथा 10 छोटे मत्स्यन बंदरगाहों में ड्रेजिंग कार्य प्रारंभ किया गया।

5.5.2.3 नवीन गतिविधियां प्रारंभ के लिए प्रावधान

5.5.2.3.1 यह एक नया घटक है, जिसे 11वीं योजनावधि के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत शुरु किया गया था। इस घटक के तहत समुद्री मात्स्यिकी/बुनियादी सुविधाओं, मानव संसाधन विकास में मात्स्यिकी प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण, मात्स्यिकी में

निगरानी, मूल्यांकन तथा अनुसंधान और विकास अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

5.5.3 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की प्रगति

5.5.3.1 समुद्री मात्स्यिकी, बुनियादी सुविधाओं और पोस्ट हार्वेस्ट संचालन का विकास संबंधी स्कीम के तहत विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों को 2011-12 के दौरान 7592.91 लाख रुपए की राशि और 2012-13 (31 दिसम्बर, 2012) के दौरान 6,067 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.5.4 गहरे समुद्र में मात्स्यिकी का विकास

5.5.4.1 भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारतीय ध्वज वाले यानों को अनुमति देने के लिए नवम्बर, 2002 के दौरान इस विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर भारतीय कंपनियों को संसाधन विशिष्ट जलयानों के आयात और संचालन अनुज्ञप्ति पत्र (एलओपी) जारी किए जाते हैं। अब तक 27 भारतीय कंपनियों/फर्मों से संबद्ध 91 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले यानों के पास वैध एलओपी है और वे क्षेत्रीय जलक्षेत्र से आगे भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में मछली पकड़ने के लिए प्राधिकृत हैं।

5.5.4.2 भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र से समुद्री मात्सियकी संसाधनों का पुनः विधिमान्यकरण इस विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञों के कार्य दल द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र से संभावित उत्पादन का 4.41 मिलियन टन पुनः विद्यिमान्यकरण किया गया है, जिसमें से पेलेजिक संसाधन 2.13 मिलियन टन है, डिमर्सल संसाधन 2.07 मिलियन टन हैं और महासागरीय संसाधन 0.22 मिलियन टन होंगे। सभावित उत्पादन का वर्तमान आकलन इसके पिछले आकलन जिसे 2000 में विशेषज्ञों के कार्य दल ने 3.92 मिलियन टन आंका था से 0.5 मिलियन टन अधिक है।

5.6 राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना

5.6.1 इस योजना के निम्नलिखित चार घटक हैं:

(क) आदर्श मछुआरा गांवों का विकास

(ख) सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा

(ग) बचत-सह-राहत और

(घ) प्रशिक्षण और विस्तार

5.6.1.1 आदर्श मछुआरा गांवों का विकास: इस घटक का उद्देश्य मछुआरों को आवास, पेयजल और सामुदायिक हॉल के निर्माण जैसी बुनियादी नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है। एक मछुआरा गांव में कम से कम 10 घर होंगे। गांवों में ट्यूबवेल दिए जाएंगे और प्रत्येक 20 घरों के लिए एक ट्यूबवेल होगा। कम से कम 75 घरों वाला एक मछुआरा गांव मनोरंजन और सामान्य कार्यस्थल के लिए एक सामुदायिक हॉल के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने का पात्र है। इस योजना के तहत एक घर के लिए यूनिट लागत 50,000/-रुपए, ट्यूबवेल के लिए 30,000/-रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 35,000 रुपए) और सामुदायिक हॉल के लिए 1,75,000/-रुपए की है। इस खर्च को समान रूप से केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में समूचा खर्च केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।

5.6.1.2 सक्रिय मछुआरों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा: इस घटक का उद्देश्य मात्स्यिकी में सक्रिय रूप से कार्यरत मछुआरों को बीमा कवर उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सक्रिय मछुआरों का दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता के लिए एक वर्ष हेतु 1,00,000/- रुपए और स्थायी रूप से आंशिक अपंगता के लिए 50,000/- रुपए का बीमा किया जाता है। बीमा प्रीमियम की ऊपरी सीमा 30 रुपए प्रति व्यक्ति है। वार्षिक प्रीमियम की 50% तक की सब्सिडी केन्द्र द्वारा अनुदान सहायता के रूप में सब्सिडी दी जाती है और शेष 50% राज्य सरकारों द्वारा। संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 100% प्रीमियम भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों फिशकॉपफेड के माध्यम से भाग ले रहे हैं उन सभी के मामले में एकल नीति अपनाई जाती है।

5.6.1.3 बचत-सह-राहत: इस घटक का उद्देश्य कमी के मौसम के दौरान मछुआरों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस घटक के तहत लाभार्थी को अधिकता वाले महीनों के दौरान अपनी कमाई का एक भाग देना होता है। मात्स्यिकी अवधि के नौ महीनों में 600/- रुपए का योगदान मछुआरे द्वारा किया जा रहा है और 1,200/- रुपए का योगदान केन्द्र और राज्य द्वारा 50:50 के आधार पर किया जा रहा है। मछुआरों को कमी वाले मौसम के तीन महीनों के लिए 600/- रुपए प्रतिमाह की दर से कुल 1,800/- रुपए वितरित कर दिया जाता है।

5.6.1.4 प्रशिक्षण और विस्तार: योजना का इस मुख्य उद्देश्य मात्स्यिकी कार्मिकों को प्रशिक्षण देना है ताकि मात्स्यिकी विस्तार कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से चलाने में उनकी मदद की जा सके। यह योजना मछुआरों को उनकी क्षमता को बढ़ाने में सहायता देती है। प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना/उन्नयन के लिए भी सहायता देने का प्रावधान है। वर्ष 1999-2000 से इस योजना को राज्यों के मामले में 80% केन्द्रीय सहायता और संघ शासित प्रदेशों के मामलों में 100% केन्द्रीय सहायता के साथ चलाया गया है। मात्स्यिकी सेक्टर में पणधारियों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र सरकार और एनएफडीबी भी एफआईएसए चएलवपीएफईडी को निधियां प्रदान करती है।

5.6.2 वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान स्कीम की प्रगति

5.6.2.1 3,041 घरों के निर्माण के लिए बचत-सह-राहत घटक के तहत 4.39 लाख मछुआरों को कवर करने के लिए, सामूहिक दुर्घटना बीमा घटक के तहत 39.04 लाख मछुआरों को कवर करने तथा 3,400 मत्स्य किसानों के प्रशिक्षण के लिए 2011-12 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /फिशकॉपफेड को 44.06 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.6.2.2 वर्ष 2012-13 (31 दिसंबर, 2012 तक) के दौरान मछुआरों के लिए 3235 घरों के निर्माण के लिए बचत-सह-राहत घटक के तहत लगभग 2.69 लाख मछुआरों को कवर करने के लिए, सामूहिक दुर्घटना बीमा में 35.74 लाख मछुआरों को कवर करने, एक प्रशिक्षण-सह-जागरुकता केंद्र की स्थापना के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों/फिशकॉपफेड को 31.32 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

5.7 मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

5.7.1 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ''मात्स्यिकी क्षेत्र का डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण'' संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र की

स्कीम को 48.68 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 100% केन्द्रीय सहायता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के निम्नलिखित घटक हैं:-

(क) अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों और उनकी क्षमता तथा मत्स्य उत्पादन के अनुमान के लिए नमूना सर्वेक्षण।

(ख) समुद्री मात्स्यिकी संबंधी संगणना।

(ग) अंतर्देशीय और समुद्री मात्स्यिकी के लिए वैचा मूल्यांकन सर्वेक्षण।

(घ) जी आई एस का विकास।

(ड.) तटवर्ती राज्यों में मत्स्य उत्पादन क्षमता का आकलन।

(च) मूल्यांकन अध्ययन/व्यावसायिक सेवाएं।

(छ) मत्स्यन यानों का पंजीकरण।

(ज) भारतीय मात्स्यिकी सहकारिता के लिए डाट बेस का विकास।

(झ) छोटे जल निकायों की मैपिंग और जीआईएस आधारित मात्स्यिकी प्रबंधन प्रणाली का विकास।

(ञ) मुख्यालय में सांख्यिकी यूनिट को सुदृढ़ करना।

5.7.1.1 अंतर्देशीय मात्स्यिकी संसाधनों और उनकी क्षमता तथा मत्स्य उत्पादन के अनुमान के लिए नमूना सर्वेक्षण: अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता की संभावना के साथ अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन के बेंचमार्क अनुमान तैयार करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्षों में एक बार नमूना सर्वेक्षण किया गया था। अब तीन राज्यों, नामतः हरियाणा, कर्नाटक, और असम के 22 जिलों में संभावित उत्पादन के लिए पाईलट अध्ययन आयोजित करना प्रस्तावित है।

5.7.1.2 समुद्री मात्स्यिकी संबंधी संगणना: समुद्री मात्स्यिकी संबंधी संगणना 2010 में आयोजित की गई थी जिसके अंतर्गत मुख्यभूमि का कार्य केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) को और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप का कार्य भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को सौंपा गया था।

5.7.1.3 अंतर्देशीय और समुद्री मात्स्यिकी के लिए वैचा विश्लेषण सर्वेक्षण: अंतर्देशीय और समुद्री मात्स्यिकी पर कैच विश्लेषण सर्वेक्षण नियमित आधार पर आयोजित किए जाते हैं और राज्य नमूना सर्वेक्षण के जरिए एकत्रित आंकड़ों के आधार पर मत्स्य उत्पादन का तिमाही अनुमान प्रस्तुत कर रहे हैं। नमूना सर्वेक्षण की प्रक्रिया अंतर्देशीय के लिए केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) और समुद्री मात्स्यिकी के लिए सीएमएफआरआई द्वारा विकसित की गई है।

5.7.1.4 मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली का विकास: भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का विकास करने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 0.5 हैक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल वाले अंतर्देशीय जलनिकायों को सभी राज्यों में एलआईएसएस III और पांच राज्यों में एलआईएसएस IV उपग्रह चित्रों द्वारा मैप किया गया था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, सभी राज्यों में एलआईएसएस IV चित्रों का प्रयोग किया जा रहा है और 0.5 हैक्टेयर से अधिक, जलनिकायों को कवर किया जाएगा।

5.7.1.5 तटवर्ती क्षेत्रों में संभावित मत्स्य उत्पादन का विश्लेषण: सही उत्पादन आंकड़ा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि खारा जल जलकृषि फार्मों में उत्पादित विभिन्न प्रजातियों को भी संपूर्ण उत्पादन आंकड़ों में शामिल किया जाए। इस दिशा में, कृषकों/एकत्रीकरण केंद्रों/प्रसंस्करण संयंत्रों के जरिए इस सूचना को एकत्रित करने के लिए एक सुचारू प्रक्रिया तैयार की जाएगी। संभावित अनुमान के लिए सर्वेक्षण कार्य सीआईएफआरआई/राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

5.7.1.6 मूल्यांकन अध्ययन/पेशेवर सेवाएं: किसी स्कीम या स्कीम के किसी विशिष्ट घटक योजना की प्रगति का विश्लेषण करने के लिए, समय-समय पर मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के लिए, यह घट क रखा गया है।

5.7.1.7 मत्स्यन यानों का पंजीकरण: 26.11.2008 को मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले के बाद अन्य तटवर्ती सुरक्षा मसलों के साथ-साथ मत्स्यन जलयानों के पंजीकरण के मामले पर काफी जोर दिया गया है और तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रकार की पंजीकरण प्रक्रियाओं के स्थान पर आकार या टन क्षमता को ध्यान में न रखते हुए सभी प्रकार के मत्स्यन जलयानों के पंजीकरण के लिए समान प्रणाली अपनाया जाना अपेक्षित है।

5.7.1.8 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, नई दिल्ली में केंद्रीकृत डाटाबेस सृजित करने के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने के अलावा इस घटक को नौ तटवर्ती राज्यों और चार संघ-राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया गया है । इस घटक के अंतर्गत अपेक्षित साफ्टवेयर के विकास और आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के सृजन हेतु सभी तटवर्ती राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और राष्ट्रीय सूचना केंद्रों (एनआईसी) को 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली में केंद्रीकृत डाटाबेस विकसित करने की संपूर्ण लागत और इसका प्रबंधन, रख-रखाव और प्रचालन इस योजना के अंतर्गत पूरा किया जाएगा।

5.7.1.9 भारतीय मात्स्यिकी सहकारिता डाटाबेस का विकास: मछुआरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, विशेषतः आय, साक्षरता, तकनीकी ज्ञान इत्यादि का अध्ययन करना आवश्यक है। फिशकोपफेड भारत के 30 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में मूल स्तरीय सहकारिता सोसाइटियों के पास उपलब्ध सुविधाओं को रिकार्ड करेगा और सर्वेक्षण आयोजित करेगा। फिशकोपफेड इस प्रयोजन के लिए फील्ड पर्यवेक्षकों/जांचकर्ताओं को भी नियुक्त करेगा। फिशकोपफेड आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में चार क्षेत्रीय कार्यालय भी चला रहा है। इस परियोजना के लिए 100 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

5.7.1.10 छोटे जलनिकायों की मैपिंग और जीआईएस आधारित मात्स्यिकी प्रबंधन प्रणाली का विकास: इस घटक को पाईलट आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य में क्रियान्वित किया जाएगा, जो वर्ष 2007 में कतिपय, रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग करते हुए 1:4000 के स्केल पर या 5 कोटा (0.08 एकड़) या इससे बड़े क्षेत्र के सभी जल निकायों ऐसे जलनिकायों से संबंधित क्रियाकलापों से संबद्ध और के मैपिंग से संबंधित विचार से संबद्धत्र है। इस परियोजना प्रस्ताव में जल निकायों की मैपिंग और जीआईएस आधारित संगत गतिविधियों मात्स्यिकी प्रबंधन प्रणाली का विकास शामिल है।

5.7.1.11 मुख्यालय में सांख्यिकी यूनिट का सुदृढ़ीकरण: मुख्यालय में कर्मचारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण, इस स्कीम के लिए सांख्यिकी को समेकित करना संभव नहीं है, अतः संविदा आधार पर डाटा एंट्री आपरेटरों को रखने और आवश्यक बुनियादी वस्तुओं जैसे साफ्टवेयर पैकेज के साथ पी सी, फोटोकापीयर, स्केनर तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने का प्रस्ताव है, जिसके लिए 10 लाख रुपए की राशि प्रस्तावित है।

5.7.2 2011-12 और 2012-13 के दौरान योजना की प्रगति

5.7.2.1 इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2010-11 के लिए 9.47 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी

और 2012-13 (31 दिसंबर, 2012 तक) के दौरान 2.93 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

5.8 मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता

5.8.1 केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), कोची

5.8.1.1 केन्द्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) की स्थापना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1963 में कोच्चि में की गई थी। उसके बाद इस संस्थान की दो और शाखाएं चेन्नई और विशाखापटनम में स्थापित की गई थीं। इस संस्थान का प्रमुख उद्देश्य मात्स्यिकी यानों को चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों और तटीय प्रतिष्ठानों के लिए तकनीशियनों को उपलब्ध कराना है।

5.8.1.2 संस्थान विभिन्न पाठ्यक्रम चलाता है जिनमें शामिल हैं (i) यू जी सी द्वारा मान्यताप्राप्त कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से अनुमोदित और संबद्ध मात्स्यिकी विज्ञान(नौचालन विज्ञान) में स्नातक (ii) राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित दो-दो वर्ष की अवधि के दो ट्रेड पाठ्यक्रम अर्थात् जलयान नेविगेटर और मैरीन फिटर; और (iii) व्यावसायिक कॉलेजों, संबद्ध संगठनों, राज्य सरकारों के मात्स्यिकी विभागों आदि के छात्रों के लाभ के लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

5.8.1.3 2012-13 (31 दिसंबर, 2012 तक) के दौरान इन दो प्रमुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों बीएफएससी (नौचालन विज्ञान) और वीएनसी/एमएफसी में क्रमशः 77 तथा 164 लोगों को प्रशिक्षित किया गया था। इसके अलावा, 07 लोगों को शोर मकैनिक्स पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया था और मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी, गियर प्रौद्योगिकी, समुद्री इंजीनियरिंग आदि में प्रायोजित/विभागीय उम्मीदवारों के लिए विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 359 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था। उपर्युक्त मुख्य पाठ्यक्रमों के अलावा सभी तीनों केंद्रों पर विभिन्न अल्पकालिक/अनुषंगी पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस संस्थान के पास तीन मात्स्यिकी प्रशिक्षण जलयान हैं और इन सभी का संस्थागत प्रशिक्षुओं को ऑनबोर्ड व्यावहारि प्रशिक्षण देने के लिए तथा संस्थान के संस्थानोत्तर प्रशिक्षुओं के लिए क्वालिफाईग समुद्री सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

5.8.1.4 वर्ष 2012-13 के दौरान (31 दिसंबर, 2012 तक) 13.69 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे।

5.8.2 राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, (एनआईएफपीएचएटीटी) कोचीन

5.8.2.1 भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में समेकित मात्स्यिकी परियोजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान कर दिया गया था।

5.8.2.2 2011-12 के दौरान, इस संस्थान ने 167.65 टन मछलियों को प्रसंस्कृत किया और इनसे 115.76 टन विभिन्न प्रकार के मत्स्य उत्पादों को तैयार किया। एनआईएफपीएचएटीटी ने स्टालों, सचल यूनिटों, ठेकों पर बिक्री इत्यादि के जरिए 99.19 लाख मूल्य के 126.41 टन मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों की बिक्री की। इस संस्थान ने विभिन्न विधाओं में 495 प्रशिक्षुओं को 7,438 प्रशिक्षु दिवसों का प्रशिक्षण प्रदान किया जिससे 3.69 लाख रुपए का कुल राजस्व प्राप्त हुआ। सभी स्रोतों से प्राप्त कुल राजस्व 184.26 लाख रूपए था। वर्ष 2012-13 के दौरान (31 दिसम्बंर, 2012 तक), संस्थान ने 109.25 टन कच्चे माल को प्रसंस्कृत किया और 74.09 टन विभिन्न मत्स्य उत्पादों को तैयार किया। इसने स्टालों, सचल यूनिटों,

ठेके पर बिक्री इत्यादि के जरिए 80.84 लाख रुपए के मूल्य के 82.21 टन मत्स्य एवं मत्स्य उत्पादों की बिक्री की। इस संस्थान ने विभिन्न पाठयक्रमों में 7688 प्रशिक्षण दिवसों के साथ कुल 460 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया और 4.08 लाख रुपए का कुल राजस्व प्राप्त किया। संस्थान ने सभी स्रोतों से कुल 98.54 लाख रु. का राजस्व अर्जित किया।

5.8.2.3 वर्ष 2012-13 के दौरान (31 दिसंबर, 2012 तक) योजना के अंतर्गत 164.37 लाख रुपए का व्यय हुआ है।

5.8.3 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई)

5.8.3.1 भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई) भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों के सर्वेक्षण और आकलन के लिए उत्तरदायी है और इसका मुख्यालय मुम्बई में है। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के पश्चिमी तट पर मुम्बई, मोरमुगांव और कोच्चि, पूर्वी तट पर चेन्नई और विशाखापटनम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में पोर्टब्लेयर में 6 कार्यात्मक बेस हैं। मात्स्यिकी संसाधन सर्वेक्षण और निगरानी के लिए कुल 12 महासागरीय अनुवर्ती सर्वेक्षण जलयान तैनात किए गए हैं। संसाधन सर्वेक्षणों के अलावा, भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण विनियमन और प्रबंधन के प्रयोजन के लिए मात्स्यिकी संसाधनों की निगरानी करता है। गहरे समुद्र और महासागरीय मत्स्यन के लिए विभिन्न प्रकार के क्राफ्ट और गियर की उपयुक्तता का आकलन करता है, सिफनेट/पॉलीटेक्निक प्रशिक्षणार्थियों को जलयान पर ही प्रशिक्षण देता है, मत्स्यन समुदाय, उद्योग, अन्य प्रयोगकर्त्ताओं आदि को विभिन्न मीडिया के माध्यम से मत्स्यन संसाधनों संबंधी जानकारी देता है। संस्थान का सर्वेक्षण बेड़ा बाटम ट्रॉल सर्वेक्षण करता है, मिडवाटर/कालमनार संसाधनों का सर्वेक्षण करता है और डीमर्सल, कालमनार तथा महासागरीय टूना तथा सहायक संसाधनों के लिए और महासागरीय शार्कों के लिए ऑनलाइन सर्वेक्षण करता है।

5.8.3.2 इन कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ संस्थान ने संबंधित क्षेत्रों की समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए सभी तटवर्ती राज्यों में विस्तार गतिविधियों के हिस्से के रूप में मछुआरों, मत्स्यन उद्योग व एंड यूजर्स के लाभ के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं, ओपन हाउसों से, प्रदर्शनियों आदि का भी आयोजन किया। इन कार्यशालाओं तथा ओपन हाउसों में सक्रिय भागीदारी करके लगभग 996 मछुआरे लाभान्वित हुए। संस्थान समुद्री मत्स्य लेंडिंग सांख्यिकी के एकत्रीकरण और संकलन में कृषि मंत्रालय व राज्य बोर्डों के बीच एक संपर्क सूत्र बना हुआ है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी), हैदराबाद और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के सहयोग से ऑन बोर्ड प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि मछुआरों के लाभ के लिए एफएसआई सर्वेक्षण जलयानों पर टूना लांग लाइनिंग में मछुआरों को प्रशिक्षित किया जा सके।

5.8.3.3 2011-12 और 2012-13 (31 दिसम्बर, 2012 तक) की अवधि के दौरान सर्वेक्षण यानों ने मिलकर क्रमशः 926 मात्स्यिकी दिवस तथा 565 मात्स्यिकी दिवस बिताए जिसमें 2440 घंटे और 1418 घंटों के कुल मात्स्यिकी प्रयास शामिल थे तथा क्रमशः 1,78,009 हुक और 1,34,960 हुकों का संचालन किया।

5.8.3.4 2011-12 और 2012-13 (दिसम्बर 2012 तक) के दौरान क्रमशः 30.18 करोड़ रुपए और 20.73 करोड़ रुपए का खर्च किया गया था।

5.8.3.5 इन कार्यों को पूरा करने के अलावा, संस्थान ने संबंधित क्षेत्रों में समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए सभी समुद्रतटीय राज्यों में विस्तार क्रियाकलाप

के अंग के रूप में मछुआरों, मत्स्य उद्योग और उपयोगकर्ताओं के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला, ओपन हाउस, प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन किया। यह संस्थान समुद्री मत्स्य लैंडिंग सांख्यिकी को एकत्रित और समेकित करने में कृषि मंत्रालय और राज्य मात्स्यिकी के बीच एक संपर्क सूत्र बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, समुद्रतटीय राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रायोजित मछुआरों को टूना लॉग लाइनिंग के लिए आन-बोर्ड प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी सर्वेक्षण जलयानों का उपयोग किया जाता है। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण ने सफलतापूर्वक अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप के लिए राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी संगणना-2010 को भी आयोजित किया।

5.8.4 केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान (सीआईसीईएफ), बंगलौर

5.8.4.1 केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के खाद्य और कृषि संगठन की तकनीकी और मानव शक्ति सहायता से जनवरी, 1968 में हुई थी। इस संस्थान को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के तट पर मौजूद संभावित मात्स्यिकी बंदरगाह स्थलों का पता लगाया जा सके ताकि मात्स्यिकी बंदरगाहों का विकास हो सके, मछली उतारने वाले केन्द्रों, खाद्य जल झींगा फार्मों और हैचरी परियोजनाओं के विकास के लिए चुनिन्दा मात्स्यिकी बंदरगाह स्थलों के लिए इंजीनियरी और आर्थिक अन्वेषण किया जा सके तथा तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार की जा सकें।

5.8.4.2 इस संस्थान ने 31 दिसंबर, 2012 के अंत तक 84 स्थानों पर मात्स्यिकी बंदरगाहों और मछली उतारने के केन्द्रों के विकास के लिए इंजीनियरी और आर्थिक सर्वेक्षण किए हैं तथा 84 स्थानों के लिए तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की हैं। इस संस्थान ने लगभग 66,200 हैक्टेयर खारा जल क्षेत्र की सिफारिश की है और खारा जल झींगा पालन परियोजनाओं के विकास के लिए सभी तटवर्ती राज्यों में 15,600 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र में इंजीनियरी अन्वेषण किए हैं।

5.8.4.3 वर्ष 2012-13 के दौरान, संस्थान ने महाराष्ट्र में वरसोवा मत्स्यन बंदरगाहों पर मत्स्यन बंदरगाह के विकास के लिए इंजीनियरी और आर्थिक सर्वेक्षण किए हैं। इस संस्थान ने तमिलनाडु में पूमपुहर पर प्रस्तावित मत्स्यन बंदरगाह के लिए संशोधित प्रौयोगिकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की व जारी की। आंध्र प्रदेश में उप्पलंका तथा वियपुथिप्पा पर मछली उतारने के प्रस्तावित केंद्रों के दौरों पर रिपोर्ट तैयार की और प्रस्तुत की। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता के अंतर्गत मछली उतारने के केन्द्र 1) केरल में बेपोर मत्स्यन बंदरगाह, 2) तमिलनाडु में थेटूकोडी मत्स्यन बंदरगाह और 3) कोलाचल मत्स्यन बंदरगाह के आधुनिकीकरण/नवीनीकरण पर तकनीकी मूल्यनिरूपण रिपोर्टें तैयार की व जारी कीं।

5.8.4.4 गैर-योजना के अंतर्गत 2012-13 के लिए 375.00 लाख रुपए के बजट व्यय की तुलना में, (31.12.2012 तक) वास्तविक संचयी व्यय 171.50 लाख रुपए है और चालू वित्त वर्ष में इस संस्थान के लिए योजना के तहत् निधियों का कोई भी आबंटन नहीं है।

5.9 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एनएफडीबी)

5.9.1 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना सितम्बर, 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय

हैदराबाद में स्थित है। बोर्ड की स्थापना अंतर्देशीय और समुद्री मत्स्य कैप्चर, पालन, प्रसंस्करण और विपणन में मात्स्यिकी क्षेत्र की दोहन न की गई क्षमता का उपयोग करने तथा मात्स्यिकी के इष्टतम उत्पादन और उत्पादकता के लिए जैव प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान और विकास के मौजूदा उपकरणों का इस्तेमाल करके मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए की गई थी।

5.9.2 बोर्ड की गतिविधियों का जोर देश के मछली उत्पादन को बढ़ाकर 10.3 मिलियन टन के स्तर पर करने, निर्यात को 7 हजार करोड़ रुपए से दो गुना करके 14 हजार करोड़ रुपए करने और अंतर्देशीय, खारा जल तथा समुद्री क्षेत्रों के तहत गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न एजेंसियों को सहायता देकर 3.5 मिलियन लोगों को रोजगार देने पर है। यह मात्स्यिकी के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के लिए प्लेटफार्म का प्रचार करेगा।

आधुनिक श्रिंप हैचरी

5.9.3 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के लक्ष्य इस प्रकार हैं :

(i) मात्स्यिकी और जलकृषि से संबंधित प्रमुख गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना और उन्हें व्यावसायिक प्रबंधन के तहत लाना;

(ii) केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा चलाई जा रही मात्स्यिकी से संबंधित गतिविधियों को समन्वित करना तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी समन्वय करना;

(iii) उत्पादों और कल्चर मात्स्यिकी के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, ढुलाई और विपणन में सुधार करना;

(iv) मत्स्य स्टॉक सहित प्राकृतिक जलीय संसाधनों का सतत प्रबंधन और संरक्षण करना;

(v) मात्स्यिकी से इष्टतम उत्पादन और उत्पादकता के लिए जैवप्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान और विकास के आधुनिक उपकरणों को लागू करना;

(vi) मात्स्यिकी के लिए आधुनिक अब संरचनात्मक तंत्र उपलब्ध कराना और उनके प्रभावी प्रबंधन और इष्टतम उपयोग सुनिश्चत करना;

(vii) पर्याप्त रोजगार सृजित करना;

(viii) महिलाओं को मात्स्यिकी क्षेत्र में प्रशिक्षित और सशक्त करना;

5.9.4 राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की उपलब्धियां :

5.9.4.1 तालाबों एवं पोखरों में सघन जलकृषि: वर्ष 2012-13 के दौरान दिसंबर, 2012 तक 8 राज्यों को 167.32 हैक्टेयर में नए जलाशयों के निर्माण/नवीनीकरण, 11 हैचरियों, 29.43 हैक्टेयर के मछली बीज पालन यूनिटों; सघन जलकृषि प्रक्रियाओं मे 12089 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने और प्रदर्शन के लिए 509.25 लाख रुपए की राशि दी गई है।

5.9.4.2 शीतजल मात्स्यिकी: हिमाचल प्रदेश सिक्किम तथा तमिलनाडु में 300 बहते जलवाली कल्ख्वर यूनिटों, 3 ट्राउट हैचरियों तथा 120 ट्राउट रेसवे की स्थापना के लिए 151.25 लाख रुपए की राशि दी गई।

5.9.4.3 जलाशय मात्स्यिकी विकास: 3.5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 153 जलाशयों में बीज स्टाकिंग के लिए और जलाशय मात्स्यिकी प्रबंधन में 1370 सदस्यों को प्रशिक्षण और प्रदर्शन के लिए 16 राज्यों को 756.08 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई थी।

5.9.4.4 तटवर्ती जलकृषि: आरसीए के वर्तमान एक्यूएफ का विस्तार करने, श्रिम्प फार्म को ,खारा जल फिन फिश कल्चर तालाबों में परिवर्तित करने के लिए तथा 4 प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजनाएं नामतः बायो-रेमडिएशन तथा इंटीग्रल रोग प्रबधन सहित शून्य जल अंतरण श्रिम्प कल्चर भारत में व्हाइट लैग श्रिम्प (एल.वन्नामई) की खेती के प्रबंधन और मूल्य श्रंखला सुधार संबंधी कार्यनीति, एल.वन्नामई कल्चर प्रणाली को विकसित करने और केरल तथा तमिलनाडु में बीएमपी विकसित करने से जुड़े उत्पादन जोखिम संबंधी 383.72 लाख रूपए की धनराशि जारी की गई थी।

5.9.4.5 मछली पालन: लक्षद्वीप में एक समुद्री सजावटी मछली हैचरी तथा तमिलनाडु में समेकित समुद्री सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने के लिए 53.15 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई थी।

5.9.4.6 पोस्ट हार्वेस्ट प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधा: केरल और में 2 मत्स्यन बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए 115.29 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई थी।

5.9.4.7 स्वदेशी विपणन: 11 थोक मत्स्य बाजार के आधुनिकीकरण: 9 आधुनिक मत्स्य रिटेल बाजार स्थापित करने और महिला मछुआरा सहकारिताओं को 5 रिटेल बिक्री केन्द्र, 4 संचल बिक्री वाहनों के लिए, थोक मत्स्य बाजार के आधुनिकीकरण के लिए 9 राज्यों को 1778.53 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई थी। मछली के रखरखाव, मूल्यवर्द्धन और विपणन की विभिन्न पहलुओं पर लगभग 5205 प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

5.9.4.8 गहरे समुद्र मत्स्यन और टूना प्रसंस्करण: 65 फुट की एक मल्टीगिअर मत्स्यन नौका के निर्माण के लिए, तथा 120 मछुआरों को टूना लांग लाइनिंग में प्रशिक्षण देने के लिए लक्षद्वीप को 22.80 लाख रु. जारी किए गए।

5.9.4.9 सजावटी मछली पालन : देश में आठ राज्यों में 127 एकीकृत/मध्यम स्तर की बैकयार्ड सजावटी मछली यूनिटें स्थापित करके सजावटी मछली पालन के विकास के लिए 105.35 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

5.9.4.10 मानव संसाधन विकास कार्यक्रम: राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड ने अंतर्देशीय, घरेलू विपणन तटीय और समुद्री मात्स्यिकी के विभिन्न पहलुओं पर 18,879 कृषकों/मछुआरों को प्रशिक्षित करने के लिए 187.52 लाख रुपए की राशि खर्च की। इसके अतिरिक्त, 21.96 लाख रुपए की लागत से मात्स्यिकी व्यवसायियों को वैज्ञानिक प्रबंधन प्रक्रिया, शासन, विपणन, बंदरगाह प्रबंधन, विस्तार प्रबंधन, सहकारिता प्रबंधन, ब्रूड स्टाक में सुधार, केज पालन, मड क्रैब पालन, झींगा पालन, स्वच्छतापूर्वक रखरखाव, प्रसंस्करण और मत्स्य पैकेजिंग में प्रशिक्षित किया गया है।

5.9.4.11 वर्ष 2012-13 (दिसंबर, 2012 तक) में लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 43.15 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

5.10 तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण

5.10.1 सीएए का गठन दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 की राजपत्रित अधिसूचना के तहत तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत हुआ था। प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य तटवर्ती पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में तटवर्ती जलकृषि गतिविधियों को विनियमित करना है। इस प्राधिकरण के पास तटवर्ती क्षेत्रों में जलकृषि फार्मों के निर्माण और संचालन, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने के लिए फार्मों का निरीक्षण, जलकृषि फार्मों के पंजीकरण, आदानों तथा अपगामी नदियों के मानक तय करने, प्रदूषण फैलाने वाले तटवर्ती जलकृषि फार्मों इत्यादि का हटाने अथवा ध्वस्त करने की शक्तियां हैं।

5.10.2 पशुधन आयात अधिनियम, 1898, (पशुधन आयात अधिनियम, 2001 द्वारा यथा संशोधित) के अंतर्ग पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग (डीएएचडीऔरएफ), कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की दिनांक 15 अक्तूबर, 2008 की अधिसूचना के तहत भारत सरकार ने एसपीएफ लिटोपेनियस वन्नमई के ब्रूडस्टॉक को आयात करने संबंधी अनुमति देने के लिए तथा जैव-सुरक्षित हैचरियों में बीज उत्पादन तथा जैव-सुरक्षित फार्मों में कृषि संबंधी अनुमोदन प्रदान करने के लिए सीएए को प्राधिकृत कर दिया है।

5.10.3 प्राधिकरण की गतिविधियां और उपलब्धियां

5.10.3.1 सीएए द्वारा किए गए कार्यों में से एक मुख्य कार्य राज्य तथा जिला स्तरीय समितियों, जिनका गठन इसी उद्देश्य के लिए हुआ था, द्वारा संस्तुत श्रिम्प फार्मों का पंजीकरण था। वर्ष के दौरान, सीएए ने डीएलसी/सीएलसी द्वारा पंजीकरण के लिए संस्तुत 1856 आवेदनों पर विचार किया और अनुमोदित किया तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए। 2012 के दौरान सीएए के पास पंजीकृत 1856 फार्मों का कुल फार्मिंग क्षेत्रफल 2776.12 हैक्टेयर था सीएए के प्रारंभ होने से लेकर अब तक तटवर्ती जलकृषि फार्मों को कुल मिलाकर, 25,862 पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं। प्राधिकरण ने हैचरियों के पंजीकरण संबंधी मानक, श्रिम्प में एंटीबायोटिक अपशिष्ट, अधिनियम, नियमों तथा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वाले फार्मों को बंद करना, पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन, स्टॉक घनत्व आदि जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को भी सुलझाया है।

5.10.3.2 वर्ष 2012 के दौरान सीएए द्वारा गठित निरीक्षण दल ने 58 हैचरियों का निरीक्षण किया, जिनमें से 45 हैचरियों को एसपीएफ एल. वन्नामई ब्रूडस्टॉक के आयात की अनुमति प्रदान कर दी गई है साथ ही उन पंजीकृत फार्मों को जिन्हें एसपीएफ.एल. वन्नामई की खेती की अनुमति प्राप्त है, उन्हें पोस्ट लार्वा के उत्पादन और बिक्री के लिए भी अनुमति प्रदान कर दी गई है। सीएए ने वर्तमान वर्ष के लिए 7,611 मिलियन की बीज उत्पादन क्षमता वाली 105 श्रिम्प हैचरियों को एलओपी अनुमोदित तथा जारी किया है।

5.10.3.3 वर्ष के दौरान, सीएए द्वारा गठित निरीक्षण दल ने 2687.31 हैक्टेयर के कुल क्षेत्रफल (जल विस्तारित क्षेत्र- 1874.99 हैक्टेयर) वाले 403 फार्मों का निरीक्षण किया और कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में सीएए ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, गोवा, गुजरात तथा दीव और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में 2468.35 हैक्टेयर के कुल क्षेत्रफल (1697.97 हैक्टेयर का जल विस्तारित क्षेत्र) वाले 326 फार्मों को एसपीएफ एल. वन्नामई की खेती प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी है। 2009 से लेकर दिसम्बर,

2012 तक कुल मिलाकर, 7997.77 हैक्टेयर कुल क्षेत्रफल (5425.93 हैक्टेयर का जल विस्तारित क्षेत्र) वाले 771 श्रिम्प फार्मों को एसपीएफ एल. वन्नामई की खेती के लिए अनुमति प्रदान कर दी है।

5.10.3.4 इसके अलावा, सीएए ने आंध्र प्रदेश के नेलौर और प्रकासम जिलों के श्रिम्प किसानों (78 ने भागीदारी की) के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में मुख्यतः सीएए अधिनियम, 2005 के अंर्तगत नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों में उपबंधित सीएए की शक्तियों तथा कृत्यों को उजागर किया गया। एंटीबायोटिक संबंधी मुद्दों, सतत जलकृषि के लिए एफएओ आचार संहिता, एसपीएफ एल. वन्नामई प्रारंभ करने के लिए हैचरियों और फार्मों को विनियमित करने के लिए अच्छी प्रबंधन प्रक्रियाओं (जीएमपी) तथा दिशानिर्देशों के बारे में भी इस जागरूकता कार्यक्रम में जानकारी दी गई।

5.10.3.5 सीएए ने मात्स्यिकी कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थान, थुठकुड़ी के साथ मिलकर ''प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण अच्छी जलकृषि प्रक्रियाएं'' पाठ्यक्रम को प्रायोजित तथा समन्वित किया जिसका आयोजन संयुक्त खाद्य सुरक्षा तथा अनुप्रयुक्त पोषण संस्थान (जेआईएफएसएएन), यूएसएफडीए, मेरीलैंड विश्वविद्यालय, यूएसए द्वारा तमिलनाडु पशुचिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (टीएएनयूवीएएस), चेन्नई में 17 से 21 जनवरी, 2012 के दौरान आयोजित किया गया इस पाठ्यक्रम में 23 संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सीएए ने केंद्रीय खारा जल जलकृषि संस्थान (सीआईबीए), चेन्नई तथा एशियन मात्स्यिकी सोसायटी भारतीय शाखा (एएफएसआईबी), मंगलौर द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों में भी भाग लिया।

5.11 समुद्री मछुआरोंको बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करना

5.11.1 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई में हुई आतंकवादी घटना की पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने यह महसूस किया कि मत्स्यन तथा अन्य संबद्ध क्रियाकलापों से जुड़े समुद्री मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करना आवश्यक है। तदनुसार 11 दिसम्बर, 2009 को 72 करोड़ रुपए की कुल लागत से 'समुद्री मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करने पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सीएसएस)' को आरंभ किया गया था। बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करने की परियोजना में दो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप शामिल है। जैसे (क)संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आंकड़ा एकत्रीकरण तथा इसका सत्यापन और (ख) आंकड़ोंको डिजीटल रूप देना, प्रत्येक मछुआरे का बायोमीट्रिक विवरण शामिल करना, कार्ड तैयार कर जारी करना। इस योजना के तहत, भारत सरकार परामर्श की सम्पूर्ण लागतको वहन करने के साथ-साथ, तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 100% वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय समुद्री मछुआरोंसंबंधी आंकड़े (एनएमएफडी) तैयार करना जिन तक केन्द्र और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोंकी सभी प्राधिकृत एजेंसियों की पहुंच हो। इस परियोजना के अन्य उद्देश्य हैं अनुप्रयोग उन्मुख बायो मीट्रिक पहचान पत्र जारी करके समुद्री मछुआरों को सशक्त बनाना और विभिन्न तटीय राज्यों और राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी विभिन्न पहचान पत्रों के दोहराए जाने से बचना।

5.11.2 भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों (सीपीएसयू) के एक संघ को आंकड़ों को डिजीटल रूप देने, बायोमीट्रिक विवरण लेने और डिजाइन

उत्पादन और समुद्री मछुआरों को बायोमीट्रिक पहचान पत्र जारी करने से संबंधित अन्य कार्योंका भार सौंपा गया है। इस संघ के दो अन्य सदस्य हैं इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), हैदराबाद और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आईटीआई), बंगलौर। यह परियोजना इस समय क्रियान्वयनाधीन है और इसके क्रियाकलाप जैसेकि आंकड़े एकत्रीकरण, आंकड़ों को डिजीटल रूप देना और बायोमीट्रिक रोल बनाने का कार्य प्रगति पर है। अब तक पहचान किए गए 18,12,011 समुद्री मछुआरों में से 16,47,927 मछुआरोंसे संबंधित आंकड़ा एकत्रीकरण कार्य पूरा हो चुका है। सीपीएसयू के संघ ने अब तक 10,93,164 कार्ड तैयार कर दिए हैं और उन्हें मछुआरों में वितरित करने के लिए राज्यों को भेज दिया है।

5.11.3 इस परियोजना के तहत 2009-10 के दौरान 33 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है जिसमें से तटीय राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को 8 करोड़ रुपए और सीपीएसयू संघ को शेष 25 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से किसी प्रकार का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण 2010-11 से 2012-13 (31 दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान कोई धनराशि जारी नहीं की गई।

अध्याय 10

राज्य के आत्महत्या संभावित इदुक्की और कुटटानड़ जिलों के लिए विशेष पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी पैकेज

अध्याय 10

राज्य के आत्महत्या संभावित इडुक्की और कुटटानड़ जिलों के लिए विशेष पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी पैकेज

10.1 भारत सरकार इडुक्की जिले में कृषि संकट को कम करने संबंधी पुनर्वास पैकेज को 20.11.2008 को अनुमोदित कर दिया था। दो पैकेज नामतः 'इडुक्की जिले में कृषि संकट कम करना' और 'कुटटानड़ नमभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का विकास' आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्यों में आत्महत्या संभावित जिलों के लिए विशेष पशुधन क्षेत्र और मात्स्यिकी पैकेज का अंग है, जो 30 सितम्बर, 2011 को पहले ही समाप्त हो गया था। इन दो परियोजनाओं के लिए कुल परिव्यय क्रमशः 91.15 करोड़ रुपए और 9.50 करोड़ रुपए है। उक्त दोनों पैकेजों के लिए निधियां क्रमशः जुलाई, 2013 और नवंबर, 2013 तक स्वीकृत की जा सकती हैं। 31 दिसम्बर, 2012 तक कुटटानड पैकेज के लिए 8.04 करोड़ रुपए और इडुक्की प्रस्ताव के लिए 37.26 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

10.2 2008-09 से 2012-13 (31 दिसंबर, 2012 तक) के दौरान जारी की गई 45.30 करोड़ रुपए की राशि में से, 2012-13 के दौरान 16.76 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी।

अनुबंध

अनुबंध-I

पशुधन और कुक्कुट की कुल संख्या-पशुधन संगणना 2007

(आंकड़े हजार में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	गोपशु	भैंस	भेड़	बकरियां	सुअर	घोड़े और ट्टटू	खच्चर	गधे	ऊंट	याक	मिथुन	कुल पशुधन	कुल कुक्कुट
आन्ध्र प्रदेश	11223	13272	25539	9626	439	26	0	50	0		0	60175	123981
अरूणाचल प्रदेश	503	3	20	292	356	6	0	0	0	14	219	1413	1348
असम	10041	500	354	4320	2000	11	0	0	0		0	17227	29060
बिहार	12559	6690	218	10167	632	51	0	24	0		0	30342	11420
छत्तीसगढ़	9491	1604	140	2768	413	1	0	0	0		0	14418	14246
गोवा	71	37	0	11	58	0	0	0	0		0	177	505
गुजरात	7976	8774	2002	4640	22	14	0	50	38		0	23515	13352
हरियाणा	1552	5953	601	538	134	26	11	5	39		0	8859	28785
हिमाचल प्रदेश	2269	762	901	1241	2	13	19	7	0	2	0	5217	810
जम्मू एवं कश्मीर	3443	1050	4127	2068	1	167	42	24	2	62	0	10987	6683
झारखंड	8781	1506	483	6592	732	5	0	1	0			18100	11231
कर्नाटक	10503	4327	9558	6153	281	11	0	26	0			30859	42068
केरल	1740	58	1	1729	59	0	0	0	0			3587	15686
मध्य प्रदेश	21915	9129	390	9014	193	27	3	20	4			40696	7384
महाराष्ट्र	16184	6073	2909	10391	327	38	0	32	0			35954	64756
मणिपुर	342	62	9	51	314	1	0	0	0		10	789	2403
मेघालय	887	23	21	365	524	2	0	0	0		0	1823	3093
मिजोरम	35	6	1	16	267	1	0	0	0		2	328	1239
नागालैंड	470	35	4	178	698	1	0	0	0		33	1419	3156
उड़ीसा	12310	1190	1818	7127	612	0	0	0	0		0	23057	20600
पंजाब	1777	5062	208	290	26	33	6	5	2		0	7408	10685
राजस्थान	12120	11092	11190	21503	209	25	1	102	422		0	56663	4946
सिक्किम	135	0	3	92	35	0	0	0	0	5	0	270	157
तमिलनाडु	11189	2009	7991	9275	284	7	0	5	0		0	30759	128108
त्रिपुरा	954	14	4	633	264	0	0	0	0		0	1869	3701
उत्तर प्रदेश	18883	23812	1188	14793	1350	122	31	84	9		0	60272	8754
उत्तरांचल	2235	1220	290	1335	20	15	24	1	0	0	0	5141	2602
पश्चिम बंगाल	19188	764	1577	15069	815	6	0	0	0	0	0	37419	86210

(आंकड़े हजार में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	गोपशु	भैंस	भेड़	बकरियां	सुअर	घोड़े और ट्टटू	खच्चर	गधे	ऊंट	याक	मिथुन	कुल पशुधन	कुल कुक्कुट
अंडमान एवं निकोबार	49	10	0	67	48	0		0	0		0	174	979
चंडीगढ़	7	20	0	1	0	0	0	0	0		0	28	129
दादर एवं नगर हवेली	57	4	0	25	0	0		0	0		0	87	170
दमन एवं दीव	3	1	0	3	0	0		0	0		0	7	26
दिल्ली	92	278	6	21	20	1	0	0	0		0	418	2
लक्षद्वीप	7	0	0	76	0	0		0	0		0	82	167
पांडिचेरी	84	3	4	69	1	0		0	0		0	162	387
अखिल भारत	**199075**	**105343**	**71558**	**140537**	**11134**	**611**	**137**	**438**	**517**	**83**	**264**	**529698**	**648830**
	'0 हजार के संदर्भ में नगण्य $ गांव स्तर से लाए गए कुल अस्थायी प्रमाण												
स्रोतः 18वीं पशुधन संगणना , कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग													

अनुबंध-II

प्रमुख पशुधन उत्पादों का उत्पादन- अखिल भारतीय

वर्ष	दूध (मिलियन टन)	अंडे (मिलियन संख्या)	ऊन (मिलियन कि0ग्रा0)	मांस* (मिलियन टन)
1955-56	19.0	1,908	27.5	-
1960-61	20.0	2,881	28.7	-
1968-69	21.2	5,300	29.8	-
1973-74	23.2	7,755	30.1	-
1979-80	30.4	9,523	30.9	-
1980-81	31.6	10,060	32.0	-
1981-82	34.3	10,876	33.1	-
1982-83	35.8	11,454	34.5	-
1983-84	38.8	12,792	36.1	-
1984-85	41.5	14,252	38.0	-
1985-86	44.0	16,128	39.1	-
1986-87	46.1	17,310	40.0	-
1987-88	46.7	17,795	40.1	-
1988-89	48.4	18,980	40.8	-
1989-90	51.4	20,204	41.7	-
1990-91	53.9	21,101	41.2	-
1991-92	55.7	21,983	41.6	-
1992-93	58.0	22,929	38.8	-
1993-94	60.6	24,167	39.9	-
1994-95	63.0	25,975	40.6	-
1995-96	66.2	27,187	42.4	-
1996-97	69.1	27,496	44.4	-
1997-98	72.1	28,689	45.6	-
1998-99	75.4	29,476	46.9	1.9
1999-2000	78.3	30,447	47.9	1.9
2000-01	80.6	36,632	48.4	1.9
2001-02	84.4	38,729	49.5	1.9
2002-03	86.2	39,823	50.5	2.1
2003-04	88.1	40,403	48.5	2.1
2004-05	92.5	45,201	44.6	2.2
2005-06	97.1	46,235	44.9	2.3
2006-07	102.6	50,663	45.1	2.3
2007-08	107.9	53,583	43.9	4.0
2008-09	112.2	55,562	42.8	4.3
2009-10	116.4	60,267	43.1	4.6
2010-11	121.8	63,024	43.0	4.8
2011-12	**127.9**	**66,449**	**44.73**	**5.5**

- उपलब्ध नहीं

नोटः 2007-08 से मांस उत्पादन को वाणिज्यिक कुक्कुट फार्म से शामिल किया गया है।

अनुबंध-III

वर्ष 2004-05 से 2011-12 के दौरान राज्य वार मत्स्य उत्पादन

(हजार टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1. आन्ध्र प्रदेश	853.05	891.09	856.93	1,010.08	1,252.78	1305.86	1368.20	1603.17
2. अरूणाचल प्रदेश	2.70	2.75	2.77	2.83	2.88	2.65	3.15	3.30
3. असम	186.31	188.00	181.48	190.32	200.15	218.82	227.24	228.62
4. बिहार	267.51	279.53	267.04	319.10	300.65	297.40	299.910	344.470
5. गोवा	990.44	104.95	102.39	33.43	86.21	85.37	93.27	89.96
6. गुजरात	635.21	733.82	747.33	721.91	765.90	771.50	774.90	783.72
7. हरियाणा	42.05	48.20	60.08	67.24	76.29	100.46	96.20	106.00
8. हिमाचल प्रदेश	6.90	7.29	6.89	7.85	7.79	7.85	7.38	8.05
9. जम्मू एवं कश्मीर	19.10	19.15	19.20	17.33	19.27	19.30	19.70	19.85
10. कर्नाटक	251.23	297.57	292.46	297.69	361.85	420.06	526.58	546.44
11. केरल	678.31	636.89	677.63	667.33	865.99	698.85	681.61	693.21
12. मध्य प्रदेश	62.06	61.08	65.04	63.89	68.47	66.12	56.45	75.41
13. महाराष्ट्र	548.02	580.55	595.94	556.45	523.10	550.36	595.25	578.79
14. मणिपुर	17.80	18.22	18.61	18.60	18.80	19.20	20.20	22.22
15. मेघालय	5.64	4.12	5.49	4.00	3.96	4.33	4.56	4.77
16. मिजोरम	3.68	3.75	3.76	3.76	2.89	3.25	2.90	2.93
17. नागालैंड	4.90	5.50	5.80	5.80	6.18	6.36	6.59	6.84
18. उड़ीसा	315.59	325.45	342.04	349.48	374.82	382.55	386.19	381.83
19. पंजाब	77.70	85.64	86.70	78.73	86.21	122.86	97.04	97.62
20. राजस्थान	16.39	18.50	22.20	25.70	24.10	26.91	28.20	47.85
21. सिक्किम	0.14	0.15	0.15	0.18	0.17	0.16	0.18	0.28
22. तमिलनाडु	459.43	463.03	542.28	559.36	534.17	582.93	614.81	611.49
23. त्रिपुरा	19.84	23.87	28.63	36.25	36.00	42.28	49.23	53.34
24. उत्तर प्रदेश	277.07	289.58	306.73	325.95	349.27	392.93	417.48	429.72
25. पश्चिम बंगाल	1,215.00	1,250.00	1,359.10	1,447.26	1484.00	1517.00	1443.26	1472.05
26. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	32.68	12.09	28.68	28.68	32.49	33.17	33.92	35.26
27. चंडीगढ़	0.08	0.09	0.17	0.21	0.24	0.24	0.24	0.10
28. दादर एवं नागर हवेली	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
29. दमन एवं दीव	12.51	17.79	16.41	26.36	14.14	15.88	16.98	17.43
30. दिल्ली	1.41	0.70	0.61	0.61	0.72	0.71	0.82	0.74
31. लक्षद्वीप	11.96	11.96	11.75	11.04	12.59	12.37	12.37	12.37
32. पांडिचेरी	36.75	21.45	39.66	39.01	40.30	41.95	41.95	42.40
33. छत्तीसगढ़	120.07	131.75	137.75	139.37	158.70	174.25	228.21	250.70
34. उत्तरांचल	2.57	2.79	3.03	3.09	3.16	3.49	3.82	3.83
35. झारखंड	22.00	34.27	34.27	67.89	75.80	70.50	71.89	91.68
कुल	6,304.75	6,571.62	6,869.05	7,126.83	7,616.09	7997.98	8230.71	8666.45

स्रोतः राज्य/संघ शासित प्रदेश

अनुबंध-IV

भारत के समुद्री मात्स्यिकी संसाधन

राज्य/संघ शासित प्रदेश	तटवर्ती रेखा की लंबाई (लगभग) (किलोमीटर)	कांटिनेंटल शेल्फ (000 किलोमीटर वर्ग)	उतारने वाले केन्द्रों की संख्या	मत्स्यन गांवों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	974	33	353	555
गोवा	104	10	33	39
गुजरात	1600	184	121	247
कर्नाटक	300	27	96	144
केरल	590	40	187	222
महाराष्ट्र	720	112	152	456
उड़ीसा	480	26	73	813
तमिलनाडु	1076	41	407	573
पश्चिम बंगाल	158	17	59	188
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1912	35	16	134
दमन एवं दीयू	27	-	5	11
लक्षद्वीप	132	4	10	10
पांडिचेरी	45	1	25	40
कुल	**8118**	**530**	**1537**	**3432**

स्रोतः समुद्री मात्स्यिकी संगणना, 2005.

अनुबंध-V

भारत का अंतर्देशीय जल संसाधन

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नदियां और नहर (किलो मीटर)	जलाशय (लाख हैक्टेयर)	टेंक तथा तालाब (लाख हैक्टेयर)	बाढ़ समतल झीलें तथा परित्यक्त जल निकाय (लाख हैक्टेयर)	खारा जल (लाख हैक्टेयर)	कुल जल निकाय (लाख हैक्टेयर)
1	आन्ध्र प्रदेश	11514	2.34	5.17	-	0.60	8.11
2	अरूणाचल प्रदेश	2000	-	2.76	0.42	-	3.18
3	असम	4820	0.02	0.23	1.10	-	1.35
4	बिहार	3200	0.60	0.95	0.05	-	1.60
5	छत्तीसगढ़	250	0.03	0.03	-	Neg.	0.06
6	गोवा	3865	2.43	0.71	0.12	1.00	4.26
7	गुजरात	5000	Neg.	0.10	0.10	-	0.20
8	हरियाणा	3000	0.42	0.01	-	-	0.43
9	हिमाचल प्रदेश	27781	0.07	0.17	0.06	-	0.30
10	जम्मू एवं कश्मीर	9000	4.40	2.90	-	0.10	7.40
11	झारखंड	3092	0.30	0.30	2.43	2.40	5.43
12	कर्नाटक	17088	2.27	0.60	-	-	2.87
13	केरल	16000	2.79	0.59	-	0.10	3.48
14	मध्य प्रदेश	3360	0.01	0.05	0.04	-	0.10
15	महाराष्ट्र	5600	0.08	0.02	Neg	-	0.10
16	मणिपुर	1395	-	0.02	-	-	0.02
17	मेघालय	1600	0.17	0.50	Neg	-	0.67
18	मिजोरम	4500	2.56	1.14	1.80	4.30	9.80
19	नागालैंड	15270	Neg	0.07	-	-	0.07
20	उड़ीसा	5290	1.20	1.80	-	-	3.00
21	पंजाब	900	-	-	0.03	-	0.03
22	राजस्थान	7420	5.70	0.56	0.07	0.60	6.93
23	सिक्किम	1200	0.05	0.13	-	-	0.18
24	तमिलनाडु	28500	1.38	1.61	1.33	-	4.32
25	त्रिपुरा	2526	0.17	2.76	0.42	2.10	5.45
26	उत्तर प्रदेश	115	0.01	0.03	-	1.20	1.24
27	उत्तरांचल	2	-	Neg	Neg	-	0.00
28	पश्चिम बंगाल	54	0.05	-	-	-	0.05
29	अंडमान एवं निकोबार	12	-	Neg.	-	Neg.	0.00
30	चंडीगढ़	150	0.04	-	-	-	0.04
31	दादर एवं नगर हवेली	-	-	-	-	-	0.00
32	दमन एवं दीव	247	-	Neg	0.01	Neg.	0.01
33	दिल्ली	3573	0.84	0.63	-	-	1.47
34	लक्षद्वीप	2686	0.20	0.01	0.00	-	0.21
35	पांडिचेरी	4200	0.94	0.29	-	-	1.23
	कुल	**195210**	**29.07**	**24.14**	**7.98**	**12.40**	**73.59**

स्रोतः राज्य/संघ शासित प्रदेश

अनुबंध-VI

मछली बीज उत्पादन

वर्ष	मछली बीज (मिलियन फ्राई में)
1973-74 (चौथी योजना का अंत)	409
1978-79 (पांचवी योजना का अंत)	912
1984-85 (छठी योजना का अंत)	5,639
सातवीं योजना	
1985-86	6,322
1986-87	7,601
1987-88	8,608
1988-89	9,325
1989-90	9,691
वार्षिक योजनाएं	
1990-91	10,332
1991-92	12,203
आठवीं योजना	
1992-93	12,499
1993-94	14,239
1994-95	14,544
1995-96	15,007
1996-97	15,853
नौवीं योजना	
1997-98	15,904
1998-99	15,156
1999-2000	16,589
2000-01	15,608
2001-02	15,758
दसवीं योजना	
2002-03	16,333
2003-04	19,231
2004-05	20,790
2005-06	22,614
2006-07	31,688
ग्याहरवीं योजना	
2007-08	24,143
2008-09	32,177
2009-10	29,313
2010-11	34,993
2011-12	36,566

अनुबंध-VII

वित्तीय आबंटन और व्यय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान (31.12.2012 तक)

(करोड़ रुपए में)

क्र. स.	योजनाएं	ब.अ. 2011-12	सं.अ. 2011-12	व्यय 2011-12	ब.अ. 2012-13	सं.अ. 2012-13	2012-13 31 दिसम्बर 12 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
I	*पशुपालन*						
क	**केन्द्रीय प्रायोजित योजना**						
1	**राष्ट्रीय गोपशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना**	150.00	161.62	151.91	180.89	117.66	79.52
2	**कुक्कुट विकास**	45.70	41.09	36.69	52.50	35.62	23.77
3	**ग्रामीण बूचड़खानों की आधुनिकीकरण/स्थापना**	3.00	0.50	0.00	0.01	0.00	0.00
4	**मृत पशुओं की उपयोगिता (नई)**	3.00	0.50	0.00	0.01	0.00	0.00
5	**संकटाधीन पशुधन नस्लों का संरक्षण**	2.50	2.50	2.04	1.00	1.00	0.78
6	**केन्द्रीय प्रायोजित आहार और चारा विकास योजना**	47.55	32.50	32.51	50.00	74.70	48.98
7	**पशुधन बीमा**	40.00	38.09	38.09	50.00	50.00	33.35
8	**पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण**	395.00	364.08	331.95	403.01	324.28	219.84
8.1	राज्यों को पशुओं के रोग नियंत्रण के लिए सहायता	80.00	89.08	70.80	82.00	89.00	67.72
8.2	पशुप्लेग उन्मूलन राष्ट्रीय परियोजना	4.00	4.10	3.50	4.01	4.20	2.86
8.3	वाणिज्यिक दक्षता विकास	4.00	4.40	4.53	5.00	5.00	3.96
8.4	खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम	178.00	108.15	105.96	190.00	160.00	104.67
8.5	मौजूदा अस्पतालों/डिस्पेंसिरयों का सुदृढ़ीकरण	90.00	79.60	98.71	91.00	46.87	31.25
8.6	पीपीआर का राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम	12.50	6.50	3.31	10.00	5.83	3.89

क्र. स.	योजनाएं	ब.अ. 2011-12	सं.अ. 2011-12	व्यय 2011-12	ब.अ. 2012-13	सं.अ. 2012-13	2012-13 31 दिसम्बर 12 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
8.7	राष्ट्रीय पशु रोग रिपोर्टिंग प्रणाली (एनएडीआरएस)	11.50	57.25	33.32	10.00	6.80	0.31
8.8	राष्ट्रीय ब्रूसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	15.00	15.00	11.82	11.00	6.58	5.18
9	पशुधन विस्तार और डिलीवरी सेवाएं	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
10	पशुधन प्रबधन	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	कुल सीएसएस(पशुपालन)	**686.76**	**640.89**	**593.19**	**738.43**	**603.26**	**406.24**
ख	**केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं**						
1	**पशुधन संगणना**	4.00	0.20	0.08	150.00	166.12	136.47
2	**एकीकृत नमूना सर्वेक्षण**	9.50	13.06	12.71	13.50	12.65	8.15
3	**केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन**	25.00	23.92	21.30	29.00	29.43	14.52
4	**केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म**	2.00	2.05	1.67	2.10	2.17	0.99
5	**केन्द्रीय चारा विकास संगठन**	43.50	43.50	37.44	25.55	17.95	11.66
6	**केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन**	15.50	16.93	14.29	20.00	17.04	8.50
7	**पशु स्वास्थ्य निदेशालय**	17.10	19.76	15.34	23.50	17.91	6.76
8	**छोटे जुगाली करने वाले पशुओं और खरगोशों का एकीकृत विकास**	12.00	12.00	10.16	15.00	12.90	10.06
9	**सूअर विकास (नई)**	5.00	8.00	7.04	10.00	10.00	10.00
10	**नर भैंस बछड़ों को बचाव और पालन**	3.00	0.10	0.00	0.01	0.00	0.00
11	**खाद्य सुरक्षा एवं पहचान**	1.00	1.10	1.10	5.00	0.00	0.00
12	**कुक्कुट पूंजीगत उद्यम कोष (नई)**	50.00	17.00	8.56	30.00	20.00	6.00
13	**पशु चिकित्सालय ड्रग नियंत्रण प्रधिकरण की स्थापना**	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

क्र. स.	योजनाएं	ब.अ. 2011-12	सं.अ. 2011-12	व्यय 2011-12	ब.अ. 2012-13	सं.अ. 2012-13	2012-13 31 दिसम्बर 12 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
14	पशुचिकित्सा कॉलेजों की अवसंरचना का उन्नयन/ सुदृढ़ीकरण	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	कुल केन्द्रीय योजना (पशुपालन)	**187.60**	**157.62**	**129.69**	**324.67**	**306.17**	**213.11**
	कुल पशुपालन (सीएसएस और सीएस)	**874.36**	**798.51**	**722.88**	**1063.10**	**909.43**	**619.35**
II	*डेयरी विकास*						
क	केन्द्रीय प्रायोजित योजना						
1	सधन डेयरी विकास कार्यक्रम	30.00	51.00	50.70	55.00	55.42	45.84
2	गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़करण	21.25	21.40	21.52	45.00	28.66	19.11
	कुल सीएसएस (डेयरी विकास)	**51.25**	**72.40**	**72.22**	**100.00**	**84.08**	**64.95**
ख.	केन्द्रीय योजना क्षेत्र						
1	राष्ट्रीय डेयरी योजना	100.00	12.76	4.00	130.00	123.00	61.00
2	सहकारिताओं को सहायता	10.00	9.00	9.00	10.00	6.22	4.15
3	दिल्ली दुग्ध योजना	1.00	1.00	0.99	2.00	0.24	0.16
4	डेयरी पूंजीगत उद्यम कोष	88.00	110.00	110.00	150.00	330.00	140.00
	कुल सीएस (डेयरी विकास)	**199.00**	**132.76**	**123.99**	**292.00**	**359.46**	**205.31**
	कुल डेयरी विकास(सीएसएस और सीएस)	**250.25**	**205.16**	**196.21**	**392.00**	**543.54**	**270.26**
III.	*मात्स्यिकी*						
क.	केन्द्रीय प्रायोजित योजना						
1	अंतर्देशीय मात्स्यिकी और जलकृषि का विकास	24.00	30.75	29.85	40.00	32.65	23.81
2	समुद्री मात्सयिकी अंतसंरचना पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशनों का विकास	71.00	71.00	75.73	80.00	78.60	59.03
3	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण योजना	39.00	45.16	44.56	50.00	40.89	31.08

क्र. स.	योजनाएं	ब.अ. 2011-12	सं.अ. 2011-12	व्यय 2011-12	ब.अ. 2012-13	सं.अ. 2012-13	2012-13 31 दिसम्बर 12 तक
1	2	3	4	5	6	7	8
	कुल सीएसएस (मात्स्यिकी)	**134.00**	**146.91**	**150.14**	**170.00**	**152.14**	**113.92**
ख.	**केन्द्रीय प्रयोजित योजनाएं**						
1	**मात्स्यिकी क्षेत्र में डाटाबेस और भौगोलिक सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण**	10.00	6.33	4.27	6.50	4.10	2.89
2	**मात्स्यिकी संस्थानों को सहायता**	46.00	48.39	43.19	54.20	49.09	28.12
2.1	केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान	9.00	9.00	8.33	15.00	14.26	5.94
2.2	केन्द्रीय मात्स्यिकीं तटवर्ती इंजीनियरी संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट और प्रशिक्षण का राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएफपीएचएटीटी)	2.00	1.90	1.76	2.20	2.40	1.52
2.4	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफ एस आई)	35.00	37.49	33.10	37.00	32.43	20.66
3.	**राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड**	108.00	108.00	108.00	110.00	106.81	72.00
	कुल सीएस (मात्स्यिकी)	**164.00**	**162.72**	**155.46**	**170.70**	**160.00**	**103.01**
	कुल मात्स्यिकी (सीएसएस और सीएस)	**298.00**	**309.63**	**305.60**	**340.70**	**312.14**	**216.93**
IV	***सचिवालय और आर्थिक सेवाएं***	6.50	6.50	4.63	7.00	6.42	4.29
V	***आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में आत्महत्या संभावित जिलों में पशुधन एवं मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज***	98.69	30.00	13.79	35.00	28.43	10.76
VI	***बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (तैयारी, और एवियन इंफ्लूएंजा का निराकरण)***	72.20	6.72	0.00	72.20	0.04	0.03
	सकल योग	**1600.00**	**1356.52**	**1243.11**	**1910.00**	**1800.00**	**1121.62**

अनुबंध-VIII

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग का संगठनात्मक चार्ट और प्रभागों के बीच कार्य आबंटन

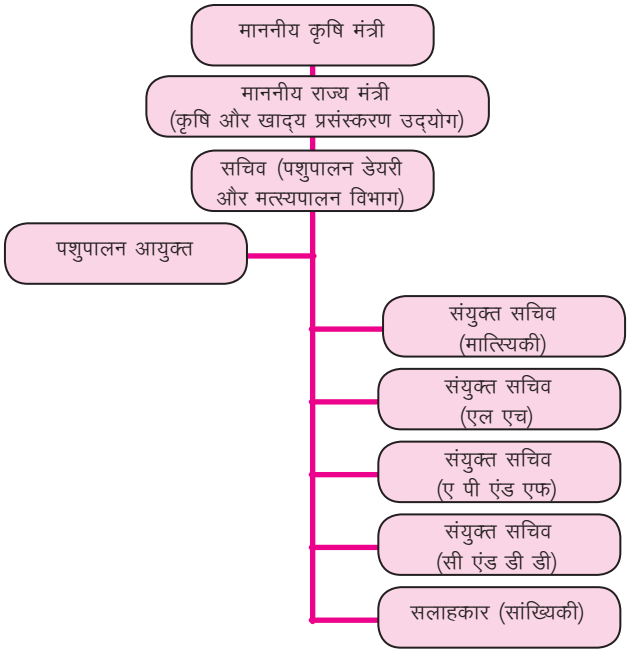

कार्य का आबंटन

संयुक्त सचिव (मात्स्यिकी)

मात्स्यिकी, मात्स्यिकी संस्थानों नामतः, मात्स्यिकी सर्वेक्षण, सिफनेट, एनआईएफपीएच से संबंधी नीति, विनियमन और विकास टीटी और सीआईसीईएफ से जुड़े सभी मामले तथा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड और सीएए से संबंधित मामले।

संयुक्त सचिव(एल एच)

पशुधन स्वास्थ्य, व्यापार और काडेक्स एलिमेंटेरियस, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान, राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएं, योजना समन्वय, विधायन के बिना संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित मामले।

संयुक्त सचिव(ए पी एफ)

प्रशासन-1, रोकड़ और सामान्य प्रशासन, अन्तराष्ट्रीय सहयोग, सतर्कता, कुक्कुट विकास, केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन सूअर, अश्व एवं भारवाही पशु, आहार और चारा, बूचडखाना, मीट और मीट उत्पाद, केंद्रीय चारा विकास संगठन, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्मों से संबंधित प्रशासनिक कार्य सहित बकरी, भेड़ विकास, राजभाषा और आंतरिक कार्य अध्ययन एकक, पशुपालन विस्तार, पशुधन बीमा योजना।

संयुक्त सचिव(सी एंड डी डी)

राष्ट्रीय डेयरी योजना, डेयरी विकासयोजना, एन.पी.सी.बी.बी. केन्द्रीय गोपशु विकास संगठन, प्रशासन-4 और दिल्ली दुग्ध योजना और एनडीडीबी से जुडे सभी मामले।

सलाहकार (सांख्यिकी)

पशुधन संगठन, एकीकृत नमूना सर्वेक्षण और पशुपालन सांख्यिकी से संबंधित सभी मामले।

अनुबंध-IX

पशुपालन और डेयरी विभाग को आबंटित विषयों की सूची

भाग-1

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 में आते हैं:

1. उद्योग जहां तक पशुधन, मत्स्य और पक्षी आहार तथा डेयरी, कुक्कुट और मत्स्य उत्पादों के विकास के संबंध में इनका नियंत्रण संघ द्वारा संसद में पारित विधि द्वारा लोकहित में इस शर्त पर उपयुक्त घोषित किया गया हो कि इन उद्योगों के विकास के संबंध में पशुपालन और डेयरी विभाग के कार्य उनकी मांगों के निरूपण और लक्ष्यों के निर्धारण के कार्यक्षेत्र से बाहर न हों।
2. पशुधन, कुक्कुट और मात्स्यिकी विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क और सहयोग।
3. पशुधन गणना।
4. पशुधन सांख्यिकी।
5. प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई पशुधन हानि से संबंधित विषय।
6. पशुधन आयात का विनियमन, पशु संगरोध और प्रमाणीकरण।
7. मत्स्यन और मात्स्यिकी (अंतर्देशीय, समुद्री और प्रादेशिक जल से बाहर)।
8. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई।

भाग-2

निम्नलिखित विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-3 में आते हैं:-

9. पशुचिकित्सा प्रेक्टिस व्यवसाय।
10. पशुओं, मत्स्य, पक्षियों को प्रभावित करने वाले संक्रामक अथवा संसर्गजन्य रोगों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलाव को रोकना।
11. स्वदेशी नस्लों का परिवर्तन, पशुधन की स्वदेशी नस्लों के लिए केन्द्रीय पशुयूथ पुस्तक शुरू करना और उसका रख-रखाव।
12. विभिन्न राज्य उपक्रमों को सहायता देने की प्रणाली, राज्य एजेंसियों/सहकारी संघों के माध्यम से डेयरी विकास योजनाएं

भाग-3

केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए ऊपर भाग-1 तथा भाग-2 में उल्लिखित विषय जहां तक वे इन प्रदेशों में अस्तित्व में हैं तथा निम्नलिखित विषयों के साथ-साथ जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 में शामिल हैं:

13. स्टॉक का परिरक्षण, संरक्षण तथा सुधार करना और पशु, मछली और पक्षियों के रोगों की रोकथाम, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण एवं प्रेक्टिस।
14. कोट्र्स ऑफ वाड्र्स।
15. पशुधन, मछली और पक्षियों का बीमा।

भाग-4

16. गोपशु उपयोग और वध से संबंधित मामले।
17. चारा विकास।

अनुबंध-X

सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की सूची

I. पशुपालन प्रभाग

1. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, धाम रोड, जिला सूरत (गुजरात)।
2. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, अंदेशनगर, जिला लखीमपुर, उत्तर प्रदेश।
3. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सिमिलीगुड़ी, पोस्ट सुनाबेड़ा,(कोरापुट), उड़ीसा।
4. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, सूरतगढ़, राजस्थान।
5. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा, बसन्तपुर, जिला सम्बलुपर, उड़ीसा।
6. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, पोस्ट अवाड़ी, अलामाधि (चेन्नई)
7. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म, पोस्ट हैस्सरघट्टा, बंगलौर उत्तरी।
8. केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन एवं प्रशिक्षण संस्थान, हैस्सरघट्टा, बंगलौर उत्तरी।
9. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, रोहतक (हरियाणा)।
10. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, अजमेर।
11. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, अहमदाबाद।
12. केन्द्रीय पशुयूथ पंजीयन एकक, संथापेट, ओंगोले, जिला प्रकाशम (आंध्र प्रदेश)।
13. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, कल्याणी जिला नाडिया (पश्चिम बंगाल)।
14. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)।
15. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, सूरतगढ़ (राजस्थान)।
16. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, टैक्सटाइल मिल हिसार(हरियाणा)।
17. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, गांधीनगर (गुजरात)।
18. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, आवाड़ी, अलामाधि(चेन्नई)।
19. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, मामिडिपल्ली, वाया केशवगिरी, हैदराबाद
20. केन्द्रीय चारा बीज फार्म, हैस्सरघट्टा, बंगलौर उत्तर।
21. राष्ट्रीय पशुस्वास्थ्य संस्थान, बागपत (उत्तर प्रदेश)।
22. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, कापसहेड़ा गांव, नई दिल्ली।
23. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, पल्लीकरणी गांव, चेन्नई
24. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, गोपालपुर, 24 परगना(पश्चिम बंगाल)।
25. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, मुम्बई
26. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, हैदराबाद

जारी ...

27. पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवा केन्द्र, बंगलौर

28. केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म, हिसार (हरियाणा)।

29. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, दक्षिण क्षेत्र, हैस्सरघट्टा, बंगलौर उत्तर

30. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पूर्वी क्षेत्र, भुवनेश्वर (उड़ीसा)।

31. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, पश्चिमी क्षेत्र, आरे मिल्क कालोनी, मुम्बई।

32. केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, उत्तरी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, चण्डीगढ़।

33. केन्द्रीय कुक्कुट निष्पादन प्रशिक्षण केन्द्र, गुड़गांव(हरियाणा)

II. डेयरी विकास प्रभाग

34. दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली।

III. मात्स्यिकी प्रभाग

35. केन्द्रीय मात्स्यिकी तटीय इंजीनियरिंग संस्थान, बंगलौर।

36. केन्द्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन।

37. राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट संस्थान, प्रौद्योगिकी एवं प्रशिक्षण, कोचीन।

38. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई।

अनुबंध-XI

पशुचिकित्सा सस्थानों का राज्यवार ब्योरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	पशुचिकित्सा अस्पतालों/ पोलीक्लीनिक	पशुचिकित्सा डिस्पेंसरी	पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र/ स्टाक मैन केन्द्र/मोबाइल डिस्पेंसरी
1	आन्ध्र प्रदेश	303	2326	2610
2	अरूणाचल प्रदेश	1	93	289
3	असम	21	470	118
4	बिहार	39	783	1595
5	छत्तीसगढ़	241	775	26
6	गोवा	5	21	51
7	गुजरात	23	622	587
8	हरियाणा	944	1814	0
9	हिमाचल प्रदेश	368	1763	1012
10	जम्मू एवं कश्मीर	180	141	475
11	झारखंड	27	424	433
12	कर्नाटक	371	1942	1798
13	केरल	275	869	20
14	मध्य प्रदेश	781	1680	65
15	महाराष्ट्र	203	1738	2918
16	मणिपुर	55	109	34
17	मेघालय	4	92	66
18	मिजोरम	5	35	103
19	नागालैंड	11	20	127
20	उड़ीसा	58	482	3044
21	पंजाब	1367	1487	45
22	राजस्थान	1933	285	1682
23	सिक्किम	14	40	62
24	तमिलनाडु	167	2236	955
25	त्रिपुरा	15	59	426
26	उत्तर प्रदेश	308	12	744
27	उत्तरांचल	2200	268	2575
28	पश्चिम बंगाल	110	610	3248
29	अंडमान एवं निकोबार	10	12	60
30	चंडीगढ़	5	8	0
31	दादर एवं नगर हवेली	1	0	10
32	दमन एवं दीव	0	2	3
33	दिल्ली	46	28	0
34	लक्षद्वीप	3	6	1
35	पांडिचेरी	0	17	73
	कुल	**10094**	**21269**	**25255**

'0' उपलब्ध नहीं/प्राप्त नहीं (1/04/2012 के अनुसार)
स्त्रोतः राज्यों के पशुपालन विभागों से प्राप्त अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार

अनुबंध-XII

वर्ष 2012-13 (दिसंबर, 2012 तक) के दौरान पशुधन उत्पादों का एक्यूसीएस, नई दिल्ली, चेन्नई, मुम्बई, हैदराबाद और बंगलुरू के आयात-निर्यात का ब्यौरा

क्र.सं.	पशुधन (संख्या)	आयात (संख्या)	निर्यात (संख्या)
1	जलीय पशु (प्रॉन, झींगा, मछली इत्यादि)	550266	96414
2	पक्षी (तोता)	20	61
3	भैंसे	-	
4	बिल्ली	337	250
5	कुत्ता	1938	1123
6	बत्तख सहित जी.पी.चूजे	77588	143966
7	अश्व	182	11
8	प्रयोगशाला पशु (गुनिया पिग, चूहा, चूहिया, खरगोश इत्यादि)	69897	17
9	सरीसृप/गिलहरी (मगरमच्छ, कछुआ, छिपकली,सर्प इत्यादि)	25	
10	भेड़/बकरी		
11	चिड़ियाघर पशु (शेर, भालू, हाथी इत्यादि)	24	15
पशुधन उत्पाद (किलोग्राम)			
1	पशु उत्पाद (फिनिशड चमड़ा) गलू, बैल गाल, बाइल एसिड, सूटरस, केसिंग इत्यादि)	119920365.1	3860246
2	पशु आहार (कुक्कुट, चुहिया, अश्व इत्यादि)	3082457.165	1413599
3	जलचर उत्पाद (कोरल,सीलस,मसल पाउडर, कुत्ते आदि)	-	
4	हड्डी एवं हड्डी उत्पाद (हड्डी चूर्ण, हड्डी ग्रिस्ट, बटन, पर्ल, हथकरघा वस्तु इत्यादि)	-	6005331 (60995 Pcs.)
5	पंख (प्रसंस्कृत और शटल कॉक, ब्रुश इत्यादि सहित)	4553	1177 & 223 Nos. Jackets made from down feather
6	मत्स्य एवं मत्स्य मीट उत्पाद (प्रशीतित, हिमित, स्मॉक इत्यादि)	12344645.14	752528
7	मत्स्य आहार/ऑयल पेस्ट और उप-उत्पाद (प्रॉन आहार, झींगा आहार, आर्टेमिया सिस्ट, कोरल्स, शैल्स इत्यादि सहित)	19716630.17	6980413
8	जिलेटिन/ओसीन और उत्पाद		12265308
9	हैचिंग अंडे		1616039

Contd.

क्र.सं.	पशुधन (संख्या)	आयात (संख्या)	निर्यात (संख्या)
10	खुर, नाखुन, पंजे, चोंच, सींग के उत्पाद (सूखा, मील, कोरस, ग्रिस्ट, बटन, हथकरघा उत्पाद इत्यादि)	-	6041796 & 10 Pcs.
11	मीट एवं मीट उत्पाद (कुक्कुट, पोर्क)	510936.404	
12	मीट एवं मीट उत्पाद (मेमना, बकरी इत्यादि)	8609	
13	सीरम/अल्बूमिन/प्लाज्मा एंटी सीरम, मूत सहित (बोवाईन और अश्व)	-	74331
14	विविध (सिल्क, म्यूजिकल ड्रम, वेस्ट कोकून आदि)	-	
15	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद (चीज़, घी, वे पाऊडर, केसिन, आइस्क्रीम, मक्खन, योगर्ट, लैक्टोज, बटर ऑयल इत्यादि)सूअर बाल	65057756.5	932918
16	पालतू पशु खाद्य/डॉग च्यूज	7519012.81	4784222
17	सूअर बाल	341790	
18	रॉ फर स्किन (सिर, पूंछ, पंजा, अचार, नमकीन इत्यादि सहित)	12437343	
19	वीर्य/एम्ब्रयो	1829.494 Kg. (377083 doses)	
20	सिरम	69845.85	2326
21	एसपीएफ अंडे (संख्या)	189614	2334
22	मिठाईयां/प्रसंस्कृत खाद्य वस्तु	-	14362421
23	टीके	-	
24	ऊन/बाल	80729485	19236

अनुबंध-XIII

जीवजाति अनुसार 2011 (जनवरी - दिसम्बर) के दौरान भारत में हुए पशुरोगों का विवरण

क्र. सं.	रोग का नाम	प्रजाति	प्रकोप	हानि	मृत्यु
1	खुरपका और मुंहपका रोग				
		बोवाईन	653	10959	207
		भैंस	8	1358	11
		ओवाईन/कैप्राईन	31	485	0
		सोवाईन	9	45	0
		कुल	**701**	**12847**	**218**
2	हैमरेज सेप्टीसीमिया				
		बोवाईन	172	1807	466
		बोवाईन/कैप्राईन	14	265	100
		भैंस	129	846	246
		कुल	**315**	**2918**	**812**
3	ब्लैक क्वार्टर				
		बोवाईन	412	2605	875
		ओवाइन/कैप	4	25	1
		भैंस	1	46	24
		कुल	**417**	**2676**	**900**
4	एन्थ्रेक्स				
		बोवाईन	33	165	165
		ओवाइन/कैपराइन	15	197	158
		कुल	**48**	**362**	**323**
5	फैसीलियोसिस				
		बोवाईन	195	509195	31
		ओवाईन/कैप्राईन	5	51	7
		कैनाईन	2	10	0
		सवाइन	0	1	0
		भैंस	32	1755	10
		एक्वाइन	0	4	0
		कुल	**234**	**511016**	**48**
6	एंटेरोटाक्सीमिया				
		ओवाईन/कैप्राईन	67	866	242
		बोवाईन	4	250	0
		कुल	**71**	**1116**	**242**

क्र. सं.	रोग का नाम	प्रजाति	प्रकोप	हानि	मृत्यु
7	भेड एवं बकरी चेचक				
		ओवाईन/कैप्राईन	197	3861	698
8	भैंस चेचक				
		भैंस	2	24	3
9	**Cow Pox**				
		Buffalo	1	1	0
10	ब्लू टंग				
		ओवाईन/कैप्राईन	38	2212	136
11	सी.सी.पी.पी.				
		ओवाईन/कैप्राईन	1	22	5
12	एम्फीस्टोमियोसिस				
		बोवाईन	132	14996	29
13	सालमोनेलोसिस				
		बोवाइन	2	2	0
14	स्वाईन फीवर				
		स्वाईन	284	4018	1371
15	सालमोनेलोसिस				
		एवियन	123	113451	4439
		बोवाईन	1	3002	207
		कुल	**124**	**116453**	**4646**
16	कोक्कायडियोसिस				
		बोवाईन	81	15194	739
		ओवाईन/कैप्राईन	7	18	0
		एवियन	635	168693	25262
		स्वाईन	14	70	0
		भैंस	0	3	0
		कैनाइन	1	1	0
		कुल	**738**	**183979**	**26001**
17	रानीखेत (न्यू कॉसल) रोग				
		एवियन	886	240438	24016
18	फाऊल चेचक				
		एवियन	235	19122	1682
19	फाऊल हैजा				

क्र. सं.	रोग का नाम	प्रजाति	प्रकोप	हानि	मृत्यु
		एवियन	143	7999	2276
20	मेरक रोग				
		एवियन	1	100	50
21	आई.बी.डी				
		एवियन	338	86381	24199
22	बत्तख प्लेग				
		एवियन	87	2232	497
23	क्रॉनिक श्वसन रोग				
		एवियन	291	133808	59642
24	कैनाईन डिस्टेम्पर				
		कैनाईन	**100**	**1509**	**123**
25	रेबिज़				
		बोवाईन	56	168	168
		कैनाईन	23	163	163
		भैंस	9	75	75
		ईक्वाईन	3	8	8
		ओवाईन/कैप्राईन	1	3	3
		कुल	**92**	**417**	**417**
26	बेबिसियोसिस				
		बोवाईन	120	3177	22
		भैंस	6	282	3
		ओवाईन/कैप्राईन	2	6	0
		ईक्वाईन	3	13	0
		कुल	**131**	**3478**	**25**
27	मेस्टीटिस				
		बोवाईन	186	9072	2
		ओवाईन/कैप्राईन	1	17	0
		कुल	**187**	**9089**	**2**
28	ट्राईपेनिसमियोसिस				
		बोवाईन	84	1334	16
		केनाइन	1	1	0
		ईक्वाईन	1	171	7
		भैंस	91	1922	23
		कुल	**177**	**3428**	**46**

क्र. सं.	रोग का नाम	प्रजाति	प्रकोप	हानि	मृत्यु
29	मेंज				
		बोवाईन	43	541	0
		ओवाईन/कैप्राईन	40	1739	0
		स्वाईन	14	321	0
		कैनाईन	7	246	0
		कुल	**104**	**2847**	**0**
30	पेस्ट डेज पेटिस रयूमिनेंट				
		ओवाईन/कैप्राईन	197	6976	1707
31	एनाप्लास्मोसिस				
		बोवाईन	27	90	9
32	ब्रूसेलोसिस				
		बोवाईन	1	1	0
		भैंस	1	16	0
		कुल	**2**	**17**	**0**
33	कोरिजा				
		एवियन	8	37505	37
34	एवियन इंफ्लूएंजा				
		एवियन	4	6299	4863
		फाउ	1	1143	1143
		कुल	**5**	**7442**	**6006**
35	**ग्लेंडर्स**				
		एक्वाइन	3	3	2

अनुबंध-XIV

"पशुधन बीमा" योजना के तहत 300 चुनिन्दा जिलों की सूची

क्र. सं.		जिलों के नाम
1	आंध्र प्रदेश (22)	
	1	आदिलाबाद *
	2	अनन्तपुर *
	3	चित्तूर
	4	कुडप्पा*
	5	पूर्वी गोदावरी
	6	गुंतूर
	7	करीमनगर
	8	खम्माम *#
	9	कृष्णा
	10	कुरनूल *
	11	महबूबनगर *
	12	मेडक
	13	नालगोंदा
	14	नेल्लौर *
	15	निजामाबाद
	16	प्रकाशम
	17	रंगारेड्डी
	18	श्रीकाकुलम
	19	विशाखापतनम
	20	विजयनगर
	21	वारंगल*
	22	पश्चिमी गोदावरी
2	अरुणाचल प्रदेश (4)	
	23	पूर्वी सियांग
	24	मोहित
	25	निचली दिबांग घाटी
	26	पश्चिमी सियांग
3	असम (6)	
	27	बारपेटा
	28	जोरहट
	29	कामरूप
	30	मोरीगांव
	31	नौगांव
	32	सोनितपुर
4	बिहार (10)	
	33	बेगूसराय
	34	भोजपुर
	35	छपरा
	36	गया #
	37	मुज्जफरपुर
	38	नालंदा
	39	पटना
	40	रोहतास
	41	समस्तीपुर
	42	वैशाली
5	छत्तीसगढ़ (5)	
	43	धमन्तरी
	44	दुर्ग
	45	महेसामुंड
	46	रायपुर
	47	राजनंदगांव#
6	गुजरात (15)	
	48	अहमदाबाद
	49	बनासकंठा
	50	भावनगर
	51	डांग
	52	जूनागढ़
	53	कच्छ
	54	खेड़ा
	55	मेहसाना
	56	नवाशरी
	57	पंचमहल
	58	राजकोट
	59	साबरकंठा
	60	सूरत
	61	बडोडरा
	62	बलसाद
7	हरियाणा (15)	
	63	भिवानी
	64	फरीदाबाद
	65	फर्तेहाबाद
	66	हिसार
	67	झज्जर
	68	जींद
	69	कैथल
	70	करनाल
	71	कुरूक्षेत्र
	72	मेवात
	73	महेन्द्रगढ़
	74	पानीपत
	75	रोहतक
	76	सिरसा
	77	सोनीपत
8	हिमाचल प्रदेश (5)	
	78	चंबा
	79	हमीरपुर
	80	कांगड़ा
	81	मंडी
	82	शिमला
9	जम्मू एवं कश्मीर (6)	
	83	अनन्तनाग
	84	बारामुला
	85	जम्मू
	86	कुपवाड़ा
	87	पुलवामा
	88	उद्यमपुर
10	झारखंड (4)	
	89	गोडा
	90	हजारीबाग #
	91	पलामू #
	92	रांची
11	कर्नाटक (14)	
	93	बागलकोट
	94	बंगलौर ग्रामीण
	95	बंगलौर शहरी

जारी ...

क्र. सं.		जिलों के नाम
	96	बेलगाम *
	97	वेल्लरी
	98	दक्षिण कन्नड़
	99	देवांगिरी
	100	गुलबर्गा
	101	हस्सन *
	102	हवेरी
	103	कोलर
	104	मनध्या
	105	मैसूर
	106	थुमकुर
12		**केरल (11)**
	107	अलापुजा
	108	एर्नाकुलम
	109	युदुकी
	110	कन्नूर
	111	कोल्लम
	112	कोटयाम
	113	कोझीकोड
	114	पलाकाड
	115	त्रिसूर
	116	त्रिवेन्द्रम
	117	वयानंद
13		**मध्य प्रदेश (20)**
	118	बालाघाट #
	119	भिंड
	120	विदिशा
	121	छत्तरपुर
	122	छिंदवाड़ा
	123	देवास
	124	धार
	125	गूना
	126	इंदौर
	127	मुरैना
	128	पन्ना
	129	रायसेन

क्र. सं.		जिलों के नाम
	130	रतलाम
	131	रीवा
	132	सागर
	133	सतना
	134	सेहोर
	135	शाहजहांपुर
	136	शिवपुरी
	137	सिद्धी
14		**महाराष्ट्र (18)**
	138	अहमदनगर
	139	औरंगाबाद
	140	बीड
	141	भंडारा
	142	गोंदिया #
	143	जलगांव
	144	जालना
	145	कोल्हापुर
	146	लातूर
	147	नागपुर
	148	नांदेड
	149	नासिक
	150	पुणे
	151	सांगली
	152	सतारा
	153	सोल्हापुर
	154	वर्धा
	155	यवतमाल *
15		**मणिपुर (6)**
	156	विष्णुपुर
	157	इंफाल पूर्वी
	158	सेनापति
	159	ताऊबाल
	160	उखरूल
	161	पश्चिमी इंफाल
16		**मेघालय (4)**
	162	पूर्वी खासी हिल्स

क्र. सं.		जिलों के नाम
	163	जेंतिया हिल्स
	164	रि भोई
	165	प. गारो हिल्स
17		**मिजोरम (4)**
	166	आइजोल
	167	चम्फई
	168	कोलासिब
	169	सइहा
18		**नागालैंड (7)**
	170	दीमापुर
	171	कोहिमा
	172	मोकोकचुंग
	173	पेरेन
	174	फेक
	175	ओखा
	176	जूनेबोटो
19		**उड़ीसा (9)**
	177	कटक
	178	जगतसिंहपुर
	179	पुरी
	180	संबलपुर #
	181	बारागढ़
	182	खुर्दा
	183	मयूरभंज
	184	क्योंझर
	185	केन्द्रपाड़ा
20		**पंजाब (19)**
	186	अमृतसर
	187	बरनाला
	188	भटिंडा
	189	फरीदकोट
	190	फतेहगढ़ साहिब
	191	फिरोजपुर
	192	गुरदासपुर
	193	होशियारपुर
	194	जलंधर

जारी ...

क्र. सं.	जिलों के नाम	
	195	कपूरथला
	196	लुधियाना
	197	मन्सा
	198	मोगा
	199	मोहाली
	200	मुक्तसर
	201	नवान शहर
	202	पटियाला
	203	रोपड़
	204	संगरूर
21	**राजस्थान (22)**	
	205	अजमेर
	206	अलवर
	207	बंशवारा
	208	बामेर
	209	भरतपुर
	210	भीलवाड़ा
	211	बीकानेर
	212	चित्तौडगढ़
	213	चुरू
	214	दुर्गापुर
	215	जयपुर
	216	जैसलमेर
	217	झलावत
	218	झुंझुनू
	219	जोधपुर
	220	कोटा
	221	नागौर
	222	प्रतापगढ़
	223	सीकर
	224	श्रीगंगानगर
	225	टोंक
	226	उदयपुर
22	**सिक्किम (4)**	
	227	पू. सिक्किम
	228	उ. सिक्किम
	229	द. सिक्किम
	230	प. सिक्किम
23	**तमिल नाडु (15)**	
	231	कोयंबतूर
	232	कुडलोर
	233	धर्मापुरी
	234	इरोड
	235	कृष्णागिरी
	236	नमकल
	237	सेलम
	238	तंजावुरे
	239	तिरुचिरापल्ली
	240	तिरुवन्नामई
	241	तिरूनेलवेली
	242	वेल्लौर
	243	वेलुपुरम
	244	डिंडीगुल
	245	मदुरई
24	**त्रिपुरा (2)**	
	246	पश्चिमी त्रिपुरा
	247	दक्षिणी त्रिपुरा
25	**उत्तर प्रदेश (39)**	
	248	औरया
	249	आगरा
	250	अलीगढ़
	251	इलाहाबाद
	252	आजमगढ़
	253	बलिया
	254	बाराबंकी
	255	बरेली
	256	बिजनौर
	257	बदायूं
	258	बुलंदशहर
	259	देवरिया
	260	एटा
	261	फैजाबाद
	262	फरूखाबाद
	263	फतेहपुर
	264	फिरोजाबाद
	265	गाजियाबाद
	266	गाजीपुर
	267	गोंडा
	268	गोरखपुर
	269	हरदोई
	270	जौनपुर
	271	काशीराम नगर
	272	खीरी
	273	महामायानगर
	274	मैनपुरी
	275	मथुरा
	276	मेरठ
	277	मुरादाबाद
	278	मुज्जफरनगर
	279	प्रतापगढ़
	280	रायबरेली
	281	सहारनपुर
	282	सीतापुर
	283	सोनभद्र #
	284	सुल्तानपुर
	285	वाराणसी
	286	उन्नाव
26	**उत्तराखंड (6)**	
	287	चमोली
	288	देहरादून
	289	हरिद्वार
	290	नैनीताल
	291	पिथौरागढ़
	292	उद्यमसिंह नगर
27	**पश्चिम बंगाल (6)**	
	293	24 परगना(उत्तरी)
	294	हुगली
	295	नादिया
	296	जलपाईगुड़ी
	297	दक्षिणी दिनाजपुर
	298	मुर्शिदाबाद
28	**गोवा-2**	
	299	उत्तरी गोवा
	300	दक्षिणी गोवा

* आत्महत्या संभावित जिले

\# वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिले

टिप्पणीः कोष्ठक में दिए गए आंकड़ो में योजना के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों की कुल संख्या दी गई है।

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट 2011-12

लक्ष्य	अधिमानता	कार्रवाई	सफलता	यूनिट	अधिमानता	लक्ष्य/मानक मूल्य					उपलब्धियां	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	बुरा		शुद्ध स्कोर	अधिमानित स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
1.पशु बीमारियों से बचाव और नियंत्रण	14.00	प्रमुख बीमारियों के लिए टीकाकरण	किए गए टीकाकरण की संख्या	No. in Million	10.00	285	260	235	215	200	372.00	100.00	10.0
		पशुचिकित्सा व्यावसायियों की प्रभावकारिता में सुधार	प्रशिक्षित किए गए पशु-चिकित्सकों की संख्या	No.	2.00	500	450	400	350	300	2620	100.00	2.00
		प्रमुख बीमारियों की निगरानी के लिए नमूनों का एकत्रीकरण	इकट्ठा किए गए नमूनों की संख्या	No.	2.00	185000	160000	140000	100000	100000	194625	100.00	2.00
2.चारा तथा आहार विकास	14.00	उच्च उत्पादकता वाली चारा किस्मों का उत्पादन	चारा बीज उत्पादन क्विंटल में	No	7.00	40000	36000	32000	28000	24000	26308.12	65.77	4.6
		प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	किए गए कार्यक्रमों की संख्या	No	2.00	140	125	115	100	85	196	100.00	2.00
		चारागाहों तथा घास रिजर्व का विकास	विकसित चारागाह क्षेत्र	Area in ha	5.00	2100	1890	1680	1470	1260	887	0.00	0
3. मछली उत्पादन में वृद्धि तथा मछुआरों को सहायता प्रदान करना	18.00	नए जलाशयों का निर्माण तथा विद्यमान जलाशयों का नवीनीकरण	निर्मित नए जलाशय	Area in ha	4.50	7800	7020	6240	5680	5460	6500	83.33	3.75
			नवीनीकरण किए गए जलाशय	Area in ha	4.50	17500	15750	14000	12250	10500	14500	82.66	3.73
		कल्याण के उपाय तथा आदान सब्सिडी	बीमा योजना का विस्तार	no	1.80	2800000	2520000	2240000	1960000	1680000	3904003	100.00	1.8
			घरों का निर्माण	no	1.80	6000	5400	4800	4200	3600	3041	0.00	0
			पोस्टहार्वेस्ट कार्यकलापों के लिए प्रशिक्षण देना	no	1.80	4000	3600	3200	2800	2400	3400	85.00	1.53

जारी ...

लक्ष्य	अधिमानता	कार्रवाई	सफलता	यूनिट	अधिमानता	लक्ष्य/मानक मूल्य					उपलब्धियां	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	बुरा		शुद्ध स्कोर	अधिमानित स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
			समुद्री मात्स्यिकी का विकास	no	1.80	70	63	56	49	42	338	100.00	1.8
		मछुआरों को सुरक्षा किटों की सप्लाई	मोटरीकृत यानों की संख्या	no	1.80	900	810	720	630	540	9060	100.00	1.8
4. कुक्कुट विकास	10.00	घरेलू कुक्कुट विकास	सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या	no	5.00	75000	65000	60000	50000	45000	126366	100.00	5.00
		राज्य फार्मों द्वारा उन्नत स्टाक का उत्पादन	उत्पादित स्टॉक की संख्या	No in thousands	5.00	1750	1500	1400	1200	1000	10601.3	100.00	5.00
5. छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का विकास	4.00	राज्य भेड़/बकरी फार्मों का सुदृढ़ीकरण	सहायता प्राप्त करने वाले फार्मों की संख्या	Number	4.00	5.00	4.00	3.00	2.00	1.00	7.00	100.00	4.00
6.पशुधन का आनुवंशिक उन्नयन	5.00	गुणवत्तायुक्त वीर्य स्ट्रा के उत्पादन तथा वितरण द्वारा नस्ल सुधार	किए गए कृत्रिम गर्भाधानों की संख्या	Number in million	2.50	50	47	44	41	38	54	100.00	2.5
		ऊंची नस्ल के सांड कटरों का उत्पादन और विवरण	प्राकृतिक सेवाओं के लिए वितरित सांड कटरों की संख्या	Number	2.50	400	360	329	280	240	282	70.41	1.76
7. स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण	5.00	बोवाईन नस्लों का विकास और संरक्षण	रिकार्डिंग कार्यक्रम के अंतर्गत लाए गए पशुओं की संख्या	Number	2.50	57500	54000	52000	50000	48000	59000	100.00	2.5
		अन्य संकटाधीन प्रजातियों का विकास और संरक्षण	संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत लाई गई संकटाधीन प्रजातियों की सख्या	Number	1.25	4	3	2	1	0	4	100.00	1.25
			इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए पशुओं की संख्या	संख्या	1.25	500	400	300	200	100	750	100.00	1.25
8. दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी और किसानों को सहायता उपलब्ध कराना	15.00	चिल्लिंग स्थापित करना (बल्क दुग्ध कुलिंग) ईकाइयां	चिल्लिंग क्षमता का सृजन	टीएलपीडी में संख्या	3.75	800	720	640	560	480	1027.5	100.00	3.75

जारी ...

लक्ष्य	अधिमानता	कार्रवाई	सफलता	यूनिट	अधिमानता	लक्ष्य/मानक मूल्य					उपलब्धियां	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	बुरा		शुद्ध स्कोर	अधिमानित स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
		उद्यमियों को स्व रोजगार योजना के द्वारा ऋण उपलब्ध कराना	डेयरी इकाईयों में सुधार/विस्तार	नहीं	3.75	6375	5750	4750	4750	4500	27319	100.00	3.75
		उत्पादन और पशुधन में वृद्धि करना	दुग्ध उत्पादन	एमटी में सख्या	3.75	118	117.5	117	116	115	121.85	100.00	3.75
		प्रशिक्षण देना	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	नहीं	3.75	3000	2800	2600	2400	2200	3126	100	3.75
आरएफडी प्रणाली का सक्षम कार्यकरण	3.00	अनुमोदन हेतु प्रारूप की समय से प्रस्तुति	एक बारगी प्रस्तुति	दिनांक	2.0	03-07-2012	03-08-2011	03-09-2011	03-10-2011	03-11-2011	03-07-2011	100	2.00
		परिणाम की समय से प्रस्तुति	एक बारगी प्रस्तुति	दिनांक	1.0	05-01-2012	05-03-2012	05-04-2012	05-05-2012	05-06-2012	30/04/12	100	1.00
आंतरिक सक्षमता में सुधार करना/जिम्मेदारी/सेवा/मंत्रालय की सुपुर्दगी/मंत्रालय	10.00	सेवोत्तम का कार्यान्वयन	नागरिक/क्लाईंट चार्टड के संशोधित मसौदे को पुनः प्रस्तुत करना	दिनांक	2	16/01/2012	18/01/2012	20/01/2012	23/01/2012	25/01/2012	13/01/2012	100	2.0
			शिकायत निवारणतंत्र के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	%	2	100	90	80	70	60	33.2	0	0.0
		सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) (ख) की अनुपालना सुनिश्चित करना	उन मदों की संख्या जिनपर 10 फरवरी, 2012 तक सूचना अपलोड हुई है	नहीं	2	16	15	14	13	12	8	0	0.0

जारी ...

लक्ष्य	अधिमानता	कार्रवाई	सफलता	यूनिट	अधिमानता	लक्ष्य/मानक मूल्य					उपलब्धियां	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	बुरा		शुद्ध स्कोर	अधिमानित स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
		विभागीय कार्यकलापों से संबंधित भ्रष्टाचार से संबंधित क्षेत्रों की पहचान करना और उनकी समाप्ति के लिए कार्ययोजना तैयार करना	भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की समाप्तिके लिए कार्ययोजना को अंतिम रूप देना।	दिनांक	2	26/03/12	27/03/12	28/03/2012	29/03/2012	30/03/2012	30/04/2012	0	0.0
		आईएसओ 9001 प्रमाणन को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्ययोजना का विकास	आईएसओ 9001 प्रमाणन को कार्यान्वित करने के लिए एक कार्ययोजना को अंतिम रूप देना	Date	2	16/04/2012	17/04/2012	18/04/2012	19/04/2012	20/04/2012	30/04/2012	0	0.0
वित्तीय जवाबदेही फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना	2.00	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा पैरों पर एटीएनएस समय पर प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखनेकी तिथि सै नियत तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तुत किए गए एटीएनएस का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
		पीएसी रिपोर्टों के लिए एटीआर को समय पर प्रस्तुत किया जाना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखनेकी तिथि सै नियत तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तुत किए गए एट ीएनएस का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5

जारी ...

लक्ष्य	अधिमानता	कार्रवाई	सफलता	यूनिट	अधिमानता	लक्ष्य/मानक मूल्य					उपलब्धियां	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	औसत	बुरा		शुद्ध स्कोर	अधिमानित स्कोर
						100%	90%	80%	70%	60%			
		31.3.2011 से पहले संसद के समक्ष रखी गई सीएजी रिपोर्टों के लेखा पैरा पर लंबित एटीएन का जल्दी निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीआर का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
		31.3.2011 से पहले संसद के समक्ष रखी गई सीएजी रिपोर्टों के लेखा पैरा पर लंबित एटीएन का जल्दी निपटान	वर्ष के दौरान निपटाए गए लंबित एटीआर का प्रतिशत	%	0.5	100	90	80	70	60	100	100	0.5
कुल संघटक													**80.27**

प्रयोग किए गए संक्षिप्त शब्द

एआई	कृत्रिम गर्भाधान
एआईसी	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र
एएमएफ	एनिडरस मिल्क फैट
एपीइडीए	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एपीएचसीए	एशिया और प्रशान्त के लिए पशु उत्पादन और स्वास्थ्य आयोग
एएससीएडी	पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता
बीई	बजट आकलन
बीइडीए	खाराजल मछली पालक विकास एजेंसी
बीओटी	बिल्ड प्रचालन और स्थानांतरण
सीएए	तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण
सीएडीआरएडी	पशुरोग अनुसंधान और नैदानिक केन्द्र
सीएएलएफ	पशुधन और खाद्य विश्लेषण और अधिगम केन्द्र
सीबीपीपी	संक्रामक बोवाइन प्लुरो निमोनिया
सीसीबीएफ	केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म
सीसीआरएफ	उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए अचार संहिता केन्द्रीय नैदानिक प्रयोगशाला
सीडीडीएल	केन्द्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला
सीएफएसपीटीआई	केन्द्रीय हिमित वीर्य उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान
सीएचआरएस	केन्द्रीय गोपशु पंजीकरण योजना
सीआईसीइएफ	केन्द्रीय तटीय मात्स्यिकी इंजीनियरिंग संस्थान
सीआइएफएनइटी	केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान
सीएमयू	केन्द्रीय मॉनिटरिंग यूनिट
सीपीडीओ	केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन
सीपीआइओ	केन्द्रीय जन सम्पर्क अधिकारी
सीएसबीएफ	केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन
सीएसएस	केन्द्रीय प्रायोजित योजना
सीवीइ	निरंतर पशुचिकित्सा शिक्षा
डीसीआइ	भारत के ड्रग नियंत्रक

डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीएमआइ	विपणन और निरीक्षण निदेशालय
डीएमएस	दिल्ली दुग्ध योजना
डीवीसीएफ	डेयरी उद्यम पूंजीकोष
इइजेड	अनन्य आर्थिक क्षेत्र
इटीटी	एम्ब्रियो स्थानांतरण प्रोद्यौगिकी
एफएओ	खाद्य और कृषि संगठन
एफएफडीए	मछली पालक विकास एजेंसी
एफएमडी	खुरपका और मुंहपका रोग
एफएमडी-सीपी	खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम
एफएसआइ	भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण
एफएसयू	प्रथम चरण यूनिट
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीआइएस	भोगौलिक सूचना प्रणाली
जीपीएस	ग्लोबल पोजीशिनिंग प्रणाली
एचएसीसीपी	आपदा विश्लेषण और संकटकालीन
आइएएसआरआइ	भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
आइबीएम	इन बोर्ड मोटर
आइबीआर	संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेक्टिस
आइजीएफआरआइ	भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान
आइएनएपीएच	पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य सूचना केन्द्र
आइओटीसी	भारतीय आसियान टूना आयोग
आइएसओ	मानकीकरण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
आइएसएस	एकीकृत नमूना सर्वेक्षण
आइयूयू	अनरिर्पोटिड गैरकानूनी अनियमित
जेडी	जॉनी रोग
एमसीएस	मानिटरिंग नियंत्रण और निगरानी
एमआइएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएलपी	प्रमुख पशुधन उत्पाद

एमएमएसआरटी	चालित सेटलाइट सेवा रिपोर्टिंग टर्मिनलस
एमपीइडीए	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एमएसपी	न्यूनतम मानक प्रोटोकाल
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण और विकास बैंक
एनसीवीटी	राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद
एनडीडीबी	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एनडीआरआइ	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान
एनएफडीबी	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड
एनजीसी	नई पीढ़ी की सहकारिताएं
एनआइसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनआइएफपीटीटी	राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रोद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान
एनआइपीएचएटीटी	राष्ट्रीय पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी और प्रशिक्षण केन्द्र
एनपीसीबीबी	राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना
एनपीआरइ	राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना
एनएसएस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
एनएसएस	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
ओबीएम	बाहय बोर्ड मोटर
ओआइइ	अन्तर्राष्ट्रीय इपीजूटीस कार्यालय
ओएनबीएस	खुला केन्द्र प्रजनन प्रणाली
पीइडी	व्यावसायिक कुशलता विकास
पीआरआइ	पंचायती राज संस्थान
पीटीपी	संतति परीक्षण कार्यक्रम
पीवीसीएफ	कुक्कुट उद्यम पूंजीकोष
क्यूआर	परिमाणात्मक नियंत्रण
आरडीडीएल	क्षेत्रीय रोग नैदानिक प्रयोगशाला
आरइ	संशोधित आकलन
आरएफडी	परिणाम ढांचा दस्तावेज
आरटीआइRटीआइ	सूचना का अधिकार
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह

एसआइए	राज्य क्रियान्वयन एजेंसी
एसआइपी	सफाई आयात आज्ञा
एसएलबीटीसी	राज्य पशुधन प्रजनन और प्रशिक्षण केन्द्र
एसएलसीएएनजीआर	पशु आनुवांशिकी संसाधनों पर राज्य स्तर की समिति
एसएलएसएमसी	राज्य स्तर मंजूरी और मानीटरिंग समिति
एसएमपी	स्किमड दूध पाउडर
एसओपी	मानक प्रचालन प्रक्रिया
एसएसओसी	राज्य वीर्य संग्रहण केन्द्र
एसएसयू	दूसरे चरण की यूनिट
एसटीडी	सेक्स प्रसारित रोग
टीसीडी	पशुपालन सांख्यिकी के सुधार के लिए तकनीकी समिति का निदेश
टीसीएमपीएफ	तमिलनाडु सहकारिता दूध उत्पादक परिसंघ
टीआरक्यू	मूल्यदर कोटा
टीएसयू	तीसरे चरण की यूनिट
यूबीकेवी	उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय
वीसीआइ	भारतीय पशुचिकित्सालय परिषद
वीकेजीयूवाइ	विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना
वीएमएस	जलयान मानिटरिंग प्रणाली

सत्यमेव जयते

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

नई दिल्ली